खण्ड-462, अंक-3
गुरुवार, 5 माघ, शक संवत् 1928
(25 जनवरी, 2007 ई0)

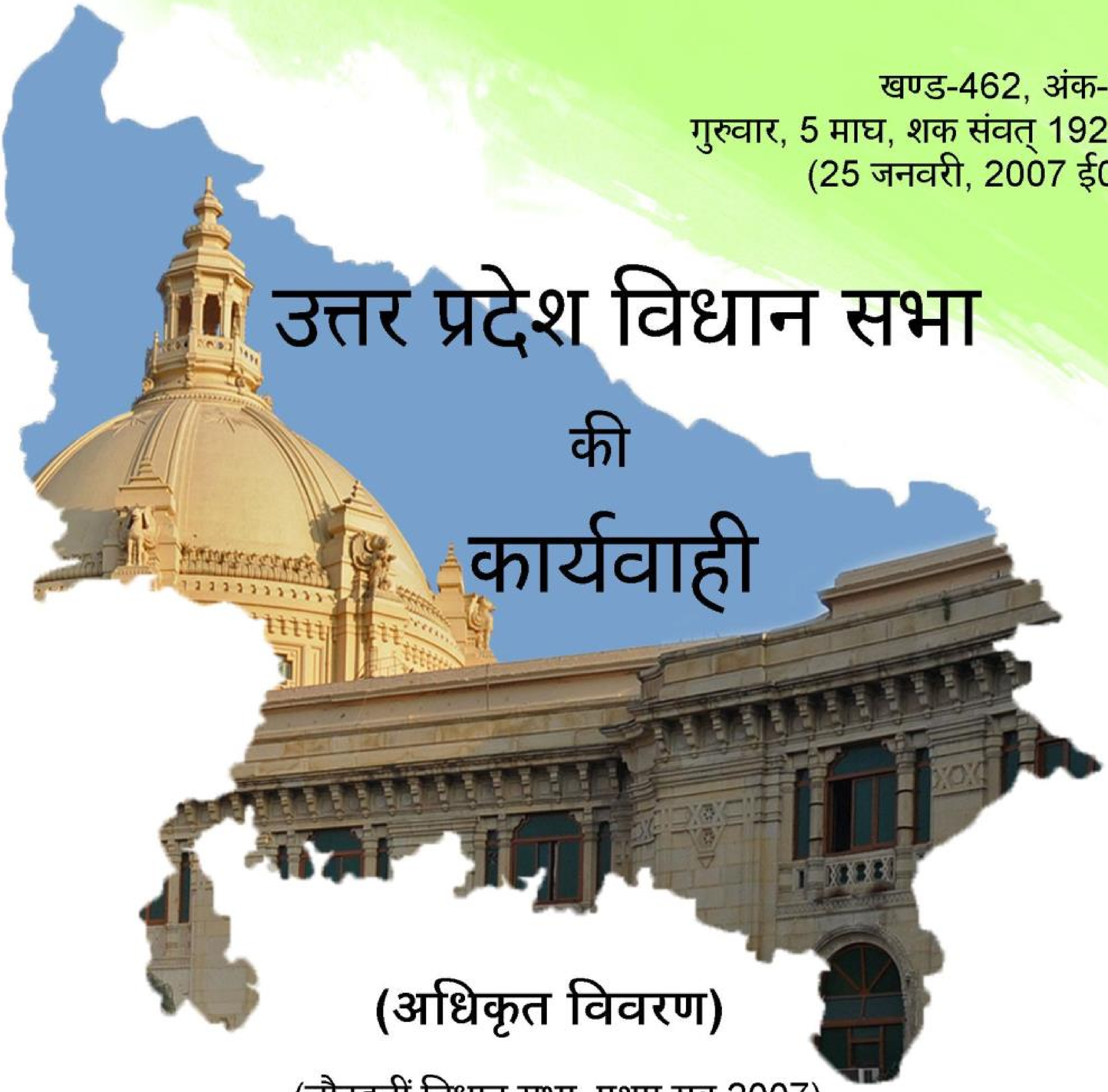

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2007)

खण्ड 462 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ज
परिवहन मंत्री के भाषण में आपत्तिजनक शब्दों से सम्बन्धित नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग..... (जारी) ...	1-3
प्रश्नोत्तर	4
परिवहन मंत्री के भाषण में आपत्तिजनक शब्दों से सम्बन्धित नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग..... ...	4-10
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	10-11
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत हेतु अपेक्षित स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11-12
मेरठ मेडिकल कालेज द्वारा पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
वाराणसी कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत मडुवाडीह क्रासिंग नं0-4 पर स्वीकृत ओवरब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अर्धाश धनराशि देकर ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
जनपद चित्रकूट में संचालित रोजगार गारण्टी योजना में जिला प्रशासन द्वारा भारी लापरवाही एवं कथित घपले की जांच कराकर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
सूखाग्रस्त जनपद बांदा में किसानों/मजदूरों के लिये राहत कार्य चलाने एवं पीड़ित किसानों का कर्जा एवं लगान आदि माफ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जवां की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों को सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
हरदोई के ग्राम ढखियापुर मजरा कोठावां की निवासिनी श्रीमती बृजरानी के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच कराकर उसकी सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14-15
आगरा की सदर तहसील के पचकुइया होते हुए जयपुर हाउस जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15
इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर चिकित्सकों को प्रैक्टिस की छूट देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	15-16

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिअरा में सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15
मुजफ्फरनगर की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लुहारीखुर्द के पूर्व प्रधान एवं पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किये गये शासकीय कोष के धन के दुरुपयोग की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
जनपद खीरी में पचपेड़ी घाट पर शारदा नदी में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2004-05 में ग्राम दाऊदपुर में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17
बलिया के ग्राम दोघ के चक रोड संख्या-281 पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17-18
हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी पर बने पेन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	18
बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहाबाद में निजी नलकूप पर दो व्यक्तियों की हुयी आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद उन्नाव की शारदा सहायक (पुरवा ब्रांच) में पूरी क्षमता से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19-20
मेरठ में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20
फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दो नदियों पर कतिपय स्थानों में रपटा पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को पेन्टेड रोड बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
लखनऊ शहर के निशातगंज ओवरब्रिज के नीचे दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	21-22

अशोधित विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत जगना मोड़ से सहरोई चकरावत सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0 कच्चे मार्ग के डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
ग्रेटर नोएडा व नोएडा क्षेत्र के किसानों की जमीनों का मुआवजा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	23
पीलीभीत के पूरनपुर में थाना कोतवाली के अन्दर एक सिपाही की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	23
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव एवं मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान	24-57
मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों को भत्ते एवं मानदेय दिये जाने की घोषणा (स्वीकृत)	57
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	58-59
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	59
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2005-2006 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006 उत्तर प्रदेश (सदन के पटल पर रखा गया)	59
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (खण्ड-8) (प्रस्तुत किया गया)	59-60
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सोलहवां प्रतिवेदन (खण्ड-2) ..... (प्रस्तुत किया गया)	60
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 ..... (पारित)	60-64
प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा ..... (जारी)	64
प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जन स्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा ..... (जारी) ...	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बढ़ती हुयी मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की जारी चर्चा ..... (जारी)	64
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	64-66
नत्थी	67-116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-389

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजय राय, श्री — वाराणसी
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमरमणि, श्री — महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री — संत कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेट	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी,	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अर्जीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	संत रविदास नगर, (भदोही)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह,, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	संत कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर,	श्री गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फर्सीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती देवरिया
फागू, श्री मऊ
बंशीधर राज, श्री खीरी
बलराम यादव, श्री आजमगढ़
बाबू लाल, श्री गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
बिजय सिंह, श्री गाजीपुर
बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास
(डमडम महराज), श्री झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
मदन भैया, श्री बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
मशहूद खां, श्री बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री एटा
माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ
मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री खीरी
यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ
योगेश भइया, श्री गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, (भदोही)
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप उर्फ	
नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बारबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, (भदोही)
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, (भदोही)
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हुसैन), उद्योग मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिवहन मंत्री के भाषण में आपत्तिजनक शब्दों से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस आपको दिया गया है, उसमें नियम-311 में हमारे दल की ओर से भी सूचना है, आप कृपा करके उस पर बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी, कार्य-मंत्रणा समिति में पहले से तय हो गया था कि नियम-311 और नियम-56 नहीं लिये जायेंगे, फिर भी आपने नोटिस दी है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका महत्वपूर्ण पद है, आप बताइये इसमें क्या किया जा सकता है ?

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियम-56 की बात तो समझ में आती है लेकिन नियम-311 की नहीं।

श्री अध्यक्ष-

जो नियम-311 में आपने दिया है, वह विषय यह है कि कल सदन में चर्चा के दौरान अग्रवाल साहब ने कुछ बातें कही थीं, उसी विषय को लेकर यह प्रश्न उठाया गया है। सम्भवतः मैं उस समय पीठ पर नहीं था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया था, इसलिए अब इसको उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, उसमें एक बात रह जाती है, मैं स्पष्ट कर दूं, जो अग्रवाल जी ने कहा वह कार्यवाही का अंग है। उसमें कहा गया था कि क्या आप होते तो बेईमानी करते, उस पर उन्होंने कहा कि हम होते तो जरूर करते और डंके की चोट पर करते यानि कि बेईमानी करते और डंके की चोट पर बेईमानी करते। मान्यवर, अगर कोई कैबिनेट मंत्री यह कहता है कि बेईमानी करते और डंके की चोट पर बेईमानी करते तो उसका स्पष्टीकरण कहां से आ गया। मान्यवर, यह बात संयुक्त दायित्व की है, मंत्रि-परिषद् का एक सदस्य कह रहा है कि बेईमानी करते और डंके की चोट पर करते तो यह मानसिकता सबके सामने आ जाती है। मान्यवर, अगर सदन के सामने खड़े होकर किसी मंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि बेईमानी करते और डंके की चोट पर करते, और सत्ता ऐसे नहीं चलती है, सत्ता किसी की दया-दृष्टि पर नहीं चलती है बल्कि सत्ता तो साम, दाम, दण्ड और भेद पर चलती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

और यह भी उस मंत्री के द्वारा कहा गया जो कि अपने ही विभाग के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सका, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा का बस विवाद नहीं निपटा सका, जिससे कि सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश परेशान है, वह मंत्री बेईमानी की धौंस दे रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

विधान सभा की ओर सारे प्रदेश की निगाहें हैं और सारे लोग देख रहे हैं कि हमारा आचरण क्या है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप हमें भी सुनिये, माननीय मंत्री जी के कहने का आशय यह रहा होगा कि ईमानदारी से चुनाव हुए हैं, अगर चुनाव में बेईमानी की जाती तो बेईमानी से सम्भवतः आप न जीतते, यह उनका आशय रहा होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आशय बताने का मौका यह नहीं है, आशय आप बतायेंगे या वह बतायेंगे। जो मंत्री अपने विभाग का काम नहीं कर सका और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली का बस विवाद नहीं हल कर सका और सारी जनता को तकलीफ में डाल दिया।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे।)

* डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा (वेल में)-

एक मंत्री धमकी दे रहा है कि हम बेईमानी करते, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, सरकार ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे। यह सारी बातें सदन की कार्यवाही में आ गई हैं, एक मंत्री सीधे तौर पर बेईमानी करने की धमकी दे रहा है, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें, आपने अपनी बात कह ली, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उन्हें सुन लें, आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर चलें।

(बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

(वेल में आये हुए प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यगण बूथ लुटेरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तथा गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थानों पर चलें। माननीय नेता विरोधी दल आप कुछ कह रहे थे, बीच में यह कूद पड़े। जब श्री हुकुम सिंह जी कह रहे थे तो संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए थे उनका भी जवाब सुनिये। माननीय सदस्यगण आप लोग अपनी सीटों पर चलिये।

(वेल में आये हुए सदस्यगण, मंत्री, नरेश चन्द्र अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था.....

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि कल नेता सदन ने इस मामले पर सरकार की और अपने पक्ष की सफाई दे दी थी और मंत्रिमण्डल के किसी साथी के कहे हुए पर नेता सदन की सफाई दे देना काफी है, पर्याप्त है। सभी साथी जानते हैं कि भाषण के दौरान कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो भाषण की सजावट होती हैं, उसका मेन्शन नहीं होता है। इसको बहुत संजीदगी से लेना और इस सदन का उस दिन का वक्त खराब करना, जब नेता सदन को बोलना हो, ऐसा माहौल जो पूरा कार्यकाल बहुत शांति से गुजरा हो और लगभग आखिरी दिन ऐसा माहौल बनाया जाना नेकनीयती की बलि नहीं है ? तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस बात के लिये तैयार किया जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी सीटों पर जाईये। नेता विरोधी दल बोलेंगे या आप लोग बोलेंगे।

(माननीय सदस्यों के अपनी सीटों पर न जाने व नारे लगाते रहने पर)

अच्छा मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद 11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 12 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया है। 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होते ही विपक्ष के अनेकानेक सदस्यगण सदन के फ्लोर पर बैठ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में भुखमरी से मरने वाले परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

1-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में माह जनवरी, 2005 से जुलाई, 2006 तक कितने लोगों की भूख से मृत्यु के मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार द्वारा भुखमरी से मरने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी महानगर स्थित मौजा शिवपुरवा में सगरा ताल को पाटने व बेचने के सम्पूर्ण कार्यों को रोकने तथा मूल स्वरूप को बनाये रखने की मांग

2-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-3-2006 जो वाराणसी महानगर स्थित मौजा शिवपुरवा में आराजी नम्बर 89 रकबा 20294 हेक्टेयर सगरा ताल को पाटने और बेचने के सम्पूर्ण कार्यों को रोकने तथा उसके मूल स्वरूप को बनाये रखने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित तालाब के 2.067 हे0 रकबा, जो विभिन्न खातेदारों के नाम श्रेणी-3 असामी के रूप में दर्ज है, से अंकित खातेदारों के नाम निरस्त करने हेतु वाद न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन मंत्री के भाषण में आपत्तिजनक शब्दों से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आपसे निवेदन है कि आप अपनी-अपनी सीट पर चलें, मेरा अनुरोध है कि अपनी सीटों पर चलें। मा0 नेतागण हैं जो बात करेंगे। मा0 सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

(सभी सदस्य सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, प्रदेश में लोकतंत्र के बारे में जो हम लोगों की शंकायें हैं और जो यह शंका होती है कि सरकार रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। कल इस मंत्रि-मण्डल के एक सदस्य ने खड़े होकर चुनौतीपूर्ण भाषा में कहा है मैं होता तो बेईमानी करता डंके की चोट पर करता।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शान्त रहें।

श्री लालजी टण्डन-

मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदार मंत्री सदन के अन्दर बयान दे रहे हैं तो वह सरकार की नीति मानी जायेगी। इस सरकार की मंशा के ऊपर उनके मंत्री मोहर लगा रहे हैं कि यह सही है ऐसे ही होगा और कल खेद है कल मुख्य मंत्री जी खड़े हुए तो उन्होंने भी कहा ठीक कह रहे हैं। अगर यह सरकार की मंशा नहीं थी तो वह सदन में धमकी नहीं दिलवाना चाहते थे तो उनको उसी समय इसका खण्डन करना चाहिये था। रोकना चाहिये था। मान्यवर, यह किसी मंत्री के आचरण के लिये बड़ा कलंक है। जो सदन की गरिमा को छोड़कर जहां वाद-विवाद से समस्यायें हल होती हैं। वहां जोर जर्बदस्ती, चोरी और सीनाजोरी के बल पर करेंगे। इस तरह की घटना जो कल हुई है सारे विपक्ष में इससे असंतोष है, क्षोभ है। हमें दुख है सदन के आखिरी दिन हमारे सदस्यों को वेल में बैठना पड़ रहा है। क्योंकि हम यहां ऐसी बातों को स्वीकार कर लेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जायेगा। सदन की महत्ता नहीं रह जायेगा। मान्यवर, इस सदन के सम्मान को बचाने के लिये नैतिकता के आधार पर सदन की मर्यादा को बचाने के लिये नरेश अग्रवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिये।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, कल महामहिम राजयपाल के अभिभाषण पर सदन के अन्दर जिस तरीके से हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित मंत्री ने अपनी बात कहते हुये कहा कि नेता सदन की जगह पर यदि मैं होता तो गुण्डागर्दी डंके की चोट पर करता, एक भी सीट विपक्ष को नहीं जीतने देता और जिस प्रकार अपनी छाती ठोंकी, सीना ठोंका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां संविधान है, कानून है, लोकतंत्र है और इसीलिये हम सभी माननीय सदस्य संविधान के दायरे में लोकतंत्र की रक्षा के लिये समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही के लिये कहते हैं। मान्यवर, एक माननीय वरिष्ठ मंत्री द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाना खेदजनक ही नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करने की सरकार की नीयत बन गयी है। चूंकि मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है इसलिये यदि किसी भी मंत्री के द्वारा कोई भी वक्तव्य दिया जाता है तो वह सामूहिक मंत्रि-मण्डल की जिम्मेदारी मानी जाती है। हमेशा यह सदन परम्पराओं से चला है, संविधान के दायरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में चला है, कानून की हमेशा रक्षा हुई है और लोकतंत्र की रक्षा के लिये हम सभी निर्वाचित सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से आते हैं, इसलिये हम केवल माननीय मंत्री जी के अभिभाषण पर खेद ही नहीं व्यक्त करते हैं, बल्कि मांग करते हैं कि इसके लिये नरेश चन्द्र अग्रवाल को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कुछ न कह कर केवल कार्यवाही के पेज-109 का एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूं।

*परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

अगर नहीं हुये होते तो आप नहीं जीतते उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में साढ़े तीन हजार वोटों से हमारा प्रत्याशी नहीं हारता। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा है कि इलाहाबाद में जीत गये, हम होते तो देखते कि कैसे जीतते ? हम बताते कि कैसे जीता जाता है चुनाव। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा थी कि इलाहाबाद में जीत गये। हुकुम सिंह जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ जीते हैं लेकिन आरोप यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में फेयर चुनाव नहीं होंगे, हमने तो कभी नहीं कहा, आपकी सरकार में भी चुनाव हुये, हमने तो नहीं कह कि चुनाव फेयर नहीं किये। विपक्ष की ओर से-आप होते तो बेइमानी करते ?" मंत्री जी ने कहा कि "हम होते तो बिल्कुल करते, डंके की चोट पर करते।" मान्यवर, यह वक्तव्य विभाग चलाने के लिये आता या किसी नीति के लिये कहा जाता, तब ठीक होता लेकिन जब डंके की चोट पर मंत्री चुनाव जीतेंगे, फिर तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा ? जो राजनीति है और सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत सरकार ने जो कहा है तो आने वाले विधान सभा चुनाव की निष्पक्षता कहां रह जायेगी, यह बता दें ?

*श्री कौकब हमीद-

अध्यक्ष जी, नरेश जी ने इस सदन में बयान दिया और कहा कि हम होते तो बिल्कुल करते, डंके की चोट पर करते। यदि सदन में इस तरह के वक्तव्य आयेंगे ओर मंत्री लोग इस तरह की बात कहेंगे तो आने वाले चुनाव की क्या हैसियत रह जायेगी ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी ने नेता विरोधी दल और माननीय अन्य नेताओं ने जो अपने मन की पीड़ा रखी है और जिस तरह से 11.00 बजे से सदन अव्यवस्थित रहा है, वह जाहिर है, दुख का विषय है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इस एतबार से नहीं कि अव्यवस्थित रहा, बल्कि इसलिये कि जिस मामले को लेकर रहा वह दुख का विषय है नेता सदन के लिये, स्वयं आपके लिये और मेरे लिये भी जिनसे अक्सर नाराज हो जाते हैं, लेकिन कभी बात यहां तक नहीं पहुंचती। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा विवादित व्यक्ति मानते हुये अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, बसपा के साथियों से कांग्रेस पार्टी के साथियों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वह साथी जो लम्हां पहले हमारे साथ थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं होने दी आपनें मैं इसका कारण तो नहीं जानता, बल्कि मेरे साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि उनके लिये दल में कोई नाराजगी हो जाय। मुझसे अक्सर वह साथी कहते हैं कि आपसे मिलकर, आपसे बात करके काम के तरीके को देखकर, हम जो आपके बारे में सोचते थे, जो आपके बारे में सुना था वह सोच सही नहीं थी। थोड़ी देर के लिये शान्ति मिलती है और ऐसा लगता है कि जो मेहनत हम करते हैं समाज के लिये पूरी दयानत से करते हैं उसका सिला आप हम देते हैं। यह सारे दिन बड़े दिन सुकून के गुजरे और बड़ा अच्छा लगा, काश यह आखिरी दिन भी वैसा ही गुजर जाता। आज कितनी मन को पीड़ा है नेता सदन को, उसका इजहार आज चाहें तो वह कर सकते हैं और सिर्फ इसलिये मन को उनकी पीड़ा है कि अच्छे बुरे हालात में आपने उनका साथ दिया। भले ही नीतियों पर नहीं दिया लेकिन सदन को चलाने के लिये किसी भी कड़वाहट को बड़ी मिठास के साथ सबने पी लिया। आज शायद विदा होने वाले थे अगले चुनाव तक के लिये।

एक सदस्य-

अभी और बैठ सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हां बैठ सकते हैं लेकिन चुनाव से पहले का यह आखिरी सत्र लग रहा है। बहुत अच्छे माहौल में हम उठ रहे थे। वाक्या है मेरे साथी हैं, और बहुत पुराने साथी है। इस सदन के। इस सदन के प्रमोद जी के तो वहां से साथी हैं जहां से दोनों ने ऊंगली पकड़कर एक दूसरे के साथ चलना सीखा था। इन्हें कहना चाहिये था कि

"मेरी तो एक बात का कुछ इतना बुरा हुआ,
कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ।"

*श्री प्रमोद कुमार-

जब तक यह मेरे साथ थे, ठीक ठाक थे। यह तो आजम साहब के साथ कोई हो जाता है तो अच्छा भला आदमी बिगड़ जाता है जो कुछ हुआ इनकी वजह से हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है चलिये। कल हुआ यह है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा रहे, राजेन्द्र सिंह राणा जी ने भाषण किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अच्छे घाट का पानी पकड़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह तो घाट-घाट की बात आ गयी थी लेकिन अब तो सही घाट पर हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

सही और आखिरी घाट का मतलब क्या होता है यह शायद आजम खां साहब को मालूम नहीं है। मैं तो यह कहूंगा यह बात आम है कि आपकी इनकी पटती नहीं है, लेकिन यह तो बद्दुआ न दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह घाट तो सबके लिये है। किसी को अगले लम्हे का पता हो तो वह खुदाई का दावा कर दे। मेरे साथी हैं, आपके साथी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जो कुछ आपने कह दिया, राजेन्द्र सिंह राणा जी की बात इसलिये कह रहा था कि कल हम सब राजेन्द्र सिंह राणा जी के भाषण का मजा ले रहे थे, खुश भी हो रहे थे और वह कुछ तथ्य भी कह रहे थे उसी बीच उन्होंने उधर की भाषा के दो शब्द भी इस्तेमाल किया और हुकुम सिंह जी भी मजा ले रहे थे। हमारा सेंस आफ ह्यूमर मजबूर करता है कि हम इन चीजों का मजा लें लेकिन जो बात कल नरेश जी ने कही है उस पर किसी तरह से नेता सदन ने सही नहीं कहा और यह इस बात का मौका था, उस समय पीठ पर उपाध्यक्ष महोदय तशरीफ रखते थे। उन्हें यह अधिकार था और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उस वक्त कार्यवाही से निकाल देते। अगर उसके बाद कोई विरोध होता तो और नेता सदन नापसन्द करते तो उस वक्त शिकायत का मौका मिलता लेकिन आज आपका शिकायत का मौका बिल्कुल बेजा है और अगर आप चाहें तो खुद नरेश अग्रवाल जी उसके लिये खेद व्यक्त करेंगे, मैंने उनसे ऐसी गुजारिश की है और अपने तौर पर भी संसदीय परम्पराओं का पूरा ख्याल रहे, पूरा सम्मान रहे और जिस भारीपन से आप सब साथियों ने पूरे कार्यकाल को लगभग पूरा किया है उसके लिये हम सब आपके अखलाकी तौर पर भी कर्जदार हैं और उस कर्जे की यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी गलतियों का अजाला करें और अपनी गलतियों को को मानें और गलती को कोताही न कहें। गलती को गलती ही कहें क्योंकि गलती को अगर कोताही कहा जायेगा तो गलती का वजन कम हो जायेगा और आने वाले वक्त में कोई इससे बड़ी गलती करेगा। सरकार की यह हरगिज मंशा नहीं थी बिल्कुल नहीं थी, हमारे साथी ने कैसे यह कह दिया और क्यों कर यह मुंह से निकल गया ? कभी-कभी भाग्य में ऐसे क्षण भी लिखे होते हैं कि मन्शा नहीं होती ''लमहों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई'' तो लमहों की खता थी यकीनन खता थी और उसके लिये जाहिर है जो माहौल रहा उस पर खेद है और मैं भी खेद व्यक्त करता हूं और नेता सदन ने भी खेद व्यक्त किया है और अगर आप चाहें, मेरी गुजारिश यह रहेगी अगर आप ऐसा न चाहें तो यह भी संसदीय परम्पराओं में से होगा क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री खुद खेद व्यक्त कर रहे हैं मैं खुद खेद व्यक्त कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से मैं तो चला जाऊंगा यहां से और कोई आयेंगे लेकिन जो भी आयेंगे संजीदा रहे। जो भी आयेंगे उनके लिये इस कुर्सी का सम्मान रहे, संसदीय परम्पराओं का सम्मान रहे और संसदीय कार्य मंत्री का भी सम्मान रहे। मैं माननीय नेता विरोधी दल से, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी से, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी से और माननीय नेता लोकदल से यह गुजारिश करूंगा कि मेरी इस दरखास्त को आप आज आखिरी दिन मान लें, ताकि आज हम बहुत प्यार के माहौल में यहां से रुखसत हो सकें।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब आप बैठ जायें

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, खेद व्यक्त करने के बाद पटापेक्ष हो जाता लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से भी चाहूंगा और ऐसा मैंने उनसे कहा है तो किसी गलती को अगर गलती आदमी मान लेता है तो उसकी बहादुरी है या गलती को गलती स्वीकार करना उसकी महानता है और गलती को सुधारना उसकी बुद्धिमता है तो अगर माननीय परिवहन मंत्री जी भी इस अवसर पर खेद व्यक्त कर देते हैं तो इसमें उनकी बुद्धिमता है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर गलती की है तो सजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। मैं आभारी हूं संसदीय कार्य मंत्री जी का कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गलती की है तो गलती की सजा और कोई नहीं होगी, हमारे लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा मुक्का मारने के बाद और यह सदन में एक सम्मानित मंत्री के रूप में यहां बैठे रहेंगे। मान्यवर, हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर नैतिकता है तो जिस हिम्मत के साथ कल यह कह रहे थे कि हम बेईमानी करेंगे तो आज वह अपनी भूल को सुधारने के लिये कहें कि हम इस्तीफा दे देंगे यहां पर मान्यवर, उदाहरण मौजूद हैं हम लोग उधर बैठते थे कलराज जी मंत्री थे, उनके ऊपर कोई आरोप लगा दिया गया था।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कोई आरोप नहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

श्री लालजी टण्डन-

कोई आरोप था इससे बड़ा कदाचार और कोई नहीं होगा, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते हैं जब तक जांच नहीं होती सिद्ध नहीं होता, जो सदन के सामने कहा गया है जो "आफन्स ऑफ बिफोर दि कोर्ट" उसमें इसकी जरूरत क्या है तो मान्यवर, इनको इस्तीफा देना चाहिए। कलराज मिश्र की नजीर इसी सदन में मौजूद है कि उन्होंने इस्तीफा दिया था और मैं उनको पकड़ कर ले गया था मैंने कहा कि नहीं भावुक होकर ऐसा न करें और इस तरह से जब तक आपके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता किसी के कह देने मात्र से ऐसा करना उचित नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दिया था जो स्वीकार नहीं हुआ। तो मान्यवर, यह कुछ तो मर्यादाओं का पालन करें अगर यह मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम लोगों का इस सदन में बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि आज अन्तिम दिन था इसको बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जाना चाहिए था उसमें हम बड़े दुःखी मन से इस सदन की कार्यवाही का हम सब बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी इस सदन में एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में बैठते हैं। नेता विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है और वह इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए चूंकि लोकतंत्र की परम्पराओं की हत्या हो रही है, इसलिय बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिष्कार करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(इसी मध्य श्री प्रमोद कुमार तिवारी भी अपने कांग्रेस दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(इसी मध्य श्री कौकब हमीद अपने राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, सबको स्वीकार करता हूं।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत हेतु अपेक्षित स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 यशवन्त सिंह की मेरठ मेडिकल कालेज द्वारा पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की वाराणसी कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत महुवाडीह क्रासिंग नं0-4 पर स्वीकृत ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अर्धांश धनराशि देकर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में हैं। चौथी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में संचालित रोजगार गारन्टी योजना में जिला प्रशासन द्वारा भारी लापरवाही एवं कथित घपले की जांच कराकर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाह की सूखाग्रस्त जनपद बांदा में किसानों/मजदूरों के लिये राहत कार्य चलाने एवं पीड़ित किसानों का कर्जा एवं लगान आदि माफ कराने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना चौ0 महेन्द्र सिंह की अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जवां की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों को सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री उदय राज यादव की हरदोई के ग्राम ढ़खियापुर मजरा कोठावां की निवासिनी श्रीमती बृजरानी के साथ की गयी धोखाधड़ी की जांच कराकर उसकी सुरक्षा करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 रामबाबू हरित की आगरा की सदर तहसील के पचकुईयां होते हुए जयपुर हाउस जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर चिकित्सकों को प्रैक्टिस की छूट देने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिऊरा में सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना डा0 धर्मसिंह सैनी की मुजफ्फरनगर की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पचायत लुहारीखुर्द के पूर्व प्रधान एवं पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किये गये शासकीय कोष के

धन के दुरुपयोग की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी में पचपेड़ी घाट पर शारदा नदी में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री आलमबदी की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2004-05 में ग्राम दाऊदपुर में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अरुणवीर सिंह की बलिया के ग्राम सभा दोथ के चकरोड संख्या 281 पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहबाद में निजी नलकूप पर दो व्यक्तियों की हुई आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री सूखदेव राजभर की जनपद उन्नाव की शारदा सहायक (पुरवा ब्रांच) में पूरी क्षमता से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दो नदियों पर कतिपय स्थानों में रपटा पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार की खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को पेण्टेड रोड बनवाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री राम करन आर्य की लखनऊ शहर के निशातगंज ओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत जगना मोड़ से सहनोई चकरावत सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0 कच्चे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की ग्रेटर नोयडा व नोयडा क्षेत्र के किसानों की जमीनों का मुआवजा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू करने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की पीलीभीत के पूरनपुर में थाना कोतवाली के अन्दर एक सिपाही की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इसके अतिरिक्त श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत हेतु अपेक्षित स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभ क्षेत्र पट्टी के ऐसे सभी मार्ग जो पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये हैं उसमें से बहुत से मार्ग संचालन योग्य नहीं रह गये हैं जिसके नवीनीकरण, मरम्मत, विशेष मरम्मत का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के माध्यम से शासन के अनुभाग-1

को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा अपेक्षित स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मेरे पत्र पर संलग्न प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण का पृष्ठांकन भी विभाग को प्राप्त है, परन्तु अभी तक अपेक्षित स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था न हो पाने के कारण हजारों लोगों का आवागमन प्रभावित है और आये दिन जनाक्रोश का सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ मेडिकल कालेज द्वारा पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 यशवन्त सिंह-

[मेरठ मेडिकल कालेज की प्रधानाचार्या द्वारा लगातार चौथी बार पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा कराई जा रही है। हाई कोर्ट द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय को एक से अधिक बार प्रवेश परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी को गलत ठहराया गया है मेरठ मेडिकल कालेज का स्तर स्वतंत्र विश्वविद्यालय का नहीं है। विगत वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण ज्यादातर विद्यार्थी चन्द प्राइवेट मेडिकल कालेजों से आकर चयनित होते हैं इस परीक्षा पर लगे सन्देहास्पद सवाल पर सरकार पारदर्शिता बरतने का कोई प्राविधान करे। जिससे बच्चों के भविष्य पर लगे सवालिया निशान समाप्त हो सके।

अतः उपरोक्त जनहित एवं तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा/वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत मडुवाडीह क्रासिंग नं0-4 पर स्वीकृत ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अर्धांश धनराशि देकर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

[मान्यवर, वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे का महुवाडीह रेलवे स्टेशन है, जो वाराणसी नगर की आबादी के बीच है। स्टेशन के पूरब और पश्चिम में दो रेलवे क्रासिंग द्वार बने हैं जिनसे होकर नित्य हजारों की संख्या में आम जनता, पैदल, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, ट्रक और ट्रैक्टर लेकर आर-पार आते जाते हैं। इस स्टेशन से होकर नित्य 14 ट्रेनें आती जाती हैं जिसके कारण यह दोनों क्रासिंग द्वार नित्य 24 घण्टों में 10 घण्टे से अधिक बन्द रहा करते हैं। ट्रेनों के आवागमन और शंटिंग आदि के समय आधे-आधे घण्टे तक दोनों क्रासिंग द्वार बन्द रहते हैं। जिसके कारण दोनों क्रासिंग द्वारों के दोनों तरफ सवारियों की लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती हैं। जाम की इस स्थिति से लोग परेशान तो होते ही हैं, लोगों के काम का समय भी खराब हो जाता है।

नोट :--। ! यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता की इस परेशानी को देखते हुए उनकी प्रभावी मांग पर तत्कालीन रेलवे मंत्री मा0 निर्तीश कुमार ने महुवाडीह क्रासिंग नम्बर-4 पर एक ओवर ब्रिज बनवाना स्वीकृत कर दिया था। ओवर ब्रिज निर्माण के आगणन 959.18 लाख का अर्धांश स्वीकृत कर रेलवे बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सूचित कर दिया परन्तु तीन वर्ष हुआ कि उ0 प्र0 राज्य सरकार अपने अर्धांश को अभी तक नहीं दे सकी है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है और क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से की धनराशि को जनहित में शीघ्र दे दें जिससे कि ओवर ब्रिज बन जाए और जनता एक त्रासदी से मुक्त हो जाये।]

जनपद चित्रकूट में संचालित रोजगार गारण्टी योजना में जिला प्रशासन द्वारा भारी लापरवाही एवं कथित घपले की जांच कराकर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद-

[जनपद-चित्रकूट में रोजगार गारन्टी कानून के प्राविधान के तहत रोजगार गारन्टी योजना संचालित है जिला प्रशासन के द्वारा भारी लापरवाही व घपला किया जा रहा है केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धनराशि का बंदरबाट किया जा रहा है। ब्लाक-मानिकपुर, ग्राम-रामपुर व कल्यानपुर, बरायमाफी, सकरौंहा, चमरौंहा, ऊंचाडीह, कोटा, कदैला, निहीचरैया, किचरी, किहुनियां, आदि गांवों में मजदूरों से जबरदस्ती जाब कार्ड छुड़ाकर उसमें मजदूरी का भुगतान फर्जी तरीके से चढ़ा दिया गया है जबकि उक्त ग्रामों में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है न मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया इसके अतिरिक्त जनपद चित्रकूट में दस्यु गिरोहों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत धन छुड़ा लिया जा रहा है। फलस्वरूप जनपद चित्रकूट से लगभग 30,000/- मजदूर अन्य प्रान्तों में पलायन कर गया है। जनपद चित्रकूट में रोजगार गारंटी कानून को लागू हुए एक वर्ष बीत चुका है और मजदूरों को न रोजगार उपलब्ध हो सका और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया गया है जिससे जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रोजगार गारंटी योजना की धनराशि से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

सूखाग्रस्त जनपद बांदा में किसानों/मजदूरों के लिये राहत कार्य चलाने एवं पीड़ित किसानों का कर्जा एवं लगान आदि माफ कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[बांदा जनपद भीषण अकाल व सूखा की चपेट में है जहां पर अधिकांश कुएं, नाले, तालाब सूख गये हैं, जलस्तर कुओं का गिर गया है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनकी हजारों

नोट :--i] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एकड़ भूमि बिना बोये फसल खड़ी है। वहां राहत कार्य न चलाये जाने से मजदूर व किसान अपनी जीवन-यापन करने हेतु अन्य प्रान्तों में पलायन कर गये हैं उनके जानवरों के लिये भीषण चारे का संकट है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है एवं जनता आन्दोलित है। जनपद-बांदा के किसान व मजदूर परेशान हैं।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सूखाग्रस्त क्षेत्र जनपद-बांदा के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु सिंचाई सुविधा के लिये 5000/- छूट वाले किसान पावर कनेक्शन एवं 100 राजकीय नलकूप उपलब्ध कराकर जनता के सूखा राहत कार्य चलाये, जानवरों के लिये चारा की व्यवस्था कराने, किसानों का कर्जा, लगान, सींच आदि का कर माफ कराकर बांदा जनपद की जनता व जानवरों को मरने से बचाये जाने की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जवां की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों को सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 महेन्द्र सिंह-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड-जवां के अन्तर्गत निम्न रोडों का निर्माण न होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है, जो इस प्रकार है रामघाट रोड से बिर्लिएन्ट पब्लिक स्कूल तक, इकरा धौर्रा माफी मस्जिदें इब्राहिम तक, शईद शकील रजा के घर से लेकर स्व0 डा0 अजगर हुसैन बिलग्रामी के घर तक, डा0 मुनीर के घर से लेकर हकीम अब्दुल मन्नान के घर से होता हुआ मस्जिदें इब्राहिम तक, डा0 सलमान मामूद के घर से डा0 तारीक के घर तक सी0सी0 रोड तथा नाली का निर्माण न होने के कारण आम जनता एवं स्कूली छात्रों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सभी सड़कों को सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

हरदोई के ग्राम ढखियापुर मजरा कोठावां की निवासिनी श्रीमती बृजरानी के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच कराकर उसकी सुरक्षा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव-

[मैं आपका ध्यान जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज, ग्राम ढखियाखुर्द मजरा कोठावां की निवासिनी श्रीमती बृजरानी पत्नी स्व0 राम भरोसे की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो एक अनपढ़ हरिजन विधवा महिला है, के जाहिलपन का फायदा उठाकर एक अध्यापक श्री सोबरन लाल आदि ने फर्जी लोन श्रीमती बृजरानी के नाम से बैंक आफ बड़ौदा, शाखा सण्डीला, जनपद हरदोई के द्वारा तीन

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष पूर्व एक ट्रैक्टर निकलवा लिया था। लोन रिकवरी के समय बृजरानी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गयी है। वर्तमान में वह ट्रैक्टर भी श्री सोबरनलाल आदि के पास ही है।

उक्त हरिजन महिला के दो अन्य मकान भी गांव के ही संतराम, छत्रपाल, अजय प्रताप पुत्रगण शिवदीन व श्रीमती किन्दारा पत्नी शिवदीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। इस सम्बन्ध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर जांच कराकर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

आगरा की सदर तहसील के पचकुइयां होते हुए जयपुर हाउस जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रामबाबू हरित-

[जनपद आगरा में सदर तहसील के पचकुइयां होते हुए जयपुर हाउस जाने वाला मुख्य मार्ग है जिस पर सरकार के कई प्रमुख कार्यालय हैं परन्तु सड़क की हालत काफी जर्जर बनी हुई है, जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, पूर्व में मा0 मुख्य मंत्री जी के आगमन पर इस सड़क के गड्ढे भरवाने में आवास विकास प्राधिकरण द्वारा गिट्टियां डलवायी थी, परन्तु डामर न होने से पुनः वहीं स्थिति पैदा हो गयी है और जनता का निकलना मुश्किल हो गया है।

आप जनहित में इस प्रमुख मार्ग को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाने का आदेश करें।]

इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्यति को मान्यता प्रदान कर चिकित्सकों को प्रैक्टिस की छूट देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, विभिन्न शारीरिक रोगों की चिकित्सा के लिये विभिन्न चिकित्सक बहुतेरी विधियों का प्रयोग अनादिकाल से करते रहे हैं। औपचारिक परिषदों की स्थापना तथा चिकित्सा विधियों से एवं चिकित्सकों के मानकीकरण के पूर्व विधियां समाज में लम्बे समय तक अनौपचारिक रूप से प्रयुक्त होती हैं। बाद में एक स्थापित चिकित्सा पद्धति के रूप में इनकी मान्यता होती है।

इलेक्ट्रो-होमियोपैथी भी एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद की तरह पिछले एक शतक से उभरती हुई चिकित्सा पद्धति है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने रिट संख्या-4015/96 पी0आईएल0 के दिनांक 18-11-98 के अपने निर्णय में केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि इलेक्ट्रो-होमियोपैथी के लिये कानून बनाये जायें। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार यह विज्ञप्ति कर सकती है कि इस पैथी को मान्यता नहीं है, लेकिन यह नहीं कह सकती है कि इसे प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है।

नोट :--। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या-एफ-(512)2003/डी0एच0एस0/एच0ओ0/सी0सी0/ए0जी0/8115, दिनांक 20-6-2003 के द्वारा दिल्ली परिक्षेत्र में इलेक्ट्रो-होमियोपैथी चिकित्सकों को केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिस की छूट दे दी है। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने एतद्विषयक विधेयक "छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल विधेयक, 2001 तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित करके इस विद्या को मान्यता दी हैं कर्नाटक सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी निदेशालय ने इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सकों का पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया। महंगाई के इस दौर में यह एक सस्ती, सुलभ एवं हानिविहीन चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने, इसकी डिग्री के मानकीकरण के लिये नियमावली बनाने की कार्यवाही करनी चाहिए तथा जब तक यह कार्यवाही पूर्ण हो इस पद्धति के चिकित्सकों को केवल इस पद्धति से चिकित्सा करने की राजाज्ञा निर्गत करनी चाहिए।

कृपया लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत सरकार को कार्यवाही करने तथा सदन के पटल पर जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिऊरा में सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-सिऊरा जो कि आबादी के मायने में एक बड़ी ग्राम सभा है जिसमें ज्यादातर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। गांव में सिंचाई के लिये न तो नहर है और न ही कोई सरकारी नलकूप है जिससे किसानों की हजारों एकड़ जमीन पानी के अभाव में असिंचित रह जाती है जिसमें यहां के किसान भुखमरी के कगार पर हैं। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा-सिऊरा में एक सरकारी नलकूप लगवाये जाने की जाने की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लुहारीखुर्द के पूर्व प्रधान एवं पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किये गये शासकीय कोष के धन के दुरुपयोग की जांच कर कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील-सदर, विकास खण्ड-चरथावल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लुहारीखुर्द के पूर्व प्रधान एवं पंचायत विकास अधिकारी श्री सियानन्द ने ग्राम सभा में सांसद निधि, विधायक निधि एवं ग्रामसभा के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि का फर्जी एवं एक ही कार्य को कई-कई बार दिखाकर शासकीय कोष के धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके संबंध में दिनांक 20-3-06 को नायब तहसीलदार, सदर द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर जांच की गई जिसमें नायब तहसीलदार की जांच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व प्रधान व ग्राम

नोट :--! ! यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायत विकास अधिकारी श्री सियानन्द द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत जांच कराने हेतु दि0 30-6-06 तक जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था परन्तु जांच आख्या पूर्ण होने से पहले ही प्रभावित पक्ष मो0 मूस व अन्य द्वारा षडयन्त्र कर पत्रावली चोरी कर ली गई जबकि पत्रावली करोड़ों रुपये के गबन के संबंध में साक्ष्य व अभिलेखों के साथ पूर्ण हो चुकी थी, जिसका मात्र सांख्यकीय मूल्यांकन होना था। सरकारी धन के दुरुपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने से तथा पत्रावली चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय में मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त प्रकरण के दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी में पचपेड़ी घाट पर शारदा नदी में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[जनपद-खीरी में लखीमपुर-निघासन के मध्य शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर बड़ा पुल बन जाने से लखीमपुर से निघासन की दूरी लगभग 25 कि0 मी0 कम हो जाती है। पचपेड़ी घाट पर पुल बनाया जाना प्रस्तावित भी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये पचपेड़ी घाट पर शारदा नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2004-05 में ग्राम दाऊदपुर में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[मैं आप द्वारा माननीय मंत्री जी ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकृष्ट कराते हुये यह कहना चाहता हूं कि उपरोक्त ग्राम का कार्य विद्युत खण्ड-1 द्वारा शुरू किया गया था और आज उस क्षेत्र को विद्युत खण्ड-3 देख रहा है।

उपरोक्त दोनों खण्डों से बार-बार सम्पर्क करने पर भी दाऊदपुर के विद्युतीकरण के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है और न ही अधूरे कार्य को पूर्ण होने की सम्भावना है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की कृपा करें।]

बलिया के ग्राम सभा दोध के चकरोड संख्या 281 पर हुये अवैध कब्जे को हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरुणवीर सिंह-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया के विकास खण्ड-सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा दोध के चकरोड संख्या 281 जिस पर कब्जा है और यह प्रकरण मा0 राजस्व मंत्री के संज्ञान में लाया गया था जिस पर मा0 राजस्व मंत्री

नोट :--। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी के पत्र संख्या 2089 दिनांक 6-7-2006 द्वारा डी0 एम0 बलिया को निर्देशित किया गया था जिसमें डी0 एम0 बलिया द्वारा एस0 डी0 एम0 सीयर से रिपोर्ट मांगी गयी थी वहां से लिख कर भेज दिया गया कि कब्जा हटाया गया हैं, जो जवाब गलत है। यह प्रकरण विधान सभा में लगा था नियम 51 के तहत, उसका गलत जवाब भेजकर शासन व डी0 एम0 को गुमराह किया गया, यही नहीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2006 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 17 जिसके उत्तर में स्पष्ट बताया गया कि खरीफ फसल कटने के बाद कब्जा हटाकर रास्ता का निर्माण करा दिया जायेगा परन्तु चकरोड संख्या 281 पर कुछ नहीं हुआ, मार्च, 06 में थोड़ा कब्जा हटाया गया जिस पर कब्जा हुआ, काफी लिखापढ़ी के बाद अप्रैल, 06 में थोड़ा कब्जा हटाया गया, जिस पर पुनः छप्पर व अन्य अवरोध पैदा कर कब्जा कर लिया गया है। गलत तथ्य भेजकर जिलाधिकारी, बलिया व शासन को गुमराह करते स्थानीय अधिकारी आ रहे हैं। दिनांक 18-1-07 के मा0 राजस्व मंत्री के पत्र संख्या 11 आर द्वारा जिला अधिकारी, बलिया से 31 जनवरी तक आख्या मांगी गई है वह भी अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। चकरोड संख्या 281 पर कब्जा होने से गांव के लोगों को परेशानी हो रही है और उच्च अधिकारी मौके पर जाकर नपवा कर खूटा आदि गड़वा देते, और जो पूर्व से खूंटा आदि गड़ा है उसको फेंकवाने के लिये प्रधान तैयार है। खरीफ फसल कटने के बाद कार्यवाही न करना और जान बूझकर कानूनगो को ही भेजना मामले को लटकाये रखना, संदेहास्पद है सदन की अवमानना हो रही है इसकी जांच हो कि सदन में दिये गये उत्तर का पालन किस स्तर से नहीं हुआ है वह दण्डित हों, गांव के लोग परेशान हैं पशुओं व अपने वाहनों को लेकर आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों में रोश व्याप्त है आन्दोलित हैं। जनहित का, रास्ते से जुड़ा प्रकरण है विलम्ब करने वाले दण्डित किये जाये, कानूनगो की भूमिका की जांच हो, उच्च अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर देखें, और आश्वासन को पूर्ण किया जाये।

अतः इस पर सरकार तत्काल वक्तव्य तथा अवरोध चकरोड 281 को नाप कर फेंकवाने रास्ते को चालू कराने विलम्ब करने वाले को दण्डित करने, गलत सूचना भेजकर गुमराह करने वाले लोगों को दण्डित भी किया जाये।]

हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी पर बने पेन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद की 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में अजमतनगर टटिया के पास गर्रा नदी पर पेन्टून ब्रिज बना है जो साल भर नहीं चलता है 2, 4 महीने चलता है वह भी टूटा फूटा बिगड़ा रहता है जिसके कारण जनता का आवागमन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है और इस क्षेत्र की लाखों लाख जनता आये दिन कठिनाइयों का सामना करती रहती है जिससे क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष तथा आक्रोप व्याप्त रहता है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त गर्रा नदी पर पक्का पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

नोट :--। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहाबाद में निजी नलकूप पर दो व्यक्तियों की हुयी आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र आंवला जनपद बरेली में दिनांक 20-1-2007 को ग्राम शाहाबाद थाना आंवला के श्री अजय पाल पुत्र श्री भवानी उम्र 28 वर्ष व श्री ठाकुर दास पुत्र श्री चन्द्रपाल उम्र 18 वर्ष की रात्रि में निजी नलकूप पर सोते समय मृत्यु हो गयी। यह दोनों रात्रि में बिजली आने पर गेहूं पर छिड़कने हेतु खरपतवार नाशक दवा ले जाकर ट्यूबवेल में रख ली, जिसके लीक हो जाने से ट्यूबवेल की छोटी कोठरी जिसमें खिड़की इत्यादि नहीं थी के कारण गैस से दम घुटने पर मृत्यु हो गयी। प्रातः घर वाले खेत पर गये तो देखा ट्यूबवेल का दरवाजा अन्दर से बन्द है उसे खटखटाया तो भी नहीं उठे तो छत तोड़कर देखा तो दोनों सोते दिखाई दिये और गैस की भाप ऊपर से निकली व दरवाजा खोला तो भी गैस बाहर निकली।

अतः गैस के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गयी।

1-मृतक अजयपाल के 3 छोटे बच्चे सुनील 6 वर्ष, कु0 सीमा-4 वर्ष, राहुल-1 माह

2-मृतक ठाकुर दास अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा घर का वही सहारा था।

उक्त दोनों परिवार बेसहारा हो गये इससे दोनों परिवारों में अन्धकार छा गया है घर में भविष्य को लेकर चीत्कार मचा है।

अतः इस अति संवेदनशील व अनहोनी घटना पर मा0 मुख्य मंत्री जी से मुख्य मंत्री कोष से 2-2 लाख रु0 की सहायता देने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव की शारदा सहायक (पुरवा ब्रांच) में पूरी क्षमता से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में लाना चाहता हूं।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कृषकों की फसलों की सिंचाई नहर पर आश्रित है। जिनकी फसलों की सिंचाई हेतु पानी शारदा सहायक पुरवा ब्रांच से प्राप्त होता है। किन्तु अनियमितताओं के कारण एवं भेदभाव के कारण उक्त ब्रांच में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जाता है। मात्रा से कम जब पानी छोड़ा जाता है तो लोग सिंचाई विभाग के निचले कर्मचारियों की सांठगांठ से ब्रांच में पटरे डालकर/बांध लगाकर पानी रोककर माइनरों एवं कुलाबों में पानी खींच लेते हैं। जिससे इन लोगों की फसलों के लिये पानी नहीं पहुंच पाता है।

पानी न पहुंचने से उक्त क्षेत्र के किसानों की रवी की फसलें सूख रही है। सिंचाई न कर पाने के कारण किसानों की जीविका का एक मात्र सहारा खेती लगभग समाप्त प्राय है। जनपद-उन्नाव

नोट :--( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु उन्नाव की शारदा सहायक ब्रांच (पुरवा ब्रांच) में पूरी क्षमता से पानी छोड़ा जाना अति आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोकहित के इस मामले में आवश्यक निर्देश देते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मेरठ में नियमित विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर में सरकार के विद्युत आपूर्ति के सभी दावे थोथे साबित हुये।

इस समय मेरठ में 8-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, वह भी बिना किसी रोस्टर के, कुछ पता नहीं कब बिजली चली जायेगी, कब आयेगी, उसके कारण उद्योग धंधे ठप्प हो रहे हैं, डीजल जनरेटिंग सेट महंगा भी पड़ रहा है, तथा वायु एवं शोर प्रदूषण का कारण भी बन रहा है, छोटे लघु उद्योग जिन पर जनरेटर नहीं है, तो ठप्प हो जाते हैं, लघु उद्यमियों के समक्ष अपने उद्योगों के वचनबद्ध व्यय वेतन आदि देना भी कठिन हो रहा है।

अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। पीक समय में बिजली जाने में व्यापार भी प्रभावित हुआ है, छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जब जाड़ों में यह हाल है तो आगामी ग्रीष्म में क्या हाहाकार मचेगा, यह स्पष्ट अभी से दिख रहा है। सरकार सो रही है, रोम जल रहा है, नीरोवंशी बजा रहा है की कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दो नदियों पर कतिपय स्थानों में रपटा पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की लोक महत्व की सूचना देते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

मेरे क्षेत्र जहांनाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों रिन्द नदी पर रपटा पुल बनाना बहुत ही आवश्यक है।

1-ग्राम खूंटा और ग्राम गढ़ी के बीच रिन्द नदी पर रट्टा पुल का निर्माण।

2-ग्राम मानेपुर और ग्राम पन्थौरा के क्षेत्र नोन नदी पर रपटा पुल का निर्माण।

3-ग्राम इटरा के सामने नोन नदी पर रपटा पुल का निमांण।

उपरोक्त रपटा पुलों का निर्माण होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन पुलों के निर्माण से तहसील-बिन्दकी जाने तथा हमीरपुर जाने के लिये जनता व किसानों को अपनी फसल आदि व गल्ला आदि ले जाने में अत्यन्त सुविधा होगी। जनहित को देखते हुये उक्त रपटा पुल बनवाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के बांझी गांव से गांव जगीर होते हुये गांव बेलाविरवा से हसनापुर तक सड़क का बनना अति आवश्यक है। इसके अलावा गांव मवईकलां से साहब हुलासी दास की कुटिया होते हुये रहीमाबाद तक सड़क का निर्माण अति आवश्यक है। यह लोक महत्व व जनहित के मामले हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि नियम 301 के तहत स्वीकार करके उक्त कार्य को कराने का निर्देश देने की कृपा करें।]

खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को पेन्टेड रोड बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[मेरे विधान सभा 53 पैला, जनपद-लखीमपुर खीरी विकास खण्ड-बेहजम के अन्तर्गत निम्न रोडों का निर्माण न होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। जो इस प्रकार है। मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग के सलिहाबाद चौराहे से कोरई होते हुये खरगपुर बिलरिया पेन्टेड मार्ग तक, बभनाबाद पेन्टेड रोड से सोनौरा होते हुये नीमगांव पेन्टेड रोड तक, अटवां पेन्टेड रोड से अइटा होते हुये रजागंज पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग तक, परसेहरा रोड से भदुरा पेन्टेड रोड तक अटवां पेन्टेड रोड से भोड़इयां कोटवा से बहदुरापुर होते हुये खजुहा चौराहे पेन्टेड रोड तक का निर्माण न होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा एवं अनेक छात्रों को आने जाने तथा राहगीरों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त सड़कों को पेन्टेड रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ शहर के निशातगंज ओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व एवं जनहित के विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:-

लखनऊ शहर के निशातगंज के ओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ की सड़कें निशातगंज चौकी से गोल मार्केट के चौराहे तक तथा हनुमान मंदिर से बादशाहनगर चौराहे तक दोनों तरफ की सड़कों में आधे फिट से एक फिट के गड्ढे हो गये हैं। करामत मार्केट की मस्जिद के सामने तथा हनुमान मंदिर के पास लगभग दो-दो फिट के गड्ढे हैं जिसके कारण उक्त सड़कों पर यातायात के संचालन में

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी असुविधा होती है तथा अक्सर दुर्घटनायें हो जाती हैं इसके अलावा गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से आवागमन में और भी अधिक कठिनाई होती है। लखनऊ नगर निगम द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि उपरिगामी सेतु के नीचे का भाग लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2002 में नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में उपरिगामी सेतु के नीचे वाले मार्ग का भाग नगर निगम के अधीन है जिसकी मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम लखनऊ द्वारा की जानी है।

अतः जनता की आवागमन की परेशानी को देखते हुये उक्त सड़कों को यथाशीघ्र बनवाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत जगना मोड़ से सहरोई चकरावत सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0 मी0 कच्चे मार्ग को डामरीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड ऐलिया में ग्राम जगना के मोड़ से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क से सहरोई चकरावत सम्पर्क मार्ग तक लगभग 4 कि0 मी0 तक रास्ता कच्चा व अत्यन्त खराब है। यह मार्ग विकास खण्ड ऐलिया तथा विकास खण्ड हरगांव को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है इसी मार्ग से गन्ना किसान अपना गन्ना ट्राली ट्रैक्टर व डनलप बैलगाड़ियों से अवध शुगर मिल्स हरगांव को ले जाते हैं। रास्ता कच्चा व अत्यन्त खराब होने के कारण वाहन पलट जाते है। तथा काफी असुविधा होती है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड ऐलिया के अन्तर्गत जगना मोड़ से सहरोई चकरावत सम्पर्क मार्ग के बीच का अवशेष कच्चे मार्ग के पक्का डामर रोड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

ग्रेटर नोयडा व नोयडा क्षेत्र के किसानों की जमीनों का मुआवजा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर-

[नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में जमीनों की बिक्री दर बहुत ऊंची है किन्तु किसानों से जमीन ग्रेटर नोएडा में 322/- रु0 प्रति मी0 एवं नोएडा में 450/- रु0 प्रति मी0 ली जा रही है। जबकि साथ के क्षेत्र गाजियाबाद में आवास विकास परिषद् द्वारा 800/- रु0 प्रति मीटर की दर से मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार क्षेत्र के किसानों में कम मुआवजा दिये जाने व बनी आबादियों को भी अधिग्रहण में शामिल कर लिये जाने के कारण भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है जो आये दिन पंचायतों एवं आन्दोलनों के माध्यम से लगातार व्यक्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर 02 जनवरी, 2007 को कई हजार किसानों की पंचायत में समस्याएं हल न होने तक व्यापक आन्दोलन चलाये जाने का निर्णय लिया गया है और इस विषय में संतोषजनक

नोट :--। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही न करने के कारण 06 दिसम्बर को प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ताला बन्द कार्यक्रम में किसानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है।

अतः इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा के गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम, बहादुरगढ़, भैना, जखेडा व दत्रियाना में कई महीने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हो चुका है। लेकिन विभाग (स्वास्थ्य चिकित्सा) ने चालू नहीं किया है जिससे वहां पर पीड़ित ग्राम वासियों के लिये परेशानी हो रही है। क्योंकि यह सूचना जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी है अविलम्बनीय व महत्वपूर्ण है अतः सम्बन्धित विभागों को शीघ्र शुरू करने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।]

पीलीभीत के पूरनपुर में थाना कोतवाली के अन्दर एक सिपाही की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर पीलीभीत में दिनांक 23/24 जनवरी, 2007 की रात्रि में थाना कोतवाली पूरनपुर में अन्दर श्री हरिपाल सिंह सिपाही की थाने के अन्दर ही हत्या कर दी गयी। थाने से एक दूसरे सिपाही देशराज सिंह द्वारा ही हरिपाल सिंह की हत्या की गयी ऐसा विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है। इससे पूर्व दिनांक 7 जनवरी, 2007 को रात्रि में थाना हजारा के अन्दर श्री दलजीत सिंह मान एवं श्री ददराम की हत्या की गयी थी, अभी लोगों के मन से इस घटना की याद समाप्त भी नहीं हुई थी कि इसी बीच थाना पूरनपुर में श्री हरिपाल सिंह सिपाही की हत्या कर दी गयी। सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, व्यापार मण्डल आदि द्वारा जब इस घटना का विरोध किया गया तो उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और सड़कों के ऊपर दौड़ा-दौड़ाकर राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की बेरहमी के साथ पिटाई की गयी जिससे वहां के नागरिकों में घोर असन्तोष एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

मान्यवर, जिला प्रशासन और सरकार की निष्क्रियता के चलते थानों में इस तरीके की घटनाओं के होने से अपराधियों के हौसले और बुलन्द हो रहे हैं, लोगों में पुलिस के खिलाफ अत्यधिक आक्रोश है। मुझे सन्देह है कि पुलिस अपनी विफलता को छिपाने के लिए राजनैतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापार मण्डल के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी ढंग से उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कर सकती है, यदि ऐसा हुआ तो इससे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव एवं मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान*

इसके अतिरिक्त, इसके बाद की सारी मदों को स्थगित करते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मद संख्या-1 पर अपनी बात कहें।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर) - (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि संसदीय परम्पराओं को फिर से अंगूठा दिखाया जा रहा है और किस तरह की आज राजनीति में लोग हो गये हैं। आप नरेश अग्रवाल की बात करते हैं, नरेश अग्रवाल से भी घटिया लोग हैं। (मेजों की थपथपाहट) कुछ यहां कहते हैं और जबकि आपके चैम्बर के समक्ष यह फैसला होकर आता है कि वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ओर खेद व्यक्त कर दिया जायेगा। पांच मिनट के अन्दर ही यह अपने से बदल गये। यह दोगले चरित्र के लोग राजनीति में रहेंगे। (शेम-शेम की आवाजें) हम जानते हैं कि कितने स्वार्थी लोग हैं कितने अवसरवादी लोग हैं। इनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे लोगों के राजनीति में रहने से संसदीय परम्पराओं को नुकसान पहुंच रहा हैं और लोकतंत्र को यह कमजोर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी टिप्पणी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीधे-सीधे कितनी बार आरोप पीठासीन अधिकारियों और आपके आसन पर लगाया है, ऐसे लोग हैं यह, इनकी हिम्मत नहीं हैं, झूठ बोलने वाले हैं, मेरा भाषण नहीं सुनना चाह रहे थे इनके पास है क्या ?

हम जानते हैं कि अभी सरकार हमारे हाथ में है और जब तक हैं, तब बहुत से लोगों को कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। इस सदन में निन्दा करता हूं कि ऐसे सिद्धान्तहीन, अवसरवादी, लोकतंत्र विरोधी और घटिया विचारधारा के लोग जिनकी कोई नीति नहीं है, विचार नहीं, ऐसे लोगों का जनता के बीच जाकर अच्छी तरह से इनका जवाब दिया जायेगा। जनता के बीच जाकर ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जवाब देना है। आज हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन जनता के बीच निकल गये, इनकी वह सारी नीति, लोकतंत्र विरोधी कार्य प्रणाली जनता को समझायेंगे और इनमें 70 फीसदी आने वाले नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) फिर हम इस सदन में निन्दा करते हैं कि ऐसे लोग, जो अनैतिक राजनीति को करने वाले लोग हैं, अपनी बात कह करके, बहिष्कार करके, नेता सदन की बात नहीं सुनना चाहते। इसलिये हम निन्दा करते हैं। जब संसदीय कार्य मंत्री खेद व्यक्त करते हैं, यह परम्परा रही है। यह लोग इस मामले को कलराज मिश्र से जोड़ते हैं। वह भ्रष्टाचार का मामला था और आज मैं कहना चाहता हूं, कार्यवाही में आ जाना चाहिये, कि इस भ्रष्टाचार में फंसे हुये कलराज मिश्रा जी को हमने बचाया था। हमको टेलीफोन किया था, आज स्वर्गीय बाबूराम जी नहीं हैं हमारे बीच में। उन्होनें गंभीर आरोप लगाया था और वही सही भी था। जांच हो जाती तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता। हमने उसी वक्त अपने विधान मंडल दल की बैठक बुलाकर अपने साथियों को कहा कि राजनीति में हो सकता है कि भूल हो गयी हो, कलराज मिश्र जी के खिलाफ आप

---

* महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के लिये देखिये दिनांक 24 जनवरी, 2007 की कार्यवाही।

सब बोलना बंद करें और हमारे सब साथी जानते हैं कि बाबूराम जी की इच्छा के विरूद्ध किस तरह से सदन में घुमाफिरा कर बात को कहलवाया, वह सीधा कहना ही नहीं चाहते थे। वह कह रहे थे कि हमारी सदस्यता चली जायेगी। आसन से आया कि बाबूराम जी के दो मामले हैं उधर मुख्य मंत्री पर आरोप लगा दिया कि आप डी0जी0पी0 से पैसा लेते हो। उन्होनें कहा कि मैं इसे संज्ञान में लेता हूं। मैं पीछे बैठा था, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। बाद में, यह सच है कि उस समय के अध्यक्ष जी ने हमसे खेद व्यक्त किया कि मैं आपको देख नहीं पाया था वरना आपको तो मौका जरूर दिया होता। हम आपको बोलने देते, हम रास्ता निकाल लेते, उसी समय हल कर देते। यह भी कल्पना के आधार पर, कि अगर हम मुख्य मंत्री होते। बताइये। इसमें कौन सा गंभीर आरोप है ? उसके बाद भी संसदीय कार्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया। यह तो कल्पना है और कल्पना के आधार पर कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। आगे क्या होना, क्या नहीं होना है, अगर हम मुख्य मंत्री हो जाते मैं पूछना चाहता हूं आप ही सोचिये, इसका अर्थ लगाइये। इन्होंने कहा कि इन मुख्य मंत्री ने निष्पक्ष चुनाव कराये हैं। यह मैंने कहा था, जिस सन्दर्भ में कहा था, वह सन्दर्भ ले लीजिये। उधर आसन पर उपाध्यक्ष महोदय थे, उनका अधिकार था, वह चाहते तो इसे कार्यवाही से निकाल देते। लेकिन उनको लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं आप देख चुके हैं, हमने इनको भुगता है। 89-90 में आप थे साथ में। इन्होनें साफ कहा कि संविधान और कानून से कोई वास्ता नहीं है, हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है। इसलिये हमको टकराना पड़ा था और कहा था कि देश आस्था और भावना से नहीं चलेगा, धर्म चल सकता है, सामाजिक संगठन चल सकते हैं, लेकिन देश चलेगा संविधान और कानून से और इसलिये टकराव हुआ और टकराव में मुझे खुशी है कि देश की जनता ने, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने हमारा स्वागत किया, बधाई दी और उस समय की सरकारों ने मुझे टेलीफोन पर बधाई दी और हम कामयाब हुये। उसी का नतीजा है कि भले ही हमारे साथियों को कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि अभी जनता के अन्दर इनकी पहुंच है। इसलिये हम इनकी निन्दा करते हैं और यह आपके सामने बात रखना चाहते हैं कि कल जो किसानों के सम्बन्ध में विशेष बात कही गयी.....। मैं संक्षेप में ही बात रखना चाहता हूं क्योंकि हमारा आपका कार्यक्रम कहीं है। मुझे पता है, देरी तो हो ही गयी, लेकिन अब मजबूरी में सारी बातें रखना पड़ेगी। यह लोग इसलिये भी भाग खड़े हुये कि बहुमत तो है नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया में यह प्रचार इन्होंने कर दिया कि यह अल्पमत की सरकार है, और सब इकट्ठे होने के बाद भी वह गिर गये विधायक। यह भारी संख्या है, भारी बहुमत है क्योंकि हम विश्वासमत भी प्राप्त करेंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पास होने पर वह विश्वासमत प्राप्त करना ही माना जाता है लेकिन फिर भी हम संवैधानिक तरीके से भी करेंगे आपकी अनुमति से लेकिन हम कहना चाहते हैं और किसानों के बारे में बताना चाहते हैं कि भुखमरी के बारे में कितना गलत तथ्य पेश किया गया, यह लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इनको पता है कि हमारे पास पूरा का पूरा चिट्ठा है, दस्तावेज है कि असलियत क्या है यह रिपोर्ट हमारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है, हमारी सरकार की नहीं है, यह रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट है। हम बता देंगे कि वहां के वरिष्ट मंत्रियों की क्या राय है ? महाराष्ट्र के विदर्भ के 11 जिले, आन्ध्र प्रदेश के 16 जिले, कर्नाटक के 7 जिले, केरल के 3 जिले सर्वाधिक किसान आत्महत्या क्षेत्र है। उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया गया है, प्रधान मंत्री ने स्वयं जा करके 18 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किसानों के लिए की। उसके बाद भी 6 माह में

250 के करीब किसानों ने आत्महत्या कर ली केवल विदर्भ में और स्वयं प्रधान मंत्री के दौरे के बाद 18 हजार करोड़ रुपया विशेष पैकेज देने के बाद 5 वर्षों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की।

कर्नाटक में जहां पहले कांग्रेस और फिर भाजपा की सरकार है, दोनों की सरकारों में 5 हजार 910 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों द्वारा की गई आत्महत्या में कर्नाटक राज्य नम्बर एक पर है, कांग्रेस शासित राज्य आन्ध्र प्रदेश दूसरे नम्बर पर है, जहां पर 1835 आत्महत्याएं हुई हैं, महाराष्ट्र तीसरे नम्बर पर है जो कि कांग्रेस शासित राज्य है और भाजपा का भी वहां राज रह चुका है, वहां पर किसानों की 981 आत्महत्याएं हुई हैं और चौथा राज्य केरल है, जहां पर 201 घटनाएं हुई है। एक छोटे राज्य में जहां सम्पूर्ण साक्षरता है और वहां सब पढ़े-लिखे लोग हैं और सबसे ज्यादा आश्चर्य और चौंकाने वाली बात यह है कि चारों के चारों राज्य विकसित राज्य कहे जाते है। इन चारों राज्यों में काफी जागरूकता भी है और सब कुछ है और वहां किसानों को सम्पूर्ण बीमा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक दिया गया है और उसके बावजूद भी आत्महत्याएं इतनी ज्यादा हुईं। इन सबके मुकाबले उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां साढ़े तीन साल इस सरकार को होने जा रहे हैं लेकिन एक भी किसान ने यहां पर आत्महत्या नहीं की है। आत्महत्या हुई लेकिन दूसरे कारणों से हुई। मानवाधिकार भी जाए जांच करा ले, हमने भी जांच करा लिया है, उत्तर प्रदेश के किसानों को तीन साढ़े तीन साल के अन्दर जितना लाभ हुआ है, उतना किसी भी समय में नहीं हुआ। आज हिन्दुस्तान में सबसे कम कर्जदार किसान उत्तर प्रदेश का किसान है। यह लोग नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसानों को लाभकारी मूल्य दिया गया है। आप देखेंगे कि तीन साढ़े तीन साल के अन्दर सबसे ज्यादा खुशी यह है कि आलू का किसान हमेशा मारा जाता था, मजबूर था, आलू बोता था, आलू खेतों में छोड़ देता था क्योंकि उसकी उतनी कीमत नहीं मिलती थी जितना आलू खोद करके निकालने में लागत आती थी। आगरा जिले में जब बी0एस0पी0 और बी0जे0पी0 का राज था, जानते होंगे, आगरा के विधायक बैठे हैं और किसान ले गया, मजदूरी, खुदाई, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, डीजल सब कुछ मिला करके किसान जब गया तो आलू की फसल पर जितनी खुदाई और मजदूरी लगी थी उतनी कीमत भी उसको नहीं मिली। जब किसान लौटकर घर आया और उसे आलू की पैदावार की कीमत नहीं मिली तब उसने आत्महत्या कर ली। हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गये और सरकार में न रहते हुए भी उनकी आर्थिक मदद की । इतनी संवेदनहीन सरकार थी। जिन्होंने कुछ थोड़ी-बहुत मदद की, वह सबसे ज्यादा क्रूर मजाक था।

कांग्रेस पार्टी की, बी0जे0पी0 की नीतियां किसान विरोधी रही हैं और कांग्रेस की नीतियों ने ही हिन्दुस्तान को चौपट किया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता थे आजादी के आन्दोलन के जो सबसे शानदार नेता थे, 1947 की आजादी जो मिली है, साम्राज्यवाद की आखिरी कील हिलाने वाले जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव और डा0 राम मनोहर लोहिया ये मुख्य थे। याद हम लोगों को नहीं है लेकिन पढ़ा है। कहा कि इन्होंने रास्ता छोड़ दिया, अब यह गांधी जी का रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चले गये हैं, गांव और किसानों को भूल गये है। ये कांग्रेस के लोग नहीं सुनना चाहते थे, बी0जे0पी0 के लोग भी नहीं सुनना चाह रहे थे। अब इतनी फसल की पैदावार बढ़ी, गन्ना आलू सबसे ज्यादा पैदा हुआ और कीमत भी अच्छी मिली। बड़े पैमाने पर आलू का पहली बार निर्यात हुआ। जब देश का औसत उत्पादन घटा तो हमारे उत्तर प्रदेश का उत्पादन बढ़ा है। दुर्भाग्य है कि दसवीं योजना

में देश की आर्थिक वृद्धि 8.5 व 9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है, उसमें से कृषि का योगदान केवल 1.5 प्रतिशत है। जब देश की आर्थिक वृद्धि 8.5 व 9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है तो आप देखेंगे कि कृषि का योगदान 1.5 प्रतिशत पर ठहर गया। यह देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाने के लिये खेती की पैदावार बढ़ानी है। किसानों की जमीन जबरदस्ती उद्योगों को सीधे देने के बजाय उद्योगपतियों ने सीधे किसान से सौदा किया। यह कारण है, इनकी उन्हें उचित कीमत दी, जिसके कारण कहीं भी उद्योग लगाने का विरोध नहीं हुआ। यह तो कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं, पैसा लेकर उद्योगपतियों से विरोध कर रहे हैं। उद्योगपतियों की होड़ है इसलिए कि एक रिलायंस कम्पनी के एक मालिक का इतना बड़ा कारखाना न लगे। केवल 25 हजार एकड़ जमीन हुई भी नहीं, कुछ कम ही है, पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन 25 हजार एकड़ जमीन हरियाणा में है वहां नजदीक जाने की हिम्मत नहीं है। अगर ये कांग्रेसी दलाल जो कथित रूप से मजदूर और किसानों की बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाते, जो गये उनकी क्या हालत हुई ? हिम्मत हो तो कहें कि पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त करो। वहां कितनी जमीन दी गयी ? उड़ीसा में कितनी जमीन दी गयी ? केवल उत्तर प्रदेश की सरकार से परेशानी है और हमारी सरकार से परेशानी है और परेशानी का कारण क्या है, वह हम आपको बता दें। अब उद्योग लगाने के लिये आन्दोलन नहीं है। गांवों के लोगों को, कुछ लोगों को बहकाया है। वह भी मंशा पूरी नहीं हुई। हम लोग आन्दोलन कराते थे, गेंदा बाबू से लेकर अभी तक कैसा आन्दोलन हुआ और कैसे-कैसे आन्दोलन खड़े कर दिये। आपको याद होगा । हम जैसे लोग भी बचपन में जेल गये थे, उस वक्त सरकार को झुकना पड़ा था। सारी जेलें भर दी थीं उत्तर प्रदेश की। नतीजा यह हुआ कि 3 आना प्रैसा सिंचाई की दर घटानी पड़ी थी और बिना शर्त डा0 लोहिया की बहस के कारण सारे समाजवादी नेता और कार्यकर्ता रिहा हो गये थे। लम्बी कैदें हुई थी इनको 6-6 महीने की। आर0एस0एस0 के लोग रहे जेल में, इटावा में थे, लिखित माफी मांगते थे। हम कभी माफी मांगे ? रिकार्ड है। यही नहीं, जब पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा में लड़ाई छिड़ी, मधुलिमये और डा0 राम मनोहर लोहिया की कितनी इज्जत है गोवा में। लोग किस तरह से उनकी पूजा करते हैं। मधुलिमये भी आन्दोलन करने चले गये थे। डा0 राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार किया था और मधुलिमये को मार दिया था। लोक सभा में सूचना आ गयी थी कि मधुलिमये मार दिये गये हैं। तब पंडित जवाहर लाल नेहरू खड़े हुए और दुखी होकर कहा कि मधुलिमये जिन्दा हैं। हालत गम्भीर है। उनकी जिन्दगी बरबाद हो गयी। आपको पता है कि उनको सारी बीमारियां हो गयी, मधुलिमये जैसे हमारे समाजवादी नेता को ? उसके बाद मधुलिमये जी ने लिखा भी है, बताया भी है कि सबने माफी मांगी। इनको 12 साल की सजा हुई, मधुलिमये को 12 साल की सजा हुई क्योंकि इन्होंने माफी नहीं मांगी। यह माफी मांगने वाले लोग हैं। हमारे साथ इमरजेंसी के समय में जितने इनके लोग थे, उन्होंने माफी मांगी थी। इनको माफी मिल गयी। केवल हम लोग ऐसे थे जिन्होंने माफी नहीं मांगी। एक भी समाजवादी नेता ने माफी नहीं मांगी। (मेजों की थपथपाहट) आजम खां जी जेल में बन्द थे, राम गोविन्द चौधरी जी बैठे हैं, अशोक बाजपेयी जी बैठे हैं, हमने लोकतंत्र को बचाया है। आपको पता है कि अटार्नी जनरल ने क्या कहा था ? डे साहब थे, कौन थे, नीरन डे साहब थे, या कौन थे, नाम में संशोधन कर लेना। जब पूछा गया कि आपातकाल का विरोध करने वालों की क्या सजा है तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी या जिला प्रशासन द्वारा आपात काल का विरोध करने वालों को गोली से मार दिया जाय तो कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस के लोग वहां बैठे थे। कितने जुल्म किये इन्होंने कभी

आजादी के बाद कांग्रेस में विश्वास नहीं किया है। कभी इन्होंने लोकप्रिय नेता को अपनी पार्टी में रहने नहीं दिया। जनता के बीच में रहने वाले नेता को कभी रहने नहीं दिया है कांग्रेस ने। यही बी0जे0पी0 का हाल है। तीन मुख्य मंत्री बदले यहां, माननीय कल्याण सिंह को हटाया, राम प्रकाश गुप्ता को हटाया, तीन मुख्य मंत्री बदले हैं। यह इनकी हालत है कि किसी ने विरोध नहीं किया। मैं सच कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि यदि एक विधायक भी हमसे इस्तीफा मांग लेता तो मैं इस्तीफा दे देता। यह इतने बेशर्म हैं, इस्तीफा मांगते हैं। इतने बेशर्म और बेहया हैं यह विपक्ष के लोग। बुरा न मानना संसदीय कार्य मंत्री जी, यह विपक्ष ऐसा है जो गांव की कहावत है "अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोये"। यह लोग अंधे लोग हैं। हमारी बुराई करने वाले लोग हैं। हमारी अच्छाइयों को देखने वाले लोग नहीं हैं। हमें विश्वास है कि महान जनता हमारे उत्तर प्रदेश की, जो अंधे हैं उनको अंधा ही साबित करेगी। (मेजों की थपथपाहट)। आज हम खेती और उद्योग में उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम है कि सबसे कम कर्जदार उत्तर प्रदेश का किसान है। किसानों पर कर्जे का सबसे ज्यादा बोझ है पंजाब में। वहां 78 प्रतिशत कर्ज के बोझ से दबे हैं। हरियाणा, जो कृषि क्रांति में अगुवा था वहां कृषि की वृद्धि दर 1 फीसदी से कम हो गयी। उत्तर प्रदेश की कृषि वृद्धि दर को उससे 4 गुने करने का लक्ष्य है। हरियाणा में 53 फीसदी किसान परिवार कर्ज के बोझ से दबे हैं। कर्नाटक में 64 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं। महाराष्ट्र में 54 प्रतिशत और तमिलनाडु में 74.5 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत से नीचे किसान कर्जदार है। तो सबसे कम कर्जदार उत्तर प्रदेश का किसान है। साढ़े तीन साल में किसानों को अच्छी कीमत और लाभकारी कीमत देने की कोशिश की है।

गन्ना किसानों को भी लाभकारी मूल्य दिलाया है। जहां तक व्यापार की बात है, सारे हिन्दुस्तान का व्यापारी अगर व्यापार करता है तो मुनाफे के लिए करता है। दुकानदार मुनाफा कमाने की वजह से कारोबार चलाता है। कोई भी उद्योग धन्धा हो, दुकान से लेकर उद्योग तक, कोई भी धन्धा मुनाफे के लिए किया जाता है। भाजपा और कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, किसानों से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने कह भी दिया था जब गन्ने की कीमत नहीं मिली कि हमारे लोग कहां खेती करते हैं ? हमें खेती से क्या वास्ता है ? हमें खेती से कोई वास्ता नहीं है। मुझे खुशी है कि कल राजेन्द्र सिंह राणा ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। हंसाया ही नही, माहौल ही नही बदला, उनके भाषण में गम्भीरता भी थी। बहुत अच्छा जवाब दिया था। बच्चन, जो कि शताब्दी के महानायक हैं उनके नाम पर किस तरह से "नाधि धिन्ना-नाधिर धिन्ना" जाने कौन सी बेल बजा रहे थे। यह चौक का असर है। हम लोगों ने कुछ सुधारा था। मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। ज्यादा कहूंगा तो लम्बा हो जायेगा। हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे कम कर्जदार किसान उत्तर प्रदेश में है। हमारे पास फीगर है। हिन्दुस्तान के अन्दर जितने विकसित राज्य हैं, सब जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वहां विदेशी कम्पनियों को छूट दे रखी है। हमने छूट नही दी है। मैंने मण्डियों में प्रवेश होने से रोका है। हमारी सोच है कि अर्न्तराष्ट्रीय बाजार से किसान बच जायेगा तो हिन्दुस्तान आर्थिक दृष्टिकोण से बच जायेगा। विदेशी कर्जे से कोई मुक्ति दिला सकता है तो किसान दिला सकता है। किसान आज भी सबसे ज्यादा, 60 से 70 फीसदी रोजगार दे रहा है। हमारी सरकार जब-जब सत्ता में आई है, किसानों को राहत मिली है। उसी का परिणाम है कि आज सबसे कम कर्जदार उत्तर प्रदेश का किसान है। अध्यक्ष महोदय, गन्ना मूल्य

का कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। वर्ष 1988-89 में गन्ने की सामान्य प्रजाति का मूल्य 26 रुपए और अगैती का मूल्य 28 रुपए था। जब हम सरकार में आए तो सामान्य प्रजाति का मूल्य 28 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए कर दिया और अगैती का मूल्य 36 रुपए कर दिया। हमने अगैती के मूल्य में 8 रुपये की बढ़ोत्तरी की। वर्ष 1990-91 में हमारी सरकार थी। हमने उस वर्ष सामान्य प्रजाति का मूल्य 41 रुपए व अगैती का मूल्य 44 रुपए कर दिया यानी फिर हमने 8 रुपए बढ़ा दिए। जब बाद में वर्ष 1991-92 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय गन्ने का मूल्य सामान्य प्रजाति 43 रुपए और अगैती का 46 रुपए किया गया। बी0जे0पी0 की सरकार में केवल तीन रुपए की बढ़ोत्तरी की गई जबकि हमारी सरकार के समय में 8 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 1992-93 में गन्ने का मूल्य 46 रुपए और अगैती का मूल्य 49 रुपए किया गया। उस समय बी0जे0पी0 ने 3 रुपए गन्ने का मूल्य तो बढ़ाया लेकिन एक रुपए की भाड़े में बढ़ोत्तरी कर दी और फिर 1993-94 में जब हमारी सरकार आई तो 56 रुपए और 59 रुपये, बढ़ोत्तरी 10 रुपये की हुई। फिर 1994-95 में 66 से 70 रुपये, 10 रुपये की बढ़ोत्तरी फिर हुई। जब ब0स0पा0 और भा0ज0पा0 की सरकार आ गई तो हमने जो बढ़ाया था उससे और कम कर दिया। 1995-1996 और 2002-2003 तक 8 बार में 25 रुपये प्रति क्विंटल कुल, औसत 3 रुपये 12 पैसे प्रति क्विंटल प्रतिवर्ष बढ़ाया है। 2004-2005 में 108 रुपये में 13 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। फिर 2005-2006 में 8 रुपये की बढ़ोत्तरी की है और अब 2006-2007 में फिर 10 रुपये बढ़ाया है। आप लगा लीजिये कि बढ़ाकर 130 रुपये कर दिये है। हमने अपने प्रत्येक कार्य काल में बढ़ाया है। प्रथम कार्य काल में 16-रुपये 2 बार में, दूसरे कार्य काल में 21 रुपये दो बार में बढ़ाया तीसरे कार्य काल में 33 रुपये 4 बार में बढ़ाया। इस तरह से हमारे जमाने में 72 रुपये बढ़ाया है। यह लोग सुनना ही नहीं चाहते थे इन बातों को, जो हिसाब किताब वहां पर बोल रहे थे। 2002-2003 में जब मामला न्यायालय में गया तो फिर 2003-2004 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही किसानों को बुलाकर गन्ना मूल्य दिलाया था। इस तरह से अपनी सरकार के समय का बताते जायेंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा लेकिन फिर भी मैंने बताया। आज उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है 130 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। किस तरह से गलत तथ्य देते हैं ! उत्तर प्रदेश में 130 रुपये, महाराष्ट्र में 90 रुपये, पंजाब में 126 रुपये, तमिलनाडू में 102 रुपये, उत्तराखण्ड में 124 रुपये। आन्ध्र प्रदेश और बिहार ने तो अभी तक तय ही नहीं किया है। अब यह किससे तुलना करते हैं ? पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखण्ड से ? यहां कितनी चीनी मिले हैं ? अगर दो रुपये हरियाणा ने बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश के मुकाबले में तो क्या हो गया ? कितना उन्होंने अभी तक भुगतान कराया है ? भुगतान अभी नहीं हुआ है ? 7-8 चीनी मिले हैं वहां और यहां, कितनी चीनी मिले हैं ? 121 चीनी मिलें यहां चल रही है। अब पूछने वाले तो भाग गये। 84 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का क्या हुआ कह रहे थे। 7 हजार करोड़ रुपये तो पहुंचा है अकेले चीनी उद्योग में 28 चीनी मिलें लगाने का लक्ष्य था जिसमें से 18 चीनी मिलें लग चुकी हैं और हमारी कोशिश यह है कि गन्ना किसानों को भुगतान पहले हो। हम जानते हैं कि चीनी का भाव पिछले साल जब हमने गन्ना मूल्य तय किया था तो 20 रुपये किलो था और अब रह गया है 15 रुपये किलो। कुछ चीनी की कीमत गिरी है और हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। हम कोशिश करेंगे कि भुगतान पूरा हो और भुगतान पूरा हो रहा है लगभग। हम आपको अभी बता देंगे कि कितना कर्जा किसानों के भुगतान का बकाया था। यह बकाया भाजपा और

बसपा के जमाने का था। किसानों को हमने उनका भुगतान कराया है। मान्यवर, यह तो गन्ना किसानों की बात है लेकिन सहकारी बैंकों से जो कर्ज किसानों को दिया जाता था उसका ब्याज था 11 रुपये प्रति सैकड़ा। सरकार ने घटाकर 6 रुपया सैकड़ा कर दिया है।

अब दिल्ली की सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं है। तब भी परेशान है। क्या कहते हैं बता देंगे, वित्त मंत्री का क्या कहना है बता देंगे। अब दैवी आपदा में हम लोग, हमारी सरकार जो मदद कर रही है वह कहीं भी हिन्दुस्तान में नहीं है। दैवी आपदा में अगर किसी किसान की मौत हो जाए तो एक लाख रुपया उसके परिवार को उसी दिन दिया जाता है चाहे नदी में डूबकर, चाहे ट्रैक्टर दुर्घटना में, किसी तरह से कुछ हो जाए। बिजली के करंट से मृत्यु हो जाए तो 24 घण्टे के अन्दर स्वीकृति हो जाती है। कहीं-कहीं तो दाह संस्कार के पहले चेक दे देते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार बीज पर 120 रुपये प्रति कुन्तल अनुदान देने का निर्णय किया है। गन्ना किसान का मैंने बताया ही, इतना जरूर बताना है कि हमारी सरकार द्वारा 19-8-03 से अब तक गन्ना किसानों को 21,137 करोड़ रुपये का भुगतान किया है तो इतने कार्यकाल में उनका 11 हजार करोड़ दिया जाता था। 10 हजार करोड़ से ज्यादा भुगतान मिला है इस सरकार में, इसलिए कर्जा कम हुआ है और किसान खुशहाली की तरफ चला है और अब इनके मुख्य मंत्री बी0जे0पी0 के पहले रहे दूसरे रहे, तीसरे रहें चौथे के प्लान में हैं। कुमारी हैं, अरे ब्याहता से पहले कुमारी कहते हैं। अपभ्रंश है कुमारी, चावल के एक दाने से पता लग जाता है, उससे मालूम हो जाता है कि किसानों को कितना लाभ पहुंचाने की कोशिश की है हमारी सरकार ने। उनको लाभ भी मिला। आलू और गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। अभी 23 जनवरी 2007 तक 3 हजार 519 करोड़ रुपया फिर, लगभग 530 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है । जो इसी मद में पिछले साल में लगभग 710 करोड़ रुपया था। इतना तेजी से आगे बढ़े हैं और चीनी उद्योग नीति में लगभग 7 हजार करोड़ रुपया पूंजी निवेश हो चुका हैं 28 में 18 चीनी मिल का बता चुका हूं। अब हैण्डपम्प के बारे में। हमारी सरकार ने हैण्डपम्प लगाए हैं साढ़े तीन लाख और इनके कार्यकाल में हैण्डपम्प लगे हैं 2 लाख। किसानों के बाकी विद्युत बिलों पर 31-12-07 तक एक मुश्त जमा करने पर पूरी पैनाल्टी माफ कर दी जाएगी यह छूट 31 दिसम्बर 2007 तक जारी की है।

(मेजें थपथपाई गईं)

अब आप देखेंगे कि जब गन्ना किसानों पर भाषण दे रहे थे भारत सरकार के कृषि मंत्री तो उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है कि उन्होंने गन्ने की कीमत सबसे अच्छी दी और चीनी का उत्पादन बढ़ाया, हम बधाई देते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो नम्बर एक पर था महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन, दूसरे नम्बर पर था कर्नाटक, उत्तर प्रदेश अब एक नम्बर पर है। इतना आगे निकल गया हैं.... और इतना आगे निकल गया है। 31 या 32 लाख टन पैदा कर रहा है, महाराष्ट्र चीनी मिल और उत्तर प्रदेश पैदा करने जा रहा है 62 लाख टन। अब हमारा उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर चीनी पैदा कर रहा है। इतना तेजी से बढ़ा है। इसको हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के तीन बार मुख्य मंत्री रहे, शरद पवार जी ने कहा है। हमने उसी दिन जब भाषण सुना और टी0वी0 पर हमारी तारीफ आयी तब हमने उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि सच्ची बात कहने पर क्यों बधाई दी ? हम नहीं संकोच करते, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है गन्ना किसानों को

लाभ पहुचाने में। हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेसी होते तो पूछते, इसीलिए तो भाग खड़े हुए। चुनाव से भी भाग रहे हैं और यहां सदन से भी भाग रहे है। सुनना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई है ही नहीं जवाब। निठारी और करेली गांव जो हैं, उसके बारे में केवल रह गया था, लेकिन वह भी हम दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे, बतायेंगे।

अब शिक्षा के मामले में देखेंगे कि अर्जुन सिंह जी ने भी सराहना की पूरे हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्रियों के साथ कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कक्षा 12 तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई है। इसको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कन्या विद्या धन दे करके और लड़कियों को यूनीफार्म 3 लाख से भी ज्यादा दिया है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को यूनीफार्म दिया है और फीस समाप्त की है, कक्षा 12 तक सभी बच्चों की, सभी छात्र-छात्राओं की और बी0ए0 तक की सभी छात्राओं की शिक्षा मुफ्त हैं उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। बहुत लम्बा हो जायेगा भाषण इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं, अर्जुन सिंह जी ने कहा, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और शिक्षा को देख रहे हैं और उसी के साथ-साथ राष्ट्रपति जी ने 1 सितम्बर को इण्डिया टूडे के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जब वे सम्मानित करने आये, जिनका अच्छा काम है, तब महामहिम राष्ट्रपति ने पहला भाषण दिया, कहा कि हम ऐसे ही नहीं चले आए, हमने भी इसको पढ़ा है और समीक्षा की है और यह समीक्षा सही है, तभी हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हिन्दुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए हमें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अब बतायें कि अर्जुन सिंह गलत हैं ? कहें ? कांग्रेसी गलत बोल रहे हैं। कहें कि महामहिम राष्ट्रपति जो अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ हैं, उन्होंने सम्मानित गलत किया है ? अगर हिम्मत है, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी तीनों मिलकर कहें, लोकदल भी कहे। सारे देश और प्रदेश की जनता जानती है कि दल बदलने वाले लोगों की हालत क्या होती है और क्या हालत हुई है। हम लोग हैं जो कभी दल नहीं बदला है और बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाया है। जब दूसरा दल बनता है और नया नाम आता है तब सब मिल जाते हैं, तब वह दल-बदल नहीं माना जाता था। नया दल बनाया है राजेन्द्र सिंह राणा ने, यह दल बदल नहीं है। दल-बदल वाले वे बैठे हैं। उनके नेता ने की थी, दल-बदल। हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके नेता का बेटा है। हम आलोचना करेंगे नहीं। लेकिन एक बात सबसे अच्छी हुई है, अध्यक्ष जी, और राजनैतिक तस्वीर क्या उभर कर आयी है। अब जब हर विश्वविद्यालय को ले करके मुसलमानों के उत्थान के लिए रोजगार के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने की बात करने वाली यह कांग्रेस जो लगभग 50 साल से राज दिल्ली में कर रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है कि मुसलमान पिछड़ा है, गरीब रह गया है ? यह साजिश रह कांग्रेस पार्टी की कि इस देश में निरक्षरता कायम रहे और उसके पीछे क्या था ? उसके पीछे है और यह कांग्रेस, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि पूरे देश के लोग साक्षर हों। अगर साक्षर हो जायेंगे तो उनकी समझ आ जायेगी कि हम जो बोल रहे हैं, वह सच है या जो बीजेपी या कांग्रेस बोल रही है वह सच है ? वह भेद करना सीख जायेंगे और जब वह भेद करना सीख जायेंगे तो इनको पूरी तरह से ठुकरा देगी जनता। इसलिए वह चाहते हैं कि गरीबी और निरक्षरता कायम रहे और उसी का परिणाम रायबरेली में देख लिया है। जनेश्वर मिश्रा जी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, उस समय अरुण नेहरू थे राय बरेली से.

तो आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग थे उन्हें बीड़ी के बण्डल बटवा दिये, तो उसका परिणाम क्या रहा कि आज राय बरेली सबसे ज्यादा पिछड़ा हो गया है। आज वह समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद आगे बढ़ा है। लालगंज के रास्ते पर गये हैं, कार से भी गये हैं बहुत पिछड़ा इलाका है। पैदल चलना पड़ा है। वहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है। सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। उसे जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है जिससे यह गरीब रहें, मोहताज रहें और बख्शीश पर जिन्दा रहें। समाजवादी पार्टी बख्शीश पर नहीं राजनीति करना चाहती है, वह परिवर्तन की राजनीति चाहती हैं व्यवस्था को बदलना चाहते थे। कम्बल तक बटवाये उसके बावजूद भी, इन्दिरा जी का सभा हुई हमारे क्षेत्र में और उसके बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त कर दी। यह झूठे नारे देते रहे, यह उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत पर है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए कितना बड़ा धोखा दिया गया। पचास साल राज किया, यहां भी किया वहां भी किया, लेकिन क्या हुआ ? अगर मुसलमान पिछड़ा रह गया है, निरक्षर रह गया है, गरीब रह गया है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही खिलाफ रही है। वह तो इतनी खिलाफ है कि अगर कहीं किसी मुसलमान की मौत हो जाय और हम दो लाख रुपया दे दें तो यह कहते हैं कि पक्षपात हो गया हैं हमारी नीति है कि जो गरीब हैं, दुखी हैं, उपेक्षित हैं उनके लिए विशेष नीति बनाये। हमने महिलाओं के लिए विशेष नीति बनायी हैं उन्हें हम विशेष सुविधाएं देकर आगे बढ़ायेंगे। समान लाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि दूसरे नम्बर की आबादी मुसलमानों की है। सिख-ईसाई बहुत आगे हैं। इन्हें इतना निरक्षर बना दिया, गरीब बना दिया कि पीछे रह गया। हमारी कोशिश है कि हम हिन्दू लोग उन्हें छोटे भाई की तरह माने और हम बड़े भाई की तरह व्यवहार करें। हम हमेशा से यह कहते हैं कि हिन्दी और उर्दू दो सगी बहनें हैं तो उसी तरह से बड़े भाई द्वारा बाप की तरह परिवरिश की जाती है छोटे भाई की और यह जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी निभा रही हैं लेकिन इनको परेशानी हो रही है। एड़ीचोटी लगा दी कि किसी तरह से जौहर विश्वविद्यालय न बनने पाये। जौहर साहब ने कहा था कि हम गुलाम धरती पर अपनी मौत नहीं चाहते हैं। हमारे मरने पर थोड़ी जमीन दे दी जाय, वह भी अंग्रेज ने जमीन नहीं दी। वह हमारी नयी पीढ़ी के आदर्श हैं और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जाय। एक सीधे सादे राज्यपाल जी पर दबाव डाला। उनकी इच्छा थी की यह विश्वविद्यालय की अनुमति दें लेकिन रोज कांग्रेस पार्टी के नेता रामपुर में जाकर कहते रहे कि क्या जरूरत है जौहर विश्वविद्यालय की ? एक इंजीनियरिंग कालेज खोलो, यह अच्छा रहेगा। सच्चर कमेटी में कितना बड़ा धोखा किया गया। समान व्यवहार की बात आयी। हमने इसके लिये यहां से प्रस्ताव पास किया था कि मुसलमान पिछड़ा है। यहां से संकल्प पास हुआ था। कांग्रेस पार्टी इसको वहां पर करे, यह उनके अधिकार की बात है। संविधान कहता है और उन्हीं को करना भी है। हमने प्रस्ताव भेज दिया है।

यह सिर्फ एक धोखा-धड़ी है और एक साजिश है और इससे मुसलमानों का पिछड़ा रखने की पूरी की पूरी साजिश हुई और 130 साल बाद हिन्दुस्तान के अन्दर ऐतिहासिक काम हुआ है। वह हमारी एक दूसरी यूनिवर्सिटी, यहीं कुर्सी रोड पर भी है इण्टीग्रल यूनिवर्सिटी, दो विश्वविद्यालय खोले हैं हिन्दुस्तान में। किसी ने नहीं खोले हैं और इसीलिये हमने, आपने कहा कि दलित, मुसलमान और ईसाइयों का आरक्षण सम्बन्धी संकल्प इसी सदन के अन्दर पेश किया हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की

सरकार को भेज ही दिया है और दिल्ली की सरकार तुरन्त इस कानून को पास करें। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात है, उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है 01 सितम्बर को पिछले साल में और कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रहा है। चार मेडिकल कालेज की स्थापना की गई जिसमें एक मेडिकल कालेज चल भी रहा है और तीनों के बारे में कोशिश थी कि जुलाई तक चल जाते और चुनाव के परिणाम आयेंगे ओर मुझे विश्वास है जनता पर कि हमें स्पष्ट बहुत मिलेगा और जल्द ही यह तीनों भी चालू करा दिये जायेंगे। अब इतना काम किया, दोहराने की बात नहीं है। पर्ची सस्ती, वहां चारपाई का किराया था वह खत्म किया। एक रुपया पर्ची का किया, मुफ्त इलाज किया। गम्भीर बीमारियों के लिये, कल आया था, लम्बा हिसाब है, करोड़ों में है। हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। सरकार ने बहुत लोगों की जान बचाई है। समय से पहले मरने वालों की जान बचाई है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिये काम न किया गया हो। अब वकीलों को ले लें। वकीलों के लिये जो काम किया है, वकीलों के चैम्बर कहीं पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस आये थे। उन्होंने कहा कि यह तो हमारे यहां कल्पना ही नहीं है। तमिलनाडु के बड़े-बड़े वकीलों ने कहा कि यह कभी मैंने सोचा नहीं था। चार चीफ जस्टिस बैठे हुये थे गोविन्द स्वरूप पाठक सहित, उन्होंने कहा यह हिन्दुस्तान में एक नया मांडल एक आदर्श है जो समाजवादी पार्टी की सरकार और मेरा नाम लिया, उन्होंने प्रस्तुत किया देश के सामने और कितना वकीलों ने मेरा सम्मान किया। वकीलों को सुविधा भी दी है और वकीलों के बैठने के लिये इन्तजाम भी किया है और जो मुवक्किल आते थे उनके लिये भी कुछ सुविधायें दी हैं । शिक्षकों को भी आपने देख लिया कि एक हजार स्कूल ग्राण्टएड, ग्यारह हजार शिक्षक कर्मचारी को सुविधा दी जो रो रहे थे। अब इस तरह से शिक्षकों को भी सुविधा दी है, उम्र भी बढ़ाई है और ग्राण्टेएड पर लेकर के ... आप को पता है आपने भी बहुत सराहा था इस काम को और पूरे प्रदेश की जनता सराह रही है और शिक्षकों ने हमारा स्वागत भी किया है और सम्मान भी किया है। इसी तरह से छात्रों में अब कन्या विद्या धन दिया और बेरोजगारी भत्ता दिया तो यह क्या कह रहे हैं कि यह खैरात है, भिक्षा है और इनको भीख मांगने की आदत डाली जा रही है। यह कहते हैं नेता विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी, सब क्या कहती है कांग्रेस पार्टी कि कानून बनाओ। कांग्रेस को शर्म नहीं आती। लगातार हम लोग, जब से समाजवादी आन्दोलन काम कर रही है, लगातार कह रहे हैं कि रोजगार का कानून मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाय, हम मांग करते हैं कि भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके बेरोजगारों को रोजगार का मौलिक अधिकार दिया जाय। जहां मैंने यह कहा तो हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, अटल बिहारी बाजपेयी जी उस समय प्रधान मंत्री थे, कहा कि राष्ट्रीय समस्या है बेरोजगारी की समस्या और बेरोजगारी की समस्या में हम चाहते हैं केन्द्र की सरकार हमारी मदद करे और थोड़ी बहुत हम भी मदद करेंगे और इस समस्या को हल कर दिया जाय। हम कानून बना देते उत्तर प्रदेश के अन्दर लेकिन दिल्ली की सरकार वह जो हमने पत्र लिखा, इनको पत्र लिखा 2 फरवरी, 2004 को अटल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकार मित्रों, यह मेरे पास चिट्ठी है। कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, हर आदमी समझता है कि इस समस्या में आप योगदान दें और हम पूरा योगदान देंगे। हमारे पास संसाधन नहीं हैं लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अटल जी का कोई भी इन्वाल्वमेन्ट नहीं था और पावती का भी पत्र नहीं मिला।

हमने 12 जून, 2004 को वर्तमान प्रधान मंत्री मा0 मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा। जो उन्होंने उसका उत्तर दिया 21 जून को, उन्होंने लिखा कि "आपका दिनांक 12 जून, 2004 का पत्र प्राप्त हुआ जो उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना से सम्बन्धित है।" जबकि हमने बताया था कि यह योजना हमने बनायी है। यह गम्भीर समस्या है और प्रदेश में गरीबी की जड़ है। और गरीबी से बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन उन्होंने यह उत्तर देकर इसे खत्म कर दिया। फिर 3 अगस्त, 2004 को उन्हें पत्र लिखा उसका जवाब 23 अगस्त के पत्र द्वारा आया। वह पूरा उनका पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा। जो अंतिम पैरा है उसका वह मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। हमने अपने पत्र में लिखा था कि यह राष्ट्रीय समस्या है आप इस पर पुनर्विचार कीजिये और जल्दी से निर्णय कीजिये। लेकिन वह अपने उत्तर में कहते हैं कि-"देश इस समय बेरोजगारी भत्ते के भुगतान पर होने वाले अत्यधिक व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिये केन्द्र सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।"

हमने कहा था कि ऐसी योजनायें बनायें जिससे विकास का अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले। आपने मदद नहीं की है तो यह तो बतायें कि रोजगार के अवसर कितने दिये हैं। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार ने लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। अब तो यह संख्या बहुत बढ़ गयी है। सरकारी नौकरियों में हमने लोगों को रोजगार दिया है। इसके अतिरिक्त, यह बताना चाहता हूं कि और कम से कम सब मिला कर, जिनको जमीन भी मिलेगी, 5 लाख और लोग रोजगार पायेंगे भूमि सेना के माध्यम से। (मेजों की थपथपाहट) सब मिलाकर 14 लाख लोगों को रोजगार दिया है तीन साल में। इसके अलावा गरीब लोगों को मजदूरी दी है। मान्यवर, केवल उन्हें फसल के समय मजदूरी मिलती थी और उस बहाने उन्हें मुश्किल से काम मिलता था छः महीने। अब हमने मजदूरों को विकास के काम में जोड़ दिया है उसमें नहरों की सफाई का काम हो रहा है और दूसरे निर्माण के काम हो रहे हैं। इस तरह से सब मिला करके लाखों-लाख मजदूर जो भूखों मरते थे और घर पर बैठे रहते थे और उन्हें इस बात पर चिन्ता रहती कि शाम को कैसे रोटी मिले, बच्चों को कैसे रोटी खिलाये, आज वह उनकी चिन्ता हमने दूर करायी है। आज स्थिति यह है कि किसानों को भी मजदूर नहीं मिलता है। सड़क बनाने के लिये मजदूर नहीं मिल रहा है। दूसरे प्रदेशों से यहां मजदूर लाये जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लाये हैं, बिहार से आ रहे हैं क्योंकि वहां काम नहीं हो रहा है, वहां बी0 जे0 पी0 सरकार है। तो इस तरह की वहां सरकारें हो गयी हैं। छत्तीसगढ़ में आप सरकार में रहे हैं 10 साल से, लेकिन हजारों हजार की तादाद में मजदूर यहां आ रहे हैं। यह लोहिया पथ बन रहा है। अगर मजदूर मिल गये होते तो आज से 4-5 महीने पहले ही बन गया होता। वह अच्छा काम है और हमें विश्वास है कि 2-3 महीने के अन्दर सबसे बढ़िया रोड बन जायेगी। वह हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी रोड दिखायी देगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां से देश में 6-7 प्रधानमंत्री रहे, कुछ साल पहले यहां के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उन्होंने इसके लिये क्या किया ? अब अगर प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकते तो देश उनसे क्या उम्मीद करे ? यह सही है कि हमने सैफई के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया है (मेजों की थपथपाहट) वह इसलिये कि यह हमारा एक स्वभाव है, एक रुचि है विकास की और, यह दिखाया है कि यह आदर्श चीज बन गयी है। अब कुछ विधायकों को भी समझ में आ रहा है और उन्होंने सैफई की तरह ही अपने क्षेत्रों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और वह बनेंगे। हमने तो अधिकारियों से भी कहा है कि आपको अपने गांव को भी आदर्श बनाना चाहिये। दो गांव की बात आयी थी, उनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। इलाहाबाद के वी0 सी0 रहे हैं, हास्टल उनके नाम चलता था।

सबसे अच्छा गांव माना जाता था लेकिन गांव छोड़ गये। पढ़ने लिखने के बाद जब कुलपति बन गये, आई0 ए0 एस0 बन गये, आई0 पी0 एस0 बन गये लेकिन गांव में नहीं गये और बगल का गांव चोरों का, लफंगों का, गुण्डों का माना जाता था, आया है मैगजीन में एक-डेढ़ साल पहले, वह गांव के लोग अब इतने पढ़े-लिखे हो गये कि वह गांव खण्डहर हो गया और वह दूसरा गांव बस गया है। इसलिये कि जितने नौकरी करने वाले गये थे, वह अपने गांव में रहते हैं और आते हैं, त्यौहार पर आते हैं, शादी में आते हैं, उनके परिवार वहीं बसे हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी एक अच्छा गांव बन गया है और जो पढ़े-लिखे लोग थे, उनका गांव खण्डहर हो गया है। इसलिये मुलायम सिंह ने तय किया है कि अपने गांव को छोड़ेंगे नहीं। रहेंगे गांव में, अब की कम रह पाये, यह तो गलती हुयी हमसे, इतना व्यस्त हो गये कि अबकी गांव में कम सो पाये। गये हैं गांव में, अभी फिर 28 तारीख को जायेंगे गांव में। शादी विवाह होता है गांव में, तो जाते हैं। लेकिन परिवार ने गांव नहीं छोड़ा है। जो असली हमारी खेती थी, किसानी थी, वह हमने नहीं छोड़ा है और न जीवन में कभी छोड़ेंगे। इसलिये सैफई ठीक गांव बना है और आप लोग भी कभी अपना गांव-मोहल्ला छोड़ मत देना। गांव के बाद जिला हेड क्वार्टर पर पहुंचे, मुख्यालय पर पहुंचे तो गांव भूल गये ओर लखनऊ आ गये तो जिला भूल गये और दिल्ली पहुंच गये तो यू0 पी0 भूल गये। ऐसे-ऐसे नेता हैं मेरी जानकारी में। उनसे क्या उम्मीद की जाय ? जो अपनी मातृभूमि-जन्मभूमि के लिये कुछ नहीं कर सके, आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़िये, बड़े बड़े लोगों को पढ़िये, वह क्या कर सकता है देश और समाज के लिये, जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है ? वह देश से प्यार क्या करेगा ? अब यह लोग हैं ही नहीं, अब चलिये बहुत ज्यादा हो जायेगा, सब जान गये कोई छिपा नहीं। 27 पुल बनेंगे 50 साल में और 46 पुल बनेंगे बड़ी नदियों के 3 साल में। हम कह भी चुके हैं कि जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, शारदा, बेतवा, घाघरा, चम्बल, राप्ती, गोमती, रामगंगा यह ऐसी नदियां हैं, जमुना भी है, केन भी है, इन नदियों के 27 पुल बने हैं 50 साल में और हमारी सरकार 46 बनाने जा रही है, 3 साल में। यह है सरकार की प्रगति और सरकार के विकास करने की दौड़। अब इसी तरह से पुल और सड़क आप देख रहे हैं। लखनऊ में आप देख रहे हैं और केवल लखनऊ ही नहीं, हमने पूरे प्रदेश में गांव और शहर का संतुलन बनाया है और पहली बार शहर वालों ने सराहना की है कि अधिकारी पहली बार शहर की नालियां और सड़कें देखने आये। हमारे वरिष्ठ अधिकारी दो बार जा चुके हैं और वहां काम भी हुआ है। समय हमें केवल 3 साल मिला है। अगला 5 साल यदि जनता देगी तो शहर और गांव का संतुलन बनाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। अब यह कह रहे हैं कि कृपा करके उत्तम ही रहने दो, सर्वोत्तम नहीं। अब इनको क्या कहें ? होते तो बताते कि आप कहां रहना चाहते हो ? आप तो बढ़िया-बढ़िया गरम कपड़े नीचे से ऊपर पहनकर आते हो, टोपी भी गरम, यह भी गरम और नीचे भी गरम। बाकी हम नहीं कहेंगे, इतनी संवेदनशीलता हममे और हमारी सरकार में हैं अब खुदरा बाजार की बात कह रहे हैं। इनको पता नहीं है कि हम खुदरा बाजार के लिये कितना लड़े हैं। हमारी सरकार के रहते खुदरा बाजार को कोई भी संकट नहीं होने देंगे और जिस दिन खुदरा बाजार पर निजी क्षेत्र की कम्पनियां, बाहर की कम्पनियां काबिज हो जायेंगी तो लाखों-लाख लोग बेरोजगार हो जायेंगे। कहां जायेंगे यह लाखों लोग ? छोटे-छोटे दुकानदार लोग कहां जायेंगे ? मोमफली बेचने वाले कहां जायेंगे, कहीं चाय-चाट बनाने वाले लोग कहां जायेंगे ? अब ये तो हैं नहीं, यह तो

केवल भाषण देने आ गये। इस नीति को किसने चलाया ? आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 1992 में पूरे देश का दौरा हमने किया था डंकन प्रस्ताव और पेटेंट कानून के खिलाफ और उसका नतीजा सामने आ गया है। इन विदेशी कम्पनियों के कारण किसान इतनी आत्महत्या कर रहा है। वहां मंडी में घुस गया किसानों के बीच में और कपास मंहगा ले लिया और बीज भी दे दिया और कह दिया हम और भी मंहगा ले लेंगे। जब आन्ध्रा के किसानों ने कपास बोया तो एक दाना भी नहीं जमा, कर्ज बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, जमीन जा रही थी। नीलाम हो रही थी, किसान अपनी सम्पत्ति नहीं बचा सका और किसान आत्महत्या करके मरे हैं विदर्भ से ले करके महाराष्ट्र, कर्नाटक तक। कई लोग हैं जिन्होंने विदेशी कम्पनियों को स्वीकृति दी। 1992 में जब विरोध किया नरसिम्हाराव की नीति का, मनमोहन सिंह की नीति का, यही तो थे फाइनेंसर, यही लाये हैं विदेशी कम्पनियों को। 1990 में मंहगाई खत्म करना चाहते थे, उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो गति धीरे कर दी नरसिम्हाराव जी ने और जैसे ही अटल जी आये तो दिन दूनी, रात चौगुनी दौड़ लगा दी विदेशी कम्पनियों ने। मान साहब आज जिन्दा नहीं है, हमारे साथ भी मंत्री थे, जब विदेश में गये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार संघ के सम्मेलन में तो उन्होंने विरोध किया। हम लोगों ने बधाइयां भी दी लेकिन दो दिन तो वह अड़े रहे और तीसरे दिन भारत सरकार का टेलीफोन पहुंचा कि स्वीकार करो। बहुत दुःखी हो करके उन्होंने स्वीकार किया। अटल जी का या उनकी सरकार का टेलीफोन था। विदेशी कम्पनियों की बात करने वाले, जब इनकी सरकार आई तो सबसे ज्यादा विदेशी कम्पनियों को बढ़ावा दिया गया। अटल जी की सरकार ने बढ़ावा दिया, अटल बिहारी बाजपेयी ने दिया। हमने विकास परिषद् बनायी तो इसीलिए बनायी जिससे कि हिन्दुस्तान में विदेशी कम्पनियों को रोका जा सके और हमारे हिन्दुस्तान के उद्योगपति अपना काम और रोजगार बढ़ा सकें। यह सुविधा देने की हमने कोशिश की है। आप कह रहे हैं कि उद्योगपति भाग खड़े हुए। क्यो नहीं भागेंगे ? सारी सुविधाएं उत्तराखण्ड को दे दी, हिमाचल को दे दी। उत्तराखण्ड तो खेत का खेत मिला हुआ है, इधर का कारखाना उधर लग रहा है लेकिन फिर भी उद्योगपतियों को भागने नहीं दिया जाएगा। उद्योगपति भागे हैं, लेकिन यह साजिश किसकी है ? जो सुविधाएं उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश को दीं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दी ? विशेष पैकेज कोई उत्तर प्रदेश को दिया ? बिल्कुल नहीं दिया। जो हमारे प्रस्ताव गये हैं, वह पैसा नहीं मिला, दिल्ली से जो पैसा हमने मांगा वह समय से नहीं मिला, मिलना चाहिए था अप्रैल में और आया अगस्त में। कई प्रस्ताव हैं, जो करोड़ों रुपये के हैं लेकिन दिल्ली सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। मंहगाई बढ़ी है, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने चिन्ता व्यक्त की। चिन्तित है रिजर्व बैंक की मंहगाई नहीं रुक रही है। भारत के वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि मंहगाई बढ़ी है। भारत के वित्त मंत्री कहते हैं कि मंहगाई बढ़ती चली जा रही है इसलिए साठ साल की उम्र के ऊपर के जिन किसानों को पेंशन दी जा रही है, उसे खत्म कर दिया जाए और जो साठ साल के ऊपर के किसान हैं उन्हें राम भरोसे छोड़ दो। यह संवेदनहीन वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के। केन्द्र सरकार कितनी संवेदनहीन है जो कह रही है कि साठ साल से ऊपर के किसानों को राम भरोसे छोड़ दो। जाने ये लोग पढ़ते नहीं हैं या छिपाते हैं। यह भारत सरकार के वित्त मंत्री का दिमाग है। मैं पूछना चाहता हूं कि अटल बिहारी बाजपेयी कितने साल के हो गये ?

सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें-83 साल के।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अटल जी 83 साल के हो गये लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आडवाणी जी 81-82 साल के हैं, प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बताइये इनके बारे में क्या राय है ? कांग्रेस पार्टी के लोग बतायें ?

सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें-

चले गये ये लोग।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अर्जुन सिंह भी बहुत साल के हो गये। तो साठ साल के किसान को राम भरोसे छोड़ दिया जाए और 83 साल, 81 साल और 76 साल के लोग प्रधान मंत्री बनें। कितनी विडम्बना है। देश के सामने क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं ? क्या आदर्श पेश कर रहे हैं ? इसलिए भाग खड़े हुये हैं, सुनना नहीं चाहते थे। आज मंहगाई की हालत यह हो गयी अध्यक्ष महोदय कि 100 गुना से लेकर 150 गुना तक मंहगाई बढ़ी है। अरहर की दाल रु0 27/-प्रति किलो वर्ष 2006 में थी वह अब 35 से 40 रुपये प्रति किलो हो गयी है। मूंग की दाल जो 28/-रु0 किलो थी वह 48 रुपये हो गयी है। उरद की दाल का यही हाल है, बेसन का भी यही हाल है, काबुली चना का भी यही हाल है। आप सभी खरीद रहे होंगे। आप सब भुक्तभोगी हैं। कागज कहीं रह गया है, आ जायेगा तो बता दूंगा कि मंहगाई कितनी ऊंची चली गयी। कागज कहीं नीचे दब गया होगा वरना हम पूरे आंकड़े बता देते। अब जहां तक बिजली का सवाल है, लाख-लाख रुकावटों के बाद हम बिजली पैदा करने में समक्ष हो गये। 2000 मेगावाट का अनपरा-सी और रोजा और श्रीनगर में हम कामयाब हो गये। 2000 मेगावाट बिजली तीन, साढ़े तीन साल में उत्पन्न होना शुरू हो जायेगी। उत्तर प्रदेश को चौबीसों घण्टे बिजली मिलेगी। दादरी, गाजियाबाद का कारखाना गैस आधारित है लेकिन गैस नहीं दी जा रही है। गैस कब देंगे ? जब चुनाव हो जायेगा तब देंगे ? यह चुनाव तक किसी कीमत पर नहीं देंगे। यह चुनाव की राजनीति करते हैं। हम भत्ते की राजनीति करते हैं, आपने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया ? कन्या विद्याधन क्यों नहीं दिया था ? लोकतंत्र सेनानी को हमने सम्मान दिया है। कहा जाता था कि इमरजेंसी का विरोध करने वालों को गोली मार दिया जायेगा तो अपराधी नहीं माना जायेगा। इतना जोखिम भरा समय था। मान्यवर, मैं भूल गया था, आप भी जेल में थे। हम लोग जेलों में थे। हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे जेलों में, मुस्कुराकर मुकाबला करते थे। हम लोग कोई माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं, यह वह लोग हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, टकराने वाले लोग हैं। हमेशा बड़ी ताकतों से हम लोग टकराये हैं। हमारा नीतियों को लेकर केन्द्र सरकार से टकराव था, छोटे लोगों से हम नहीं टकराते। राज नारायण जी कभी छोटे लोगों से नहीं टकराये, इन्दिरा जी से टकराये थे और उन्हें पराजित किया था। डा0 राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि दिल्ली की सरकार कलेक्टर है और राज्यों की सरकार लेखपाल, लेखपाल की हैसियत कलेक्टर के सामने क्या होती है ? लेकिन हम लोग लेखपाल की सरकार होते हुए भी डा0 राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार केन्द्र सरकार से गिड़गिड़ाते थोड़े ही है। जब चाहें बर्खास्त कर दें। रोजाना बर्खास्तगी की धमकी दी जाती है। राज्यपाल जी से रोजाना रिपोर्ट मंगाते हैं, राज्यपाल जी रिपोर्ट भेजते हैं। यहां तक कि अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजते हैं कि यह चुनाव में पक्षपात करेगा, यह निष्पक्ष नहीं रहेगा। मुझे पता चल रहा है कि

कुछ अधिकारी भी आसपास वहां घूम रहे हैं। लेकिन यह कौन कर रहा है ? दिल्ली की सरकार कर रही है। यह सही है कि हम और आजम खां साहब यह महसूस कर रहे हैं कि राज्यपाल जी सीधे-सादे हैं लेकिन दिल्ली की सरकार का उन पर अंकुश है। अब मंहगाई के बारे में आंकड़े भी दे दें। अरहर दाल जो 17 रु0 प्रति किलो वर्ष 2006 में थी वह 35 रुपये, मूंग दाल 28 रुपये किलो से 48 रुपये किलो हो गयी है वर्ष 2007 में, उरद 32 से 60 रुपये हो गया, काबुली चना 30 रु0 से 50 रु0 हो गया, बेसन 32 रु0 से 50 रुपये हो गया।

अब निठारी और करेली वाले चले गये। निठारी काण्ड का बहुत अफसोस है। यह मानवता पर एक कलंक है। यह बीभत्स और अक्षम्य घटना है। इसकी निन्दा ही नहीं, जिन्होंने यह घटना की है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिये जिससे इसकी कभी पुनरावृत्ति न हो। हमारी सरकार और हमारी सरकार के प्रेस ने इस मामले को खोज निकाला। सी0बी0आई0 की जांच की मांग हुयी, इसकी सी0बी0आई0 जांच हो रही है। बहुतों को याद होगा कि 4 मार्च, 1984 को हमारे ऊपर हमला हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मैं विरोधी दल का नेता था। जब हमारे ऊपर गोली चली तो हमारा नौजवान छोटे लाल यादव जो मोटर साइकिल पर पाइलेटिंग कर रहा था और युवजन सभा का काम कर रहा था, उसको 6 गोली लगीं और मौके पर उसकी मौत हो गयी। दूसरा नेत्रपाल सिंह नौजवान था, उसको भी 7-8 गोलियां लगीं। उसकी जिन्दगी बरबाद हो गयी, लेकिन वह जिन्दा है और अपाहिज है। हमारी गाड़ी पर 14 गोलियां लगीं। सी0बी0आई0 ने जांच करायी। उस समय दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। दोनों ने मिलकर एफ0आर0 लगवा दिया, केस खत्म कर दिया। हमने एफ0आई0आर0 लिखायी नहीं। खुद ही सी0बी0आई0 ने जांच की और बताया कि यही दोषी हैं। सरकार ने उनको निर्दोष साबित करा दिया। इस घटना में एक व्यक्ति मरा और एक गम्भीर रूप से घायल हुआ। नेता विरोधी दल, उ0 प्र0 की कार पर हमला हुआ, 14 गोलियां लगी और कार का क्रेश हुआ। महीनों कार का टेस्ट होता रहा। हम बच गये किसी तरह से। एफ0आर0 लगाने के बाद केस एक्सपंज कर दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि वह निर्दोष थे तो दोषी कौन था ? यह है सी0बी0आई0। अगर सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करवा दी जाती तो भी केस खोल दिया जाता और दोषियों को सजा भी मिलती। उसी का परिणाम था कि 4 अप्रैल, 1994 को फिर हमला हम पर हुआ था। आर0एस0एस0 का था। यह लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पूरी अटैची मिली थी भा0ज0पा0 के कार्यालय में। चिट्ठी बीच में खो गयी, दुर्भाग्य है मेरा। चिट्ठी जेल से भेजी थी हमलावर ने, उसने चिट्ठी लिखी थी बी0जे0पी0 के एक नेता को। कैसे जगजीवन ने चिट्ठी को गायब होने दिया मुझे पता नहीं। जला दिया था क्या कर दिया। वह चिट्ठी होती तो पढ़कर सुना देते, तो आप जान लेते कि हमारी हत्या कराने वाले कौन लोग थे। यह लोग लोकतांत्रिक परम्पराओं की बात करते हैं। यह लोकतंत्र है ? हमने कितने धीरज से, संयम से सुना। यह लोग गुण्डा राज बोल रहे थे। हम गुण्डा हैं ? राज हमारा है तो क्या मैं गुण्डा हूं ? बता दूं, गिटपिट, गिटपिट करने वाले कुछ लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कुछ लोग हैं, उनकी राय मेरे बारे में कुछ हो सकती है, गुण्डा फिर भी नहीं कहेंगे। बड़ी मर्यादा, साफ सुथरी बात करते हैं बी0जे0पी0 के लोग। अब होते तो मैं पूछना चाहता हूं कि निठारी की तो आप निन्दा करते हैं। हमारी सरकार पूरी सहयोग करेगी सी0बी0आई0 का, कोशिश करेगी कि किस तरह से कोई अपराधी बचने न पाये, निठारी काण्ड का जो मुख्य अभियुक्त है वह

कांग्रेस पार्टी के, पंजाब के दक्षिण के एक जिले के अध्यक्ष का सगा दामाद है। (शेम-शेम की आवाजें) आप शेम-शेम मत कहिये। मैंने कभी आरोप लगाया है कि उसका दबाव हो सकता ? यहां कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि दबाव है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर दबाव हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही जांच करा रही है केन्द्र में उसी की सरकार है, उसी की सी0बी0आई0 हैं। सी0बी0आई0 के बारे में मैंने पहले ही बताया है। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का सगा दामाद रहा तो उनका दबाव हो सकता है। वह कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। एक कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे हैं उनकी मिल में चार बच्चों की हत्या हुई। हैदारबाद में 9 बच्चों की हत्यायें हुई हैं बिहार में भी खबर है। तीन जगहों के बारे में मैं कहना चाहता हूं जगन्नाथ पुरी, बम्बई और गोआ में बच्चों के साथ, लड़कों के साथ कुकर्म किया जाता है ऐय्यासी की जाती है। विदेशियों की बाकायदा खुशामद की जाती है। जगन्नाथ पुरी, बम्बई और गोआ, इसमें दो जगह कांग्रेस की सरकार है और एक जगह भाजपा सरकार में हैं इन तीनों जगहों पर विदेशियों को लड़के पेश किए जाते हैं उनकी ऐय्यासी के लिए। वहां पर सी0बी0आई0 जांच क्यों नहीं ? हम तो इस अपराध को जघन्य मानते हैं, अक्षम्य अपराध हैं निठारी काण्ड के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए हमारा जो सहयोग चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। न्यायालय से अपराधियों को अगर फांसी की सजा मिले तो भी कम सजा होगी। हमारी उन बच्चों के प्रति हमदर्दी है। हालांकि जीवन की कोई कीमत नहीं है फिर भी पीड़ित परिवारों के साथ दुख और हमदर्दी बांटने का काम करने के लिए हमने प्रति परिवार पांच-पांच लाख रुपये व नोयडा में एक प्लाट दिया हैं। इसके अलावा नौकरी पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली में 2600 लड़कों का अपहरण हुआ है 26 बच्चे अभी तक दिल्ली में गायब हैं, वहां पर प्रधान मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, वहां पर गृह सचिव, कैबिनेट सचिव सहित बड़े-बड़े अधिकारी बैठते हैं, भारत सरकार की पूरी ताकत वहां बैठी है उसके बावजूद दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली सर्वप्रथम है। आसाम में क्या हो रहा है आसाम के बारे में कोई नहीं कहता हैं कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर और हमारे भी जिले के बहुत लोग निकले हैं मजदूरी के लिए। बनारस व पूर्वांचल के बहुत से लोग वहां मारे गए हैं। हिन्दी भाषी मारे गए हैं। जहां देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आसाम देश से अलग होना चाहता है। वहां पर सब कुछ है आसाम पुलिस है, आसाम रायफल्स, सीमआर0पी0एफ0, बी0एस0एफ0, फौज है रॉ है, आई0बी0 है सी0बी0आई है सारी एजेन्सी है। फिर भी 70 लोगों की हत्या कैसे हुई ? अगर इतनी हत्याएं हुई तो फिर दिल्ली की भी सरकार बर्खास्त कर दें। क्या कभी दिल्ली की सरकार में राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुए हैं ? नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, भावना में आकर हम कोई बयान नहीं देते हैं, न ही भाषण देते हैं। हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि बी0जे0पी0 कांग्रेस एक हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान ने देखा कि बी0एस0पी0, बी0जे0पी0 कांग्रेस एक हैं। आज लोकदल भी उनके साथ था। आपने दो बार बुलाया तो क्या कहते थे ? नेता विरोधी दल का कहना था कि कांग्रेस के नेता को बुलायें तो हम जायेंगे। यह लोकतंत्र की बात करते हैं। अध्यक्ष के दो बार बुलाने पर भी नहीं गये। हमने संसद में भी देखा है और यहां पर भी देखा है। अध्यक्ष ने कभी भी बुलाया है, अगर हम नहीं गये हैं किसी नाराजगी के कारण से तो हमने अपने प्रतिनिधि को भेजा हैं एक बार ऐसा मौका आया था। हम गुस्से में थे, चेयर से गुस्सा था लेकिन हमने उनके आदेश का पालन किया, आज़म साहब को भेजा। हमने न जाकर कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में। याद होगा आपको, एक ही बार हुआ है और

जो अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में हुआ उसका पूरी तरह से खुशी के साथ पालन किया हैं इन्होंने क्या किया है ? इन्होंने पालन नहीं किया है। जो वहां फैसला हुआ था कि खेद व्यक्त कर लेंगे, भाषण से विरोध था, आपसे विरोध नहीं। किससे विरोध है ? भाषण तो हम दे रहे हैं। हमारे साथियों ने तो उनका भाषण सुना, हमने सुना। हमारा तो हमेशा पीछे हाथ जाता रहा कि भाषण होने दें, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, शांति के साथ सुनें। लेकिन मान्यवर, यह लोग कितने अलोकतांत्रिक हैं। इनको कोई आस्था नहीं। हम लोग चुनाव की बात करते हैं और यह लोग भाग रहे हें। हमको विश्वास है कि चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा। साजिश पूरी है कि चुनाव न कराये जायं और राष्ट्रपति के चुनाव से उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधियों को वंचित कर दिया जाय। सबसे मूल्यवान हैं उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधियों के वोट। यह 172-174 के आसपास हैं। औरों के 50 है, 60 है, 70 है या यह बढ़कर 100 तक आ जायेंगे। यहां के वोट इतने मूल्यवान हैं लेकिन साजिश पूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्तर प्रदेश को वंचित रखा जाय। पता है सबको कि समाजवादी पार्टी जीतकर आयेगी सबसे बड़ा दल होगा, उसके मतदाता ज्यादा होंगे। 55-56 तक इनकी संख्या हो सकती है लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की जो वोट डालेंगे। इनमें सुनने की ताकत नहीं है। निर्णायक स्थिति में समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है इसलिये उसको उससे वंचित करने की पूरी कोशिश है कांग्रेस की। मेरा विश्वास है कि इस साजिश में चुनाव आयोग नहीं आयेगा और तत्काल चुनाव की घोषणा करेंगे। अगर आज ही चुनाव की घोषणा कर दें तो फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। 30 जनवरी को पूरी सूची तैयार हो गई। 15 फरवरी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सूची प्रकाशित हो चुकी है। जब सूची प्रकाशित हो चुकी है तो चुनाव में देरी क्यों है ? पूरी कोशिश हो रही है केन्द्र सरकार की और इन तीनों जनों की इसीलिये यह सब भाग रहे हैं। महाराष्ट्र में एक लड़की को नंगा किया ही गया है, आपने देख लिया है और 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करके हत्या करके टांगा गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया ? हमें तो इतने बड़े शहर के माफिया, शहर के डकैत कहते हैं। लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कितनी बड़ी पुलिस है दिल्ली के अन्दर। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता था यहां पर भर्ती करें तो विरोध, भर्ती नहीं होने दे रहे हैं। पुलिस की कमी है। दिल्ली में पुलिस की भरमार है। समय लगेगा अगर मैं आंकड़े देने लगूं। एक-एक व्यक्ति पर कितनी पुलिस है ? हपारे यहां क्या हालत है ? 10 हजार पर कितनी पुलिस है ? यहां राज्य में कितनी पुलिस है ? फिर भी हमारी पुलिस ने डकैतों का सफाया कर दिया। खुद एक चैनल गया था?, पत्रकार गया था वहां। 11-11 साल से खेती नहीं हो रही थी इटावा, जालौन, भिंड के बीच। लेकिन आज देखिये, हरियाली है वहां पर। अब तो यह है कि लोग दरवाजे भी खोलकर रखते हैं। रात को दरवाजा खुला छोड़कर खेत चले जाते हैं। आज वहां खेती हो रही हैं महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता है उसकी पूरे देश में पिछले साल 16930 मामले हुए जिसमें से अकेले दिल्ली में 562 हुए जो सबसे ज्यादा हैं और मैंने बता दिया कि सब कुछ वहीं है दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री बैठे हैं। महिला अपहरण की पिछले साल की पूरे देश में 2409 घटनाओं में से अकेले दिल्ली की 900 हैं जो कि पूरे देश में 37.4 प्रतिशत है महिलाओं के साथ। दहेज हत्या की पूरे देश में 1520 घटनाएं हुई हैं। अकेले दिल्ली में 494, देश का 19 प्रतिशत। पूरे देश में अपहरण फिरौती के लिए 37.4 प्रतिशत, अकेले दिल्ली में होता है। बच्चों के साथ अपराध दिल्ली में 6.5 प्रतिशत, बच्चों के अपहरण की जितनी घटनायें पूरे देश में हुई उसकी 18.9 प्रतिशत पूरे दिल्ली में है। लेकिन इस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बताकर बदनाम करने

की कोशिश हो रही है। देश नक्सलवाद की तरफ तेजी से बढ़ा है 154 जिले हैं नक्सलवाद में, भारत सरकार की रिपोर्ट में है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं हैं छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित है। महाराष्ट्र के 7 जिले हैं जो गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। 32 से ज्यादा रक्षा बल के जवान पिछले साल नक्सलवाद की घटना में मारे गये हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी नक्सलवाद की घटना नहीं हुई है। कांग्रेस बता दे। यह सुनना नहीं चाहते थे, भाग खड़े हुए। पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा में सेंसटिव 175 जिले हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक संवेदनशील कहा है। आठ जिले मोस्ट सेंसिटिव हैं लेकिन विगत तीन वर्षों में प्रदेश में जबर्दस्त साम्प्रदायिक तनाव कभी नहीं हुआ। लिखा है कभी नहीं हुआ। दो-एक कस्बों को छोड़कर कहीं दंगे नहीं हुए हैं। दोनों समुदायों का विश्वास जीतने में इस सरकार ने वास्तव में कीर्तिमान स्थापित किया है। कल तक सवाल उठाते थे कि सी0बी0आई0 की जांच हो, सी0बी0आई0 की जांच हो रही है, समझ में आ जाएगा। अभी यह मदरसा हादसा प्रकरण है चार छात्राओं के साथ घटना हुई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हम इस घटना की निन्दा करते हैं। निन्दा ही नहीं इसमें कड़ी सजा होनी चाहिए। हम पूरी मदद करेंगे। पूरी तेजी के साथ कार्यवाही हो रही है 164 के आधार पर बयान भी हो गये। वहां के मैनेजर, प्रबन्धक और लड़कियों ने खुलकर उनका नाम बता दिया है, उनको पहचान भी लिया है। उनकी पहचान पर उनको जेल में भेजा गया हैं अब परेशानी यह है किसी तरह से इन्हीं लोगों पर आंच न आ जाए। इनको संरक्षण देने वाला कौन है ? इनकी कलई न खुल जाए। इसलिए टालना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार के हाथ में आ जाए ताकि सी0बी0आई0 जांच करे और यह दोनों पीछे लग करके अपने को बचा लें। यह प्रश्न है। हमारे पास चारों छात्राओं के नाम हैं। इनके नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पीड़ित छात्रायें हैं, उनकी शिनाख्त पर स्वीकार किया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अगर उनके कहने पर न किया जाता तो क्या हालत होती ? लाख उपाय किए लोगों ने कि दंगा हो जाए, राजनीतिक मुद्दा बने। वहां की जनता ने, हिन्दू मुसलमान ने कोई साथ नहीं दिया। पूरी शान्ति है। यह अखबार में बयान दे रहे हैं। वहां पुलिस लगा दी गई है। वहां अक्षम जो अधिकारी थे उनको समझा गया, उनके खिलाफ शिकायत थी, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस पर हम नहीं बतायेंगे। कितना बलात्कार प्रदेश में हुआ नरेश अग्रवाल जी ने बता भी दिया। हम बता सकते थे क्या हालत है पूरे प्रदेश कीं दस्युओं के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वह किसी से छिपी हीं है। गंगा का कंकरीट पुल का पूरा का पूरा सफाया, चम्बल घाटी पूरा सफाया। अब कोई नहीं रहा है। एक बचा है वह भी भा0ज0पा0 की सरकार के पुलिस की मेहरबानी से बचा हैं वह पूरा संरक्षण मध्य प्रदेश सरकार से पा रहा हैं वहां की पुलिस हिम्मत नहीं कर रही हैं यहां तक खबर मिली है, लोगों ने बताया है कि वहां के डकैतों ने कहा है कि जब तक मुलायम सिंह मुख्य मंत्री हैं तब तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेंगे।

(मेंजें थपथपाई गईं)

हमारी पुलिस का इतना आतंक है डकैतों पर और इतने बड़े डकैत मारे गये। एक कोई पत्रकार से लेकर कोई बता दे कि निर्दोष की हत्या हुई और जिन्होंने 5 हजार लोगों को मरवा दिया था, निर्दोष लोगों को, जिनमें 14 लोगों की मेरे लड़ने पर जांचें हुई और 14 को सजा हुई। पाठक एक लड़का था, मैनपुरी का, पुलिस ने हत्या की थी, इसके लिए वहां के डिप्टी एस0पी0, दरोगा, दीवान को आजीवन करावास हुआ। यह हमारे संघर्ष का नतीजा था। हम वहां गये, राजनीति नहीं की। कानूनी कार्यवाही

करके, उनके परिवार की मदद की। सबका सहयोग था। हम कई बार समझा चुके हैं, पत्रकारों को, हमारा छपेगा इतना और निर्भय गूजर का छपेगा पूरा पन्ना। हमने देखा है और हम समझाते थे कि इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। कुछ लोगों की उनमें भावना हो जाती है, आस्था हो जाती है, उसके पक्ष में हो जाते हैं। मैंने छविराम को भी देखा, पूरा का पूरा उसके पक्ष में खड़े हुए लोग, उसी मैदान में रहता था, गोली चलाता था और जिन्दा रहता था। वह कांग्रेस सरकार जो .... इतना कभी अंग्रेज ने जाति-धर्म के नाम पर गोलियां नहीं मारी है। 80 से लेकर 89 तक आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जाति के नाम पर चुन-चुन के कांग्रेस पार्टी की सरकार गोलियां मरवाती थी। अंग्रेज ने कभी जाति के नाम पर गोली नहीं मारी, कभी धर्म के नाम पर गोली नहीं मारी। जो साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, उनको गोली मारते थे। वह दिन देखे हैं, वह जाति और पहचान के-आधार पर गोली नहीं मारते थे। जाति और धर्म की पहचान के आधार पर 80 से शुरुआत हुई थी और जाति की पहचान के आधार पर गोली मरवाई जाती थी और जाति की पहचान के आधार पर बचाया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने जो देवली गांव में 25 दलितों की हत्या की थी, किसने उनको बचाया ? कौन नहीं जानता। नए पत्रकार, नए नौजवान नहीं जानते होंगे, पुराने सभी जानते हैं। साढ़ूपुर में 14 दलितों की हत्या की थी, किसने बचाया था ? हम सब से पहले मौके पर पहुंचे थे। गुड़गांव में 28 लोगों की हत्या की गई, टैक्सी वालों ने हत्या की, एक गिरोह बनाया था, टैक्सी वालों ने। क्या किया था, आपने ? पंजाब में हुआ, बम्बई में बता चुके हैं। बम्बई, गोवा और जगन्नाथपुरी में हुआ, यह कितने शर्म की बात है, वहां किसकी सरकार है ? गोवा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है ? बम्बई में किसकी सरकार है जहां विदेशियों के लड़के दिए जाते हैं ऐय्यासी करने के लिए ? उड़ीसा में किसकी सरकार है ? बी0जे0पी0 की सरकार है, मिलीजुली। जितना बच्चों के साथ जुल्म-ज्यादती हो रही है, सी0बी0आई0 की जांच पूरे हिन्दुस्तान में क्यों नहीं होती है ? लेकिन कोशिश इनकी है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, किसानों के पास यह जा नहीं सकते; वकीलों के पास जा नहीं सकते, छात्रों के पास जा नहीं सकते, महिलाओं के पास जा नहीं सकते, बुजुर्गों के पास जा नहीं सकते, व्यापारियों के पास जा नहीं सकते। मुसलमानों के लिए जितना किया है काम, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं किया किसी सरकार ने। ये बुनकरों के पास नहीं जा सकते। चौकीदारों की बात करें, चौकीदारों को 25 रुपया भत्ता था, जब हमारी सरकार बनी तो हमने 100 रुपया किया। दूसरी बार में हमने 300 रुपया किया, तीसरी बार में हमने 500 रुपया किया और अभी आकर 1000 रुपया किया है और 1500 रुपया साइकिल के लिए किया है और लाइसेंस भी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर देंगे और जिस दिन चौकीदार और हमारी पुलिस इस्तेमाल करेगी, उस दिन अपराध अपने आप घट जायेंगे। तो शहर के डकैतों को कितने को पकड़ा है ? कितने को मारा है पुलिस ने और कितने को जेल भेजा है ? आज तक जितने भी पुलिस के दोषी लोग थे, चाहे सोना लूटा हो, चाहे कहीं भी लूट की हो, वह जेल गये हैं और जो बोनट पर बैठे थे, वह हमारी पार्टी के नहीं थे, पता लगा लें, कानपुर के रहने वाले थे, लोहिया परिवार लिखे थे, कभी सम्पर्क रहा होगा, उनके परिवार का लोहिया जी से, तो लोहिया परिवार के पांचों भाई अगर बोनट पर बैठे थे तो किसकी पुलिस ने पकड़ा ? किसने केस चलाया और केस चला करके मजबूती से गवाह पेश करके किसने सजा करवाई ? हमारी सरकार ने हमारी पुलिस ने और शहर माफिया को किसने पाला ?

उत्तर प्रदेश में माफिया पालने वाला कौन है ? वह कांग्रेस पार्टी है। चाहे शहर माफिया, बीहड़ माफिया हो, इसकी बुनियाद रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। कौन नहीं जानता है लखनऊ के माफिया को ? एक नेता हमारे बीच में नहीं है, दो उनके बगल में रहते हैं। मुख्य मंत्री के आवास के आस-पास सड़क का ठेका किसे किया था ? वह डकैत था जिसके ऊपर एक लाख का इनाम था। किसने पाला ? किसकी सरकार थी ? इन्हें पालने का किसने काम किया ? वह है कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी। रुपये लेकर अपराधियों को यह लोकतंत्र है, टिकट दिया जाता है। इसकी तो सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए जैसा कि राजेन्द्र सिंह राणा जी ने मांग की है, पता चल जायेगा कि कौन लोकतंत्र पर विश्वास करता है। हमारी अपनी सलाह है, अध्यक्ष महोदय कि बच्चों की हत्याओं के बारे में बेहतर होगा कि लाशों की राजनीति नहीं की जाती। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते और उसे कड़ी सजा दिलाते। हम चाहते थे कि प्रधान मंत्री गृह मंत्री बुलाते और समस्या का समाधान निकालते। यह काम करना चाहिए था। लाशों की राजनीति करने के अलावा इनके पास बचा क्या है ? हमें पता है कि यह किसी वर्ग के पास नहीं जा सकते हैं। यह पहली सरकार है जिसने किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया। इसने वर्गभेद को मिटाया है। सबका काम किया है। ऐसा वातावरण बनाया है कि हर वर्ग समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ है। आज आपके खिलाफ किस तरह से ताकतें खड़ी हैं ? आप कौन हैं ? किससे लड़ना है ? कौन चुनौती दे रहा है ? कितना अन्याय, कितना लोकतंत्र के विरुद्ध काम आप कर रहे हैं। दूसरों की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव अब वह है तो नहीं अगर होते तो शायद उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता और धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन को वह वापस ले लेते, लेकिन वह है नहीं। मान्यवर, इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि धन्यवाद का प्रस्ताव बहुमत सिद्ध करने का होता है। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुज्ञा से सदन में निम्नलिखित प्रस्ताव करना चाहता हूं। इसे धन्यवाद प्रस्ताव के साथ पारित करें। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है''। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिये प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक को रोकने के सम्बन्ध में,

2-जिला पीलीभीत के थाना हजारा के परिसर में ही भाजपा जिला पंचायत सदस्य श्री बलजीत सिंह मान व एक और की हत्या के सम्बन्ध में,

[3-विधायकों की हत्याओं, राजनीति के अपराधीकरण, इस्लामीकरण व नक्सलवाद की बढ़ती समस्या को रोकने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में हो रहे प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगों तथा बढ़ती हुई गौ-हत्या के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,

8-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जा रही अनाज की जमाखोरी को रोकने के सम्बन्ध में,

9-जनता को सुरक्षा तथा आत्मसम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

10-जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन-सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में,

11-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

12-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

13-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खाद, बीज तथा अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त को पूरी तरह से बन्द न करने के सम्बन्ध में,

15-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

18-पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

20-भ्रष्टाचार में व्याप्त एवं घूस लेने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

21-शासन द्वारा की जा रही सरकारी सेवाओं में अनियमित तरीके से अनर्ह व्यक्तियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

22-खाद्य पदार्थ जिनमें दुग्ध उत्पाद, तेल उत्पाद एवं अन्य जिन्स की नियमित जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

23-पुलिस द्वारा भ्रष्ट आचरण किये जाने तथा पकड़े जाने के उपरान्त भी कठोर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में आ बसे बांगलादेशियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में,

25-आतंकवाद समर्थक सिमी पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

26-नोएडा में निठारी जैसी घिनौनी घटना से पूरे विश्व में प्रदेश का सर शर्म से नीचा हुआ है, इस काण्ड के असली अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, को दण्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

27-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में नियुक्तियां जातीय आधार पर न किये जाने के सम्बन्ध में,

29-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं से वापसी के सम्बन्ध में,

30-ग्रेटर नोएडा में एक उद्योगी घराने को 250 हेक्टेअर भूमि कौड़ियों के भाव में देने एवं किसानों को मूल्य भुगतान न करने के सम्बन्ध में,

31-विशेष आर्थिक जोन एवं हाई टेक नगरों के नाम पर कृषकों की हजारों हेक्टेअर भूमि का मनमाने ढंग से अधिग्रहण कर सत्ता पक्ष के इशारे पर कुछ प्रमुख उद्योगी घरानों का अनियमित आवंटन के सम्बन्ध में,

32-देश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

33-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य 200 रुपये प्रति कुन्टल न देकर 130 रुपये प्रति कुन्टल देना जो विगत वर्ष के 135 रुपये प्रति कुन्टल करने के सम्बन्ध में,

34-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

35-व्यापारियों का कारोबार पूर्णतया ठप्प तथा मंडियां चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव न किये जाने के सम्बन्ध में,

37-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों तक में अराजकता का माहौल तथा शिक्षकों की भारी कमी से शिक्षा का काम पूर्णतया अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में,

39-विभिन्न विकास योजनाओं हेतु सार्वजनिक संस्थाओं से अरबों रुपये का ऋण लेकर योजनाओं पर खर्च न करना तथा घोर आर्थिक अनियमितता से प्रदेश पर पिछले वर्ष हजारों करोड़ के ब्याज का भार समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

40-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के राज्य मार्गों की खस्ता हालत, करनाल-मेरठ मार्ग पर यमुना नहर एवं काढ़ा नदी के पुल वर्षों से ध्वस्त कृषकों एवं अन्य यात्रियों को भारी असुविधा को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश खनिज स्रोतों पर माफियाओं का कब्जा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

43-नगर विकास एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकरियों का पक्षपात पूर्ण रवैया को रोके जाने के सम्बन्ध में।"]

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, सभी संशोधन पढ़े हुए मान लिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

सभी संशोधन पढ़े हुए मान लिये जायं, सभी इससे सहमत है ?

(सभी माननीय सदस्यों ने उपरोक्त पर सहमति व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब आप सब सहमत हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय नेता, विरोधीदल ने प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुये।)

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मतदान हेतु मतविभाजन और लाबी विभाजन की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले हां नां में तो हो जाय। अभी जो मतदान हुआ है वह केवल संशोधन पर हुआ है, आप उसके पक्ष में हों तब कहिये न।

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

(अन्य संशोधन प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ट 67-116 पर)

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 जनवरी, 2007 को दिया है कृतज्ञतापूर्वक

धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी के साथ मैं एक प्रस्ताव जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह यह है-

"यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"

दोनों पर मैं एक साथ मतदान के लिए हां नां में करवाऊंगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया)

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी प्रस्ताव पर मतविभाजन लाबीज में विभाजन के माध्यम से कराया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह ठीक से सुनाई नहीं पड़ा और इसीलिए जो माननीय सदस्य ने मांग की है कि लाबी डिवीजन करा लें उसी से स्पष्ट हो सकेगा श्रीमन् आप लाबी डिवीजन करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लाबी डिवीजन करा लेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, हां की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष-

हां की संख्या तो अधिक है ही, इसीलिए चूंकि लाबी डिवीजन मान लिया है तो फिर लाबी डिवीजन करा देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण, सदन की लाबीज में विभाजन सूची में हस्ताक्षर द्वारा मत विभाजन की प्रक्रिया को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आप लोग शान्तिपूर्वक उस प्रक्रिया को सुनें।

सदन के सभा कक्षों (लाबीज) में जाकर लिखित विभाजन की प्रक्रिया के बारे में मैं आप सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। सदन की "हां" व "नहीं" लाबी में विभाजन सूची रखी गयी है, मेरी दाहिनी ओर "हां" लाबी है और बायीं ओर "नहीं" लाबी है। माननीय सदस्यगण अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे और उसके आधार पर मत विभाजन होगा। प्रस्ताव के पक्ष में मद देने वाले माननीय सदस्य "हां"-लाबी में जाकर विभाजन सूची में हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे और उसके विरोध में मत देने वाले माननीय सदस्य "नहीं" लाबी में जाकर मत विभाजन सूची में अपने हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे। विभाजन के पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति जो विधान सभा के सदस्य नहीं है (मंत्रि-परिषद् के सदस्यों एवं महाधिवक्ता को छोड़कर) सभा मण्डप एवं उसकी दोनों लाबियों से बाहर चले जायेंगे। ऐसे माननीय मंत्री जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है।

सभा मण्डप एवं उनकी दोनों लाबियों में विधान सभा सचिवालय के वही अधिकारी/कर्मचारी विभाजन के समय रह सकेंगे, जिनकी सदन के कार्य में ड्यूटी लगायी गयी है, मत विभाजन के लिए 5 मिनट तक घण्टी बजायी जायेगी, घण्टी बन्द होने पर सदन के बाहरी दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे। तत्पश्चात् विचाराधीन प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में जो माननीय सदस्य मतदान करना चाहें, वह कृपया हमारी दायीं ओर एवं बायीं ओर की "हां" एवं "नहीं" लाबी में जायेंगे और पहले बतलायी गयी रीति के अनुसार विभाजन सूची में अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करके पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सदन की दोनों लाबीज में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी विभाजन सूची पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर को सत्यापित करेंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाबी में तैनात अधिकारियों को अपना परिचय-पत्र अवश्य दिखला दें। यदि वह अपना परिचय-पत्र लाना भूल गये हों तो अपने परिचय का समाधान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अवश्य करा दें, ताकि उनके हस्ताक्षर को सत्यापित करने में कोई असुविधा न हो।

जो माननीय सदस्य लाबियों में अपने हस्ताक्षर कर लें वह पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और दूसरी लाबी में कदापि न जायें। सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाबियों में मत विभाजन को प्रभावित करने का प्रयास न करें।

मत विभाजन की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व सभा मण्डप के सभी प्रवेश द्वार तब तक के लिए बन्द कर दिये जायेंगे, जब तक विभाजन का परिणाम घोषित न कर दिया जाय तब तक कोई सदस्य बाहर नहीं जायेंगे।

मत विभाजन के लिए घण्टी बजा दी गयी।

(लगातार 5 मिनट तक घण्टी बजाई गई)

एक बात यह भी कहनी है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2006 के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों को सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करने एवं मतदान करने का अधिकार नहीं है।

1-श्री जयवीर सिंह-325 घिरोर, जनपद-मैनपुरी

2-श्री धर्मपाल सिंह-375 हापुड़ (अ0जा0), जनपद-गाजियाबाद

3-श्री रामकृष्ण-66 मछरेहटा (अ0जा0), जनपद-सीतापुर

4-श्री रामजी शुक्ला-285 औरैया, जनपद-औरैया

5-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह-94 सतांव, जनपद-रायबरेली।

इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के अन्तरिम आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों को सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करने एवं मतदान करने का अधिकार नहीं है।

1-श्रीमती ओमवती देवी-4 नगीना (अ0जा0), जनपद-बिजनौर

2-श्री कल्यान सिंह दोहरे-292 कन्नौज (अ0जा0), जनपद-कन्नौज

3-श्री रतनलाल अहिरवार-313 बबीना (अ0जा0), जनपद-झांसी

4-श्री सुन्दर लाल-77 सफीपुर (अ0जा0), जनपद-उन्नाव।

ये सदस्य न तो लाबी में जायेंगे और न मतदान करेंगे, जिनके नाम मैंने पढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, नेता सदन के आसपास भीड़ न लगायें, अपनी लाबी में जायें। 5 मिनट हो गया है, अब दरवाजे बन्द कर दिये जायें। अब कृपया माननीय सदस्यगण लाबी में जाकर अपने हस्ताक्षर बनायें।

(लाबी डिवीजन के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्यगण अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, वह अपनी सीट पर आकर बैठ जायें और जो माननीय सदस्य अभी हस्ताक्षर न किये हों, वह कृपया लाबी में जायं।

जो माननीय सदस्य लाबी में हस्ताक्षर न करने गये हों वह लाबी में चले जायें और हस्ताक्षर बना दें।

कोई माननीय सदस्य जिन्होंने लाबी में आकर हस्ताक्षर न बनाये हों वह कृपया लाबी में जायें और अपने हस्ताक्षर बना लें।

अब यह मत विभाजन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है जो भी अभी माननीय सदस्य अवशेष हैं, वह लाबी में जाकर हस्ताक्षर बनायें।

जो भी माननीय सदस्य हस्ताक्षर न बनायें हों वह भी लाबी में जाकर हस्ताक्षर बना दें।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो हस्ताक्षर कर चुके हैं वह लाबी में न जायें और वहां व्यवधान पैदा न करें।

(मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया इसका परिणाम सुनें।

दिनांक 25 जनवरी, 2007 को महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव एवं मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान

विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में-223

1-श्री अजीम भाई

2-श्री अताउल रहमान

3-श्री अनवर महमूद

4-श्री अनार सिंह दिवाकर

5-श्री अनिल कुमार पाण्डेय

6-श्री अनिल कुमार वर्मा (सीतापुर)

7-श्री अनिल कुमार वर्मा (हरदोई)

8-श्री अनिल कुमार सिंह यादव

9-श्री अनिल सिंह

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह

11-श्री अनूप कुमार पाण्डेय

12-श्री अन्सार अहमद

13-श्री अब्दुल कलाम

14-श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां

15-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक

16-श्री अमरमणि

17-श्री अम्बिका चौधरी

18-श्रीमती अम्बेश कुमारी

19-श्री अरविन्द गिरि

20-श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप

21-श्रीमती अरुण कुमारी

22-श्री अरुणवीर सिंह

23-श्रीमती अरुणा तोमर

24-श्री अलगू प्रसाद चौहान

25-श्री अवधेश प्रसाद

26-डा0 अशोक बाजपेयी

27-श्री आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह)

28-श्री आर0 के0 चौधरी

29-श्री आलम बदी

30-श्री आलोक कुमार शाक्य

31-श्रीमती आशा किशोर

32-श्री आशीष यादव

33-श्री आशुतोष यादव उर्फ राजू

34-श्री इकबाल महमूद

35- श्री उज्जवल रमण सिंह

36-श्री उदयराज यादव

37-श्रीमती उमा किरन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

38-श्री ओमकार सिंह यादव

39-श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)

40-श्री ओम प्रकाश (सीतापुर)

41-श्री कपिलदेव यादव

42-श्री कमलेश कुमार

43-श्री कमलेश कुमार पाठक

44-श्री कमाल यूसुफ मलिक

45-श्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब

46-श्री कामेश्वर उपाध्याय

47-श्री किरण पाल कश्यप

48-श्री किरनपाल सिंह

49-श्री कुतुबुद्दीन अन्सारी

50-श्री कुलदीप सिंह सेंगर

51-श्री कैलाश

52-श्री कैलाश चौरसिया

53-श्री कोविद कुमार

54-श्री कौशल किशोर (खीरी)

55-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)

56-श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ

57-श्री गंगा प्रसाद पुष्कर

58-श्रीमती गीता सिंह

59-श्री चन्द्र भद्र सिंह

60-श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह

61-श्री चितरंजन स्वरूप

62-श्री छेदी राम

63-श्री छोटेलाल यादव

64-श्री छोटे लाल वर्मा

65-श्री जंग बहादुर

66-श्री जगदीश सिंह राणा

67-श्री जगदीश सोनकर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

68-श्री जगराम सिंह

69-श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी

70-श्री जय प्रकाश यादव

71-श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया

72-श्री जियाउद्दीन रिजवी

73-श्री दया शंकर वर्मा

74-श्री दिनेश सिंह

75-श्री दिलीप कुमार वर्मा

76-श्री दीनानाथ कुशवाहा

77-श्री दीनानाथ भाष्कर

78-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र

79-श्री दुर्गा प्रसाद यादव

80-श्री देवेन्द्र नागपाल

81-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

82-श्री धनंजय सिंह

83-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप

84-श्री नत्थू सिंह

85-श्रीमती नन्दिता शुक्ला

86-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

87-श्री नरेन्द्र सिंह यादव

88-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

89-श्री नारद राय

90-श्री परमेश्वर दयाल

91-डा0 पी0 के0 राय

92-श्री पीतम राम

93-श्री पूर्णमासी देहाती

94-श्री प्रभु दयाल

95-श्री प्रभु नारायण

96-श्री प्रेम पाल सिंह यादव

97-श्री प्रेम सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

98-श्रीमती फसीहा बशीर चौधरी

99-श्री बंशीधर राज

100-श्री बलराम यादव

101-श्री बाबू लाल

102-श्री बिजय सिंह

103-श्री बीजू पटनायक

104-श्रीमती बीना भारद्वाज

105-कुंवर बृजेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट

106-श्री बैजनाथ पासवान

107-श्री बैजनाथ दूबे

108-श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी

109-श्री भगवत सरन गंगवार

110-श्री भूपेन्द्र सिंह

111-श्री मतेश चन्द्र सोनकर

112-श्री मदन गोपाल वर्मा

113-श्री मदन चौहान

114-श्री मदन भैया

115-श्री मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार

116-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह

117-श्री मशहूद खां

118-श्री महबूब अली

119-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू

120-श्री महेन्द्र सिंह यादव

121-श्री महेन्द्र सिंह राजपूत

122-श्री महेश नारायण सिंह

123-श्री मानपाल सिंह

124-श्री मिथिलेश कुमार

125-श्री मुलायम सिंह यादव

126-श्री मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर

127-श्री मोख्तार अंसारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

128-श्री मोहन देव शंखवार

129-श्री मोहम्मद आजम खां

130-श्री मोहम्मद बशीर चौधरी

131-श्री मोहम्मद रिजवान

132-श्री मोहम्मद शफीर

133-श्री यशपाल चौधरी

134-हाजी याकूब

135-श्री योगेन्द्र कुमार

136-श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया

137-श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया

138-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर

139-श्री राकेश कुमार वर्मा

140-श्री राकेश पाण्डेय

141-श्री राकेश सचान

142-श्री राज किशोर सिंह

143-श्री राजनाथ यादव

144-श्री राजपाल त्यागी

145-श्री राजाराम

146-श्री राजीव कुमार सिंह

147-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

148-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

149-श्री राजेन्द्र सिंह राणा

150-श्री राधेश्याम जायसवाल

151-श्री राधेश्याम सिंह

152-श्रीमती राबिया कलाम

153-श्री राम करन आर्य

154-श्री राम किशुन

155-श्री राम कृपाल

156-श्री राम गोविन्द चौधरी

157-श्री राम चन्द्र यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

158-श्री राम नाथ

159-श्री रामपाल यादव

160-श्री राम बिशुन आजाद

161-श्री राम भुवाल निषाद

162-श्री राम मगन

163-श्री राम लाल अकेला

164-श्री रामवीर सिंह

165-श्री राम स्वरूप सिंह

166-श्री रामेश्वर सिंह यादव

167-श्री रियाज अहमद

168-श्री लाल बहादुर यादव

169-डा0 वकार अहमद शाह

170-श्री वसीम अहमद

171-श्रीमती विजमा यादव

172-श्री विजय कुमार मिश्रा

173-श्री विजय बहादुर पाल

174-श्री विजय सिंह

175-श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह

176-श्री विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का

177-श्री विनोद कुमार सिंह

178-श्री विमल कृष्ण अग्रवाल

179-श्रीमती विमला राकेश

180-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

181-श्री विश्राम सिंह यादव

182-श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार

183-श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)

184-श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा'

185-श्री वीरेश्वर

186-श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी

187-श्री शब्बीर अहमद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

188-श्री शमीमुल हक

189-श्री शरदवीर सिंह

190-श्री शहजिल इस्लाम

191-श्री शाकिर अली

192-श्रीमती शारदा देवी

193-श्री शारदा नन्द अंचल

194-श्री शाहिद मंजूर

195-श्री शिव कुमार बेरिया

196-श्री शिवपाल सिंह यादव

197-डा0 शिव प्रताप यादव

198-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू

199-श्री शिशुपाल सिंह यादव

200-श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"

201-श्री श्याम सिंह अहेरिया

202-श्री श्याम प्रकाश

203-श्री श्याम नारायण

204-श्री श्यामलाल रावत

205-श्री श्याम सुन्दर शर्मा

206-श्रीमती श्रद्धा यादव

207-श्री संजय गर्ग

208-श्री संदीप अग्रवाल

209-श्रीमती सत्तो देवी

210-कु0 संध्या कठेरिया

211-श्री समरपाल सिंह

212-श्री सिद्धगोपाल साहू

213-डा0 सियाराम सागर

214-श्री सीताराम निषाद

215-श्रीमती सुख देवी वर्मा

216-श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी

217-श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

218-श्री सुल्तान बेग

219-श्री सूरज सिंह शाक्य

220-श्री सोवरन सिंह

221-श्री हरिओम यादव

222-श्री हरिशंकर तिवारी

223-श्री होशियार सिंह

विश्वास प्रस्ताव के विरोध में शून्य

धन्यवाद के प्रस्ताव व विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 223 मत और विपक्ष में शून्य मत पड़े हैं। इस प्रकार यह धन्यवाद प्रस्ताव और विश्वास मत प्रस्ताव पारित हुआ।

मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों को भत्ते एवं मानदेय दिये जाने की घोषणा

माननीय मुख्य मंत्री जी, जो आप घोषणा करना चाहते हैं, वह कर दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है, जिसमें है कि आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा विधान सभा के सुरक्षा सहायकों के पौष्टिक आहार भत्ते को रुपया 500 से बढ़ाकर रुपया 550 किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था, जिसके लिये इस विधान सभा के सभी सुरक्षाकर्मी आपके सदैव आभारी हैं। मान्यवर, आप द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस पी0ए0सी0 के कर्मियों को पौष्टिक आहार में एक नवम्बर, 2006 से पौष्टिक आहार में 50 रुपया प्रतिमाह की वृद्धि करके 550 रुपया और 600 रुपया प्रतिमाह के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, पुलिस कर्मियों के समान विधान सभा के सुरक्षा सहायकों को मिलने वाले पौष्टिक आहार भत्ते में रुपया 50 प्रतिमाह वृद्धि करने की हम घोषणा करते हैं।

इसी तरह से, यह भी घोषणा करता हूं अध्यक्ष महोदय, कि विगत 11 मार्च, 2006 के विधान सभा के अधिवेशन में आप द्वारा सदन के कर्मियों को रुपये 1500/- मेहनत एवं लगन से सदन का कार्य करने हेतु मानदेय के रूप में दिये जाने की घोषणा की गयी थी। मान्यवर, इसी प्रकार वर्ष 2007 में भी विधान सभा सदन के कर्मियों को, महंगाई को देखते हुये, पूर्व की भांति 2000 रुपये मानदेय के रूप में दिये जाने की हम घोषणा करते हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टर्स की पदोन्नति के पद सृजन सम्बन्धी पत्रावली मेरे पास आ गई है, वह मैं स्वीकृत कर दूंगा।

धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 जनवरी, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 25 जनवरी, 2007 से 12 फरवरी, 2007 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

दिनांक 25 जनवरी, 2007 से 12 फरवरी, 2007 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2007

25 गुरुवार	(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं उसका पारण। (2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)। (3) प्रदेश के अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी) (4) प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-(एक घण्टा)। (5) प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा (जारी)।
26 शुक्रवार 27 शनिवार 28 रविवार 29 सोमवार 30 मंगलवार 31 बुधवार	बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2007

1 गुरुवार 2 शुक्रवार 3 शनिवार 4 रविवार 5 सोमवार 6 मंगलवार 7 बुधवार 8 गुरुवार 9 शुक्रवार 10 शनिवार 11 रविवार	बैठक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2007

12 सोमवार 1-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

2-उत्तर प्रदेश विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2005-2006 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006, उत्तर प्रदेश †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2005-2006 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006 उत्तर प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन † (खण्ड-8)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-4 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सदन से बहिर्गमन कर गये हैं, इसलिये उनके स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य मयंकेश्वर शरण सिंह मद सं0-5 और 6 को प्रस्तुत कर दें।

---

† छापे नहीं गये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सदस्य, लोक लेखा समिति-

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (खण्ड-8), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित शिक्षा (माध्यमिक) विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा शिक्षा (उच्च) विभाग से संबंधित आडिट आपत्ति पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सोलहवां प्रतिवेदन † (खण्ड-2)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सदस्य, लोक लेखा समिति-

मान्यवर, में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सोलहवां प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित मुख्य मंत्री सचिवालय, शिक्षा (प्राथमिक) विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित आडिट आपत्ति पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7, 8 और मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव रखेंगे।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छापे नहीं गये।

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1983, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा.2 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 की धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"(ग-1) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य किसी विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष से है जो उस विभाग का ज्येष्ठतम् आचार्य होगा।"

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो संकाय का ज्येष्ठतम् सदस्य, जो सह आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो, उस विभाग में विभागाध्यक्ष होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी विभाग में ज्येष्ठतम् सदस्य स्वेच्छा से हट जाता है और कोई सह आचार्य या उसकी पंक्ति से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है, तो शासी निकाय द्वारा पदाभिहित कोई संकाय सदस्य उस विभाग में विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(झ) 'अध्यापक' के अन्तर्गत आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है।

3-मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में,- धारा 18 का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पदेन"

(ख) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश"

धारा 20 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) में खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(तीन) महानिदेशक,, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।"

धारा 21 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग।"

धारा 22 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

"22-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उतने अध्यापक और समूह "क" के अधिकारी, जितने आवश्यक हों, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और समूह "ख" के उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी जितने आवश्यक हों, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है, उसके सिवाय, संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी रीति और पदनाम से और श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे जैसा विनियमों में निर्धारित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि विनियमों में निर्धारित की जाये।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह विनियमों में इस निमित्त निर्धारित अर्हतायें पूरी न करता हो और, जैसा कि उपधारा (9) में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए संस्तुत न किया जाय।

(5) संस्थान के किसी अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) निदेशक;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन;

(ग) तीन विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें;

(ङ) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।

(6) संस्थान के आचार्य से भिन्न अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(क) निदेशक;

(ख) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश ;

(ग) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष;

(घ) अपर आचार्य के चयन के लिए तीन तथा सहआचार्य और सहायक आचार्य के चयन के लिए दो विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विहित किये जायें।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय या विनियमों में निर्धारित की जाय।

(8) चयन समिति द्वारा की गई कोई संस्तुति तब तक विधिमान्य नहीं मानी जायेगी जब तक वह उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न हो :

परन्तु आचार्य या अपर आचार्य के चयन के लिए किसी चयन समिति के मामले में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति और सह आचार्य तथा सहायक आचार्य के चयन के लिए गठित किसी चयन समिति के मामले में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(9) जहाँ चयन समिति उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार संस्तुति करने में विफल रहे वहाँ चयन समिति का कार्यवृत्त अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसे अपने विचारों के साथ कुलाध्यक्ष को उसके निदेश के लिए अग्रसारित करेगा और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) जहाँ चयन समिति की संस्तुतियां नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य न हो वहाँ वह ऐसी संस्तुति के प्रति आपत्ति के आधार को सुस्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, सम्पूर्ण मामला कुलाध्यक्ष को संदर्भित करेगा और कुलाध्यक्ष का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः विचार के लिए मामला चयन समिति को भेजे या मामले पर विचार करने के लिए दूसरी चयन समिति के गठन किये जाने की अपेक्षा करे।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए समूह "क" के अधिकारी और समूह "ख" के अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे जैसे विनियमों में उस रूप में विनिर्दिष्ट या पदाभिहित हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जन स्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी उपस्थित नहीं हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 जनवरी, 2007 को नियम 51 की 45 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना डा0 रामबाबू हरित की आगरा जनपद में आवास विकास परिषद् द्वारा बनाये गये आवासीय मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद-लखीमपुर खीरी के शाखा-भीरा सहकारी बैंक के प्रबन्धक द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री घूरा राम की जनपद-बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में दैवीय आपदा एवं आगजनी से पीड़ित परिवारों को आवास हेतु धन आवंटन किये जाने के बाद भी कार्य शुरू न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना रिजवान अहमद की उत्तर प्रदेश आई0टी0आई0 विद्युत अप्रेन्टिसों को विद्युत कारपोरेशन में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद-रायबरेली के थाना ऊंचाहार अन्तर्गत अपहरित श्री कुलदीप सिंह उर्फ रिंकू के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

छठीं सूचना श्री आर0एस0 कुशवाहा की जनपद-खीरी स्थित बेलाराया से तिकोनियां होते हुये कौड़ियाला घाट तक मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद-मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल अन्तर्गत ग्राम-लुहारीखुर्द के निवासियों को फर्जी ढंग से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने एवं उत्पीड़न की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद-चित्रकूट में भयानक सूखे से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद-आगरा स्थित गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुये शहीद भगत सिंह प्रतिमा स्मारक नूरी दरवाजा से पुरानी इमरजेन्सी तक प्रमुख सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी की उत्तर प्रदेश जल निगम के निलम्बित अवर अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र जोशी को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना श्री आलम बदी की जनपद-आजमगढ़ के ग्राम दाऊदपुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री राम कृपाल की प्रदेश के भोरतिया जाति को पिछड़ी जाति में मध्य प्रदेश की भांति सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर स्थित भीमनगर खेड़ा में कब्रिस्तान की दीवार गिरने से घायल बच्चों एवं मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौदहवीं सूचना चौ0 धूराम लोधी की जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी में पुलिस लाइन के निर्माण हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पन्द्रहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दिल्ली रुड़की रोड पर मेरठ बाईपास पर डिवाइडर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-डा0 विनोद तिवारी,

2-श्री कौशल किशोर,

3-श्री महेश त्रिवेदी,

4-श्री मस्तराम,

5-श्री जगदीश नारायण राय,
6-श्री अरुणवीर सिंह,
7-श्री उदयराज यादव,
8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
9-श्रीमती विद्या चौधरी,
10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
11-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर,
12-श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ना,
13-श्री विश्राम सिंह यादव,
14-डा0 सुशील चौधरी,
15-श्री परमेश्वर दयाल,
16-श्री राम चन्द्र यादव,
17-श्री मदन गोपाल वर्मा,
18-श्री राम हेत भारती,
19-श्री संजीव दरियाबादी,
20-श्री अनूप कुमार पाण्डेय,
21-श्री रमेश चन्द्र विन्द,
22-श्री चन्द्र किशोर,
23-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,
24-श्री राम करन आर्य,
25-श्री प्रागी लाल अहिरवार,
26-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
27-श्री प्रमोद तिवारी,
28-श्री मोहनदेव शंखवार,
29-श्री नवाब सिंह नागर,
30-चौ0 महेन्द्र सिंह।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 12 फरवरी, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 6 मिनट पर सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2007 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 25 जनवरी, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पूर्व पृष्ठ संख्या 24-57 पर सन्दर्भ)

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्राप्त संशोधन)

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लालजी वर्मा, श्री चौ0 रिजवान अहमद, श्री राम अचल राजभर, श्री धर्मराज निषाद, श्री ओ0 पी0 सिंह, श्रीमती विद्या चौधरी, श्रीमती माया प्रसाद, श्री चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री अनिल कुमार मौर्य, डा0 धर्म सिंह, श्री अनिल शर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरन राजभर, श्री विनय शाक्य तथा श्री दद्दू प्रसाद। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, 2-निठारी में मासूम बच्चों के हुए नरसंहार में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में भयंकर सूखे के उपरान्त सूखाग्रस्त घोषित कर राहत दिये जाने के सम्बन्ध में, 4-किसानों को रसायनिक उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-रसायनिक उर्वरक डी0ए0पी0/यूरिया के काला बाजारी रोकथाम के सम्बन्ध में, 6-अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मांग के सापेक्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति धनराशि मांग के सापेक्ष उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में अनु0जाति को शिक्षा में उत्थान हेतु संचालित प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 9-स्पेशल कम्पोनेन्ट के लिये आवंटित धनराशि का भारत सरकार के मार्ग दर्शन के अनुसार उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में उद्योग धन्धे लगाये जाने के सम्बन्ध में, 11-शिक्षा मित्रों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न पेय जल संकट के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-नहरों में टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 14-गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 15-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की हो रही कालाबाजारी को रोके जाने के सम्बन्ध में, 16-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे प्रत्येक परिवार को अन्त्योदय/बी0पी0एल0 राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, 17-किसानों को निजी नलकूप हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पात्र समस्त परिवारों की पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-प्रदेश में समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का मानक के अनुरूप संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 20-बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के गिरते शिक्षा स्तर के उन्नयन के सम्बन्ध में।"
3	श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री राम सेवक, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती लुईस खुर्शीद,	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में फैली अराजकता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर के कारण प्रदेश में व्याप्त अभूतपूर्व बिजली संकट के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश की अनियंत्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्रीमती अमीता सिंह, डा0 सुशील चौधरी, श्री अजय कपूर, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विवेक बंसल तथा श्री प्रदीप जैन आदित्य। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	4-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत न मिल पाने के सम्बन्ध में, 5-गन्ना किसानों को रु0 175/- प्रति कुन्टल की दर से गन्ने का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 7-निठारी काण्ड की जांच में सी0 बी0 आई0 जांच के पहले, जांच करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों तथा इसके मुख्य अभियुक्त श्री मोनिन्दर सिंह पंधेर उर्फ "गोल्डी" के साथ सहयोग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही किये जाने और पीड़ितों को दस-दस लाख का मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 8-कविता काण्ड में सत्ता में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, 9-बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षा मित्रों को नियमित किये जाने तथा पड़ोसी राज्यों के बराबर मानदेय/वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा 11-1000 जूनियर विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है किन्तु बहुत से विद्यालय छूट गये हैं अतः 1000 जूनियर विद्यालयों को और अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में।"
4	डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था विशेष रूप से अपराधी सत्ता गठजोड़ के सम्बन्ध में, 2-महंगाई पर अंकुश लगाने का कोई सरकारी प्रयास न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-सरकार की उदासीनता के चलते बुन्देलखण्ड में किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्या की घटनाओं के सम्बन्ध में,
		4-बुन्देलखण्ड विशेषकर कालपी क्षेत्र के किसानों को समय से पलेवा के लिये तथा उसके बाद सिंचाई के लिये नहरों द्वारा पानी न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
		5-बुन्देलखण्ड के किसानों को खाद न मिलने तथा इसके फलस्वरूप सत्ता की मिलीभगत से खाद की व्यापक काला बाजारी के सम्बन्ध में,
		6-बेरोजगारी-भुखमरी के कारण जनपद जालौन से ग्रामीणों के लगातार हो रहे पलायन तथा इसके कारण क्षेत्र के युवाओं की घटती संख्या तथा असंतुलन के सम्बन्ध में,
		7-किसानों-उपभोक्ताओं के हित में पेट्रोल-डीजल पर आरोपित व्यापार कर घटाकर राहत देने के सम्बन्ध में,
		8-सरकार द्वारा प्रदेश का शैक्षिक वातावरण नष्ट करने से छात्रों पर पड़ने वाले इसके दूरगामी प्रभाव के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश की बदहाल विद्युत आपूर्ति तथा इस विषय पर सरकार के लगातार झूठे आश्वासन से छात्र/किसान/आम नागरिक में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में,
		10-कालपी में स्वीकृत 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अब तक धन न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		11-कालपी क्षेत्र दस्यु प्रभावित होने के बावजूद इस क्षेत्र में पी0 ए0 सी0 केन्द्र स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-कालपी के महेवा विकास खण्ड के चार वर्ष से अधूरा पड़े पिपरोधा रपटा के निर्माण हेतु धन की दूसरी किश्त न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-कालपी-मदरालालपुर-सूर्य मंदिर सम्पर्क मार्ग को चार वर्ष बीतने के बाद भी धन की दूसरी किश्त देकर पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-कालपी क्षेत्र में ध्वस्त ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत न कराने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में, तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-कालपी के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को रिबोर ठीक न कराये जाने के कारण हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।"
5	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-कृषि कार्यों के लिये किसानों को बिजली, पानी, उर्वरक और अच्छे बीज देने के सम्बन्ध में, 2-वाराणसी में कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में, 3-वाराणसी में सड़क जाम की विकट समस्या के निदान के सम्बन्ध में, 4-वाराणसी में शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु सभी क्षेत्रों में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में, 5-भूगर्भ जल स्तर को नीचे जाने से रोकने के सम्बन्ध में, 6-गेहूं और धान खरीद योजना को सफल बनाने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस योजना में शामिल न करने के सम्बन्ध में, 7-बेतहाशा बढ़ती हुई खाद्यान्नों और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई के सम्बन्ध में, 8-गुप्तचर एजेन्सी आई0 एस0 आई0 द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाओं के विस्तार तथा जड़ें जमाने के सम्बन्ध में, 9-बिजली, पानी और असुरक्षा के गम्भीर संकटों के कारण औद्योगिक घरानों और व्यापारियों के उत्तर प्रदेश से पलायन के सम्बन्ध में, 10-भाजपा राज्य सरकार द्वारा स्थापित वाराणसी के डीरेका बालिका महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में विज्ञान, वाणिज्य और बी0 एड0 विषयों की स्वीकृति देने और महाविद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में, 11-भाजपा शासनकाल में स्वीकृत वाराणसी के महुआडीह रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु कुल व्यय का अध्यांश व्यय देने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-वाराणसी के लठिया ड्रेन की सफाई कराने तथा दूसरी किश्त देने के सम्बन्ध में, 13-अन्नपूर्णा योजना में चयनित लाभार्थियों का राशन बन्द कर उनको वृद्धावस्था पेंशन देने की राज्य घोषणा के अनुपालन के सम्बन्ध में, 14-वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खण्ड में स्थित छितौनी बड़ादेव पम्प कैनाल के क्षतिग्रस्त मेड़ों को बनवाने तथा क्षतिग्रस्त मशीनों को ठीक करवाने के सम्बन्ध में, 15-ए0 पी0एल0 राशन कार्डों पर भी राशन और चीनी सस्ते दाम पर देने के सम्बन्ध में, 16-वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खण्ड में मोहन सराय रामनगर बाई पास के दोनों ओर के 31 ग्रामों की कृषि भूमि को आवास विकास परिषद् द्वारा आवासीय योजना में लेने की योजना को पूर्व सरकार द्वारा स्थगित योजना को निरस्त करने के सम्बन्ध में, 17-कविता काण्ड व निठारी काण्ड के अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिलाने तथा दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को दंडित करने के सम्बन्ध में, 18-वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खण्ड में सितम्बर, 2006 में कम वर्षा होने के कारण धान की सूख गई फसल की क्षति पूर्ति देने के सम्बन्ध में, 19-वाराणसी के काशी विद्यापीठ विकास खण्ड में अक्टूबर, 2006 में हुई वर्षा और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में, 20-वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों को शहरी बिजली देने के सम्बन्ध में, तथा 21-वाराणसी महानगर में मलिन बस्ती सुधार योजना हेतु धन देने के सम्बन्ध में।"
6	डा0 राम बाबू हरित (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-प्रदेश में नकल अध्यादेश का जनहित में कड़ाई से पालन कराने के सम्बन्ध में,
		3-प्रदेश में आरक्षण कोटा पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,
		4-प्रदेश में आरक्षण कोटा पूर्ण कराने हेतु अल्पसंख्यक स्कूलों को आरक्षण सम्बन्धी अध्यादेशों को समाहित करने के सम्बन्ध में,
		5-प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धार्मिक प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुये मांस की दुकानें, वधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में,
		6-प्रदेश में डीजल, पेट्रोल आदि पर व्यापार-कर को दिल्ली सरकार के अनुसार व्यापार-कर समाहित करने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश में गौ-रक्षा कानून को सख्ती से अनुपालन करने के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को मिल रही छात्रवृत्ति आदि की सुविधा को बरकरार रखने तथा पूर्व के वर्षों में इसके भुगतान में आयी कमियों के कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग, दलित महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों, बलात्कारों में बढ़ोत्तरी, मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि रोकने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश में नियोजित तरीके से सभी जनपदों में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के महानगरों में चुंगी के प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत आदि कराकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		12-निठारी काण्ड तथा कविता प्रकरण में पूर्व में ठीक प्रकार से जांच न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-मुख्य मंत्री की 9-9-06 की घोषणानुसार आपातकाल में निरुद्ध जनरक्षकों जैसे लोकतंत्र की बहाली में 18 माह जेल काट चुके लोकप्रिय नेता श्री भवतोष चक्रवर्ती को अभी तक पेंशन आदि की सुविधा न मिलने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश के एस0 सी0/एस0 टी0 निजी स्कूलों का अनुदान यथावत रखने के सम्बन्ध में,
		16-आगरा महानगर में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकीज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिये प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण हेतु 21 लाख का अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुये मुख्य आवश्यक वस्तुओं यथा-गेहूं, चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइन्ड आयल, नमक, डबल रोटी, आलू, प्याज की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण एवं पर्याप्त उपलब्धता, घटतौली व अपमिश्रण की रोकथाम आदि के नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,
		18-आगरा में हाई कोर्ट ब्रान्च बनाने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद आगरा के दीवानी परिसर में माननीय वकीलों के साथ हुई पुलिस प्रशासन की निन्दनीय मार-पीट की घटना के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-आगरा महानगर के शहरी क्षेत्रों टैनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैंस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर बाहरी बिना भीड़-भाड़ के इलाकों में स्थानान्तरित किये जाने एवं संबंधित प्रभावी लोगों को आवास विकास प्राधिकरण व आगरा आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		21-आगरा महानगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुये राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-आगरा पश्चिम क्षेत्र में रुई की मण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवर या अण्डर ग्राउण्ड ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में,
		23-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा- महानगर, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक, धर्मस्थलों को मैट्रो रेल से जोड़ने के लिये धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बीमा कराकर इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		26-किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में धन अनुदान स्वरूप दिलाने के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश में ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,
		29-प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं की सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,
		30-आगरा महानगर में यमुना नदी पर बैराज बनाने के सम्बन्ध में,
		31-आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		32-आगरा महानगर में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,
		33-आगरा महानगर में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		34-आगरा पश्चिम क्षेत्र में छात्र/छात्राओं हेतु नये विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,
		35-आगरा महानगर में गरीब लोगों हेतु सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को अस्पतालों (एस0 एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी) में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		36-प्रदेश के विभिन्न नगरों में नालों की सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी के लिये नाला-नाली के निर्माण के सम्बन्ध में,
		37-प्रदेश में जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने के सम्बन्ध में,
		38-प्रदेश में अपराधों को कम करने के लिये किसी ठोस तात्कालिक योजना के सम्बन्ध में,
		39-प्रदेश के गिरते हुये जल स्तरों को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,
		41-प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		42-आगरा महानगर में स्थायी खराब हैण्ड पम्पों को युद्ध स्तर पर ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		43-आगरा के जूता व्यवसाय की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		44-आगरा के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से अत्यधिक फीस आदि लिये जाने के सम्बन्ध में,
		45-आगरा में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा करने व फीस माफ करने के नियमों को पालन कराने के सम्बन्ध में,
		46-आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,
		47-आगरा महानगर में गरीब पिछड़े और अनुसूचित लोगों को बिना बचत पत्र जमा कराये सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक आर्म लाइसेंस दिलाने के सम्बन्ध में,
		48-आगरा महानगर में इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		49-आगरा में राशन कार्ड कैम्प कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		50-आगरा महानगर में टी0 बी0 अस्पताल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,
		51-आगरा महानगर को ताजमहल के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,
		52-आगरा महानगर में पुराने गन्दे कुओं की सफाई करके उन्हें पानी पीने योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		53-आगरा महानगर में बन्द पड़े सीवर लाइनों को खोलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,
		54-आगरा महानगर में पर्याप्त मात्रा में सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,
		55-आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा शुद्ध साफ पानी, पीने हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		56-आगरा जल संस्थान के कर्मचारियों को समय से पगार दिलवाने के सम्बन्ध में,
		57-आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		58-आगरा जल संस्थान की सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में मशीन खरीद कर जेटिंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		59-आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा हजारों नलों में व्यर्थ पानी बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने के सम्बन्ध में,
		60-आगरा महानगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये हैण्डपम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,
		61-आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		62-आगरा महानगर में सफाई को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		63-आगरा महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		64-आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		65-उ0 प्र0 सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने के सम्बन्ध में,
		66-आगरा महानगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,
		67-आगरा महानगर के सभी सिल्ट भरे नालों की तली झाड़कर सफाई कराके सिल्ट को तुरन्त उठवाने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,
		68-आगरा महानगर में निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता सुधारने हेतु ठेकेदारों को समय से भुगतान करने, खराब हुये कार्यों में दोषी ठेकेदार व अभियन्ताओं को कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में,
		69-आगरा महानगर में नगर महापालिका द्वारा सभासद/नगर प्रमुख, विधायक, जन प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,
		70-आगरा नगर निगम सीमा में अश्लील पोस्टर के लगाने पर दोषी लोगों को दण्डित करने के सम्बन्ध में,
		71-आगरा महानगर में दसियों कान्वेंट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उनका सही हाऊस टैक्स न लगाने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में,
		72-आगरा महानगर के नगर महापालिका में कर्मचारियों को बोनस, फंड, पगार आदि समय से उपलब्ध करने के सम्बन्ध में,
		73-आगरा महानगर पालिका में कर्मचारियों को मानक के अनुसार भर्ती करने के सम्बन्ध में,
		74-आगरा महानगर में होर्डिंग्स से हो रही राजस्व की कमी के लिये सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		75-आगरा महानगर में सभी सरकारी विभागों में आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में,
		76-आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में छात्र, छात्राओं के लिये आबादी के घनत्व को देखते हुये दो-दो नये कालेज खोलने के सम्बन्ध में,
		77-आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त मात्रा में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में,
		78-आगरा महानगर में प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाओं को समय से वेतन देने के सम्बन्ध में,
		79-आगरा महानगर में चर्मनगर स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		80-आगरा महानगर में लोहामण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		81-आगरा महानगर में मलिन बस्तियों से शराब की दुकाने हटाने के सम्बन्ध में,
		82-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को क्लास के 50 प्रतिशत परिणाम आने पर ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट आदि की सुविधा देने के सम्बन्ध में तथा राजनीति में आये शिक्षकों को एक ही स्थान पर वेतन व पेंशन प्राप्त करने के सम्बन्ध में,
		83-आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,
		84-प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0, अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियन्ताओं व अन्य कर्मचारियों की समय-समय पर इनके निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,
		85-प्रदेश में वीरांगना झलकारी बाई, अवन्ती बाई, भगवान परशुराम, अग्रसेन जी महाराज के जन्म दिन पर सार्वजनिक छुट्टी व आगरा महानगर में मुख्य चौराहों पर इनकी मूर्ति की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		86-आगरा जनपद के जयपुर हाउस, राजामण्डी, बुन्दु कटरा, फ्रेन्ड्स कालोनी के उपविद्युत केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले मोहल्लों में नीचे लगे विद्युत पोलों, जर्जर विद्युत तारों, कम क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की जगह अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर बदले जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 87-आगरा महानगर में गंगा नदी में पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 88-नगर निगम आगरा व कर्मचारियों में हड़ताल के बाद हुये समझौते लागू कराने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, तथा 89-अम्बेडकर जयन्ती पर जनपद आगरा में साज-सज्जा, सौन्दर्यीकरण के साथ भीम नगरी लगने जा रहे रामनगर, प्रकाश नगर, केदार नगर व प्रेम नगर आदि क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास कराने के सम्बन्ध में।"
7	श्री नवाब सिंह नागर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-निठारी काण्ड (नोयडा) के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में, 2-नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एस0 ई0 जेड0 (सेज) एवं हाईटेक सिटी के लिये अधिग्रहण न किये जाये तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा सीधे किसानों से जमीन खरीदे जाने के सम्बन्ध में, 3-नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसानों की बनी आबादियों को अधिग्रहण से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में, 4-नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों की जमीन का मुआवजा कम से कम एक हजार रुपये प्रति गज किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का रुका हुआ निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं दादरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की बिगड़ी हालत को सुधार कर विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 7-उत्तर प्रदेश, दिल्ली परिवहन निगम के बीच चल रहे विवाद को समाप्त कर परिवहन व्यवस्था को पुनः पूर्ववत् शुरू किये जाने के सम्बन्ध में, 8-उ0 प्र0 में व्यापार कर की दरों में जैसे डीजल, पेट्रोल, ईंटों आदि अनेक वस्तुओं पर भारी अन्तर है, ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री पर व्यापार कर दिल्ली के समान किये जाने के सम्बन्ध में, 9-दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 10-नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों को अधिग्रहीत जमीन का 10 प्रतिशत आवासीय उपयोग के लिये दिये जाने के सम्बन्ध में।"
8	डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-इलाहाबाद महानगर की विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ कर विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में, 2-इलाहाबाद शहर के गृह-कर मूल्यांकन का ठीक निर्धारण करने तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनता को गृह कर में छूट देने के सम्बन्ध में, 3-इलाहाबाद नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा उनके वेतन भुगतान को सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 4-लखनऊ महानगर की तरह इलाहाबाद महानगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,
		5-इलाहाबाद के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुये प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने के सम्बन्ध में,
		6-इलाहाबाद शहर के बाहर बाई पास मार्ग बनाने के सम्बन्ध में,
		7-प्रदेश में जल दोहन से घटते भूमि जल स्तर को रोकने के सम्बन्ध में,
		8-राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछली बाजार, कटरा, इलाहाबाद को उर्च्चीकृत कर इण्टरमीडिएट स्तर तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फाफामऊ, इलाहाबाद में स्नातकोत्तर कक्षायें तत्काल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,
		10-उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों, होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों तथा आयुर्वेदिक कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को बी0 एड0 एवं अन्य प्रशिक्षित शिक्षकों से भरने के सम्बन्ध में,
		12-इलाहाबाद शहर की अनियमित कालोनियों एवं आवासों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-इलाहाबाद शहर के जिन मोहल्लों में सीवर लाइन नहीं है वहां पर सीवर की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		14-बाघम्बरी गद्दी (अल्लापुर) इलाहाबाद में अपूर्ण सीवर लाइन को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धन को अविलम्ब अवमुक्त करने के सम्बन्ध में,
		15-इलाहाबाद शहर में एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने तथा अनेकों वर्षों से चल रहे किराये के भवन में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का अपना भवन निर्माण कराये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जाने के सम्बन्ध में,
		16-शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश के कालेजों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इण्टरमीडिएट कालेजों, बेसिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षकों के पदों के भरने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश एवं इलाहाबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, आतंकवाद एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,
		21-राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण एवं चुनाव में अपराधियों को लड़ने से रोकने के सम्बन्ध में,
		22-नैनी, इलाहाबाद के उद्योगों के विकास एवं उनकी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में,
		23-प्रदेश के निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेजों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		24-प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में,
		25-इलाहाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,
		26-इलाहाबाद शहर में स्वीकृत ऊर्जा पार्क तथा साइंस सिटी, योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,
		27-इलाहाबाद में प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेला तथा आगामी अर्द्धकुम्भ मेला को दृष्टिगत रखते हुये संगम स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण तथा गंगा नदी को स्थायी रूप से प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में,
		28-माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने तथा शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की पवित्रता बनाने हेतु समुचित कदम उठाने के सम्बन्ध में,
		30-प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में,
		31-प्रदेश में कालेजों एवं महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम खुलने से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसे मानक के अनुरूप बनाये रखने के सम्बन्ध में,
		32-प्रदेश में मेधा के आधार पर मेधावी छात्र-छात्राओं को अध्ययन में प्रोत्साहित करने हेतु समुचित छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		33-उत्तर प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित पी0 सी0 एस0, पी0 सी0 एस0 जे0 आदि प्रारम्भिक परीक्षाओं में 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर फाइनल परीक्षाओं में बैठने के सम्बन्ध में,
		34-प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं तथा पढ़ाने वाले शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों के समान सभी सुविधायें एवं लाभ देने के सम्बन्ध में,
		35-इलाहाबाद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित करने हेतु तेलियरगंज में 132 के0 वी0 ए0 का पावर सब-स्टेशन निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		36-विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण योजना-2004 के अन्तर्गत तीसरी सूची जारी करने के सम्बन्ध में,
		37-राजकीय महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं की संविदा धनराशि बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने के सम्बन्ध में,
		38-माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से नियुक्त एल0 टी0 ग्रेड एवं प्रवक्ताओं को कालेजों में ज्वाइन करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में,
		39-इलाहाबाद अलोपीबाग मोहल्ले में अनेकों वर्षों से रह रहे डी-टाइप आवासियों को विक्रय कर निस्तारण करने के सम्बन्ध में,
		40-उत्तर प्रदेश अर्धीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन को समाप्त कर पूर्व की भांति लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत करने के सम्बन्ध में, तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		41-इलाहाबाद के शास्त्री पुल एवं फाफामऊ पुल पर से टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा के क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में।"
9	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद कन्नौज में थाना बिशुनगढ़ के ग्राम भंवराजपुर के अन्तर्गत एक दलित की हत्या में नामजद अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने और हत्या के गवाह के सगे बहनोई को बिल्कुल निर्दोष होने पर भी जेल में डाल दिया गया है और मृतक के परिवारीजनों को परेशान किया जा रहा है जबकि नामजद अभियुक्त निर्भयतापूर्वक बाहर घूम रहे हैं, 2-पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की कमी के कारण हाहाकार मचा है और इस पर भयंकर कालाबाजारी हो रही है, 3-टेल तक पानी पहुंचाने की घोषणा करने वाले मुख्य मंत्री के पुत्र कन्नौज से सांसद हैं, वहां किसी रजबाहे, माईनर में टेल तक पानी पहुंचाना तो दूर महीनों से पानी के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं, तथा 4-जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में प्रत्येक ग्राम में सैकड़ों की संख्या में और बड़े ग्रामों में हजारों की संख्या में दीन, दलित व भूमिहीन बी0 पी0 एल0 व अन्त्योदय कार्डों से वंचित हैं।"
10	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :- 1-मेरठ नगर निगम के कमेले के अवैधानिक टेके को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के फैसले के एक माह बाद भी जिला प्रशासन मेरठ द्वारा नगर निगम मेरठ को मंत्रि परिषद् के एक सदस्य के दबाव में तथा मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कब्जा न दिलाकर सर्वोच्च

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		न्यायालय का अपमान किये जाने ठेका (अवैधानिक) देने वाले तत्कालीन नगरायुक्त अनिल राय के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ में गली मोहल्लों में खुल रहे मिनी कमेलों के सम्बन्ध में, 2-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-मेरठ महानगर की अनियमित कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में, 4-मेरठ विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं तथा छात्रों का भयंकर उत्पीड़न के सम्बन्ध में। बी0 एड0 प्रवेश में विलम्ब के सम्बन्ध में, 5-दिल्ली मेरठ रुड़की रोड पर खूनी बाई पास पर डिवाइडर लगाने के सम्बन्ध में, 6-मैट्रो ट्रेन को गाजियाबाद से मेरठ तक जोड़ने के सम्बन्ध में, 7-दिल्ली यू0पी0 बस विवाद को समाप्त कर जनता को हो रहे कष्ट के निवारण के सम्बन्ध में, 8-मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे निर्माण कर दिल्ली मेरठ की दूरी 55 मिनट में तय करने के सम्बन्ध में, 9-मेरठ में रिंग रोड, रिंग नाला, रिंग पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में, 10-मेरठ महानगर हेतु सरफेसवाटर पेयजल आपूर्ति भोला की झाल से करने के सम्बन्ध में। सिंचाई विभाग से 300 क्यूसेक पानी दिये जाने के सम्बन्ध में, 11-मेरठ में कचरे का निस्तारण कर बिजली बनाने के सम्बन्ध में, 12-मेरठ को ज्वैल सिटी बनाने की अधूरी पड़ी योजना को पूर्ण करने के सम्बन्ध में, 13-किसानों को कम गन्ना मूल्य अर्थात् चीनी के दाम के अनुपात में न दिये जाने के सम्बन्ध में, 14-आलू/आवंला पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-प्रदेश में व्याप्त घरेलू गैस आपूर्ति में कर तथा उपभोक्ताओं का हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में,
		16-आबादी के अनुपात में मानक के आधार पर सभी बस्तियों में प्राइमरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश के तलाबों पर से कब्जा मुक्त कराने में अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश के स्थानीय निकायों का चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान बढ़ाकर उनकी जर्जर आर्थिक हालत सुधारने के सम्बन्ध में,
		19-विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के नियमतीकरण के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को विकसित करने की दृष्टि से मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना तथा सभी स्कूलों में खेल के मैदान की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ के तत्कालीन कुलपति तथा अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006 में अवैधानिक मानदेय परिश्रमिक लेकर लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में,
		22-विधान सभा की याचिका समिति के निर्देश पर मेरठ में हुई नाला सफाई की जांच के आधार पर याचिका समिति द्वारा तत्कालीन नगरायुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के नियुक्ति विभाग को दिये निर्देश पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-मेरठ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता, चीफ इन्जीनियर के रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में,
		24-मेरठ महानगर में इस्माइल कालेज बुढ़ानागेट के ठप्प पड़ गये को रीबोर करने के सम्बन्ध में,
		25-मेरठ महानगर में बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण ठप्प पेयजल हेतु सभी ट्यूबवेलों में निगम के जनरेटर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-मेरठ की मतदाता सूची में फर्जी तरीके से शामिल किये गये विदेशी घुसपैठियों के नाम शामिल करने तथा उन्हें हटाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में,
		27-मेरठ महानगर को वास्तविक मैट्रो सिटी बनाये जाने की नियमावली के सम्बन्ध में,
		28-मेरठ में अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था परतापुर, मवाना, सरधना फायर स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		29-शासन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,
		30-मेरठ नगर निगम में अपर्याप्त अधिकारी व रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में,
		31-माध्यमिक विद्यालय से संलग्न प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		32-प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को वेतन वितरण अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-मेरठ से समाप्त हो गये आई0सी0डी0 कन्टेनर डिपो को पुनःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		34-विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुल्क सूची निर्धारण युक्तियुक्त करने के सम्बन्ध में,
		35-प्रदेश के विद्युत चोरों के साथ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की मांग के सम्बन्ध में,
		36-मेरठ महानगर में मार्ग प्रकाश फ्रेम वायर डालने की 1 करोड़ 78 लाख रु0 की योजना को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के स्रोतों से नियमानुसार पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-जैन्डर बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर बालिका विद्यालयों को अनुदानित करने का प्रतिशत बढ़ाने तथा बालकों के विद्यालयों को अनुदानित करने के रिक्त कोटे को बालिका विद्यालय की अन्तिम तिथि बढ़ाकर पूर्ति करने के सम्बन्ध में,
		38-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अंधाधुंध विकास शुल्क को कम करने तथा उसके कारण ठप्प हो गये विकास के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39-प्रदेश में सपा सरकार द्वारा पोषित किये जा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण तथा इस्लामी आतंकवाद के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश में तीन वर्ष से अधिक कार्य किये परन्तु अब उच्च शिक्षा सेवा आयोग के चयन के आधार पर विस्थापित मानदेय शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

41-मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियमित भर्ती के सम्बन्ध में,

42-नोएडा भूमि घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद तत्कालीन सी0ई0ओ0 नोएडा श्रीमती नीरा यादव के खिलाफ विभागीय जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-मुरादनगर रुड़की नहर पटरी योजना (कांवड मार्ग) को तत्काल मानक के अनुसार पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश के शिक्षा मित्रों के नियमतीकरण के सम्बन्ध में,

45-मेरठ में भोले की झाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पूर्व योजना को क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में,

46-मेरठ विकास प्राधिकरण की कालोनियों के निवासियों से सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बावजूद धनराशि वसूलने के नाम पर उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में,

47-नौचन्दी मेला आयोजन के स्थायी विवाद को समाप्त करने तथा मेले के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु ट्रेड फेयर अथारिटी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश में स्वकेन्द्र परीक्षा के माध्यम से पनपते शिक्षा माफियाओं व नकल के सम्बन्ध में,

49-मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

50-मेरठ में घटे विक्टोरिया पार्क अग्निकाण्ड के घायलों के इलाज, प्लास्टिक सर्जरी आदि एवं दवाओं की व्यवस्था तथा अब तक के इलाज में हुये व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधन 3 करोड़ से अधिक धनराशि की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		51-मेरठ महानगर को पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पुलिस बल, उपकरण, आवश्यक बैरक, थाना, पुलिस चौकी, वाहन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में,
		52-मेरठ पुलिस लाइन के आवासीय परिसर में खाली पड़ी पार्क भूमि के पार्क के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,
		53-प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण महिला सशक्तीकरण की योजना तथा कन्याओं की घटती संख्या रोकने हेतु प्रभावी योजना के सम्बन्ध में,
		54-मेरठ महानगर में जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में,
		55-मेरठ मेडिकल कालेज में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में,
		56-मेरठ विश्वविद्यालय के मूल्यांकन घोटाले की प्रशासनिक विश्वविद्यालय, शासन की जांच रिपोर्ट न आना व दोषियों के विरुद्ध नजीरात्मक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,
		57-मेरठ महानगर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति न दिये जाने तथा उससे जनता को हो रहे कष्ट के सम्बन्ध में,
		58-मेरठ में भूगर्भ के गिरते जलस्तर की पूर्ति हेतु रेनवाटर हार्वेस्टियों के प्रभावी अमल के सम्बन्ध में,
		59-प्रदेश की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला तथा उनकी मेरठ शाखा में पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,
		60-उ0 प्र0 में आयुर्वेदिक औषधियों के (शास्त्रीय योग) परीक्षण हेतु बनी लंगड़ी प्रयोगशाला को व्यवहारिक स्वरूप दिये जाने के सम्बन्ध में,
		61-मेरठ महानगर में चिदौड़ी ग्राम में ओडियन नाले पर सीवेज थर्मल स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		62-प्रदेश के आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
		63-प्रदेश के स्थानीय निकायों में व्यवहारिक स्वकर, गृह कर/व्यवहारिक कर के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		64-प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, चौथवसूली, अपहरण उद्योग, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं अपराधियों/ माफियाओं के वर्चस्व के सम्बन्ध में,
		65-निठारी काण्ड में बड़े अफसरों को बचाने के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 जांच देर से दिये जाने के सम्बन्ध में,
		66-प्रदेश में बढ़ती भीषण मंहगाई को रोकने की कोई योजना के सम्बन्ध में,
		67-प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में ठप्प हो गये व्यापार एवं उद्योग के सम्बन्ध में तथा व्यापारियों के अपहरण व उत्पीड़न के सम्बन्ध में,
		68-मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध तथा नियम विरुद्ध बताये गये यूनानी कालेजों को बन्द करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद उनके संचालकों हकीम मो0 अकरम को भा0 चि0 प्रा0 के अध्यक्ष मनोनीत कर उनको दर्जा राज्य मंत्री देकर न्यायालय की अवमानना तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने व भ्रष्टाचार युक्त करने के सम्बन्ध में उन्हें तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		69-केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अधिनियम की धारा 17(3) बी0 द्वारा समूचे देश प्रदत्त भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक दवा प्रयोग करने के अधिकार के विपरीत आदेश भेजकर रोक लगाने का नियम विरुद्ध प्रयास चेयरमैन भा0 चि0 द्वारा करने के सम्बन्ध में उन्हें तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		70-उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 1939 में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति अधिनियम की धारा 17(3) बी0 के अनुरूप संशोधन करने तथा तब तक यथा पंजीकृत चिकित्सा को अधिनियम, 1939 की धारा 41(2) धारा 39 तथा 1950 तक अब तक के शासनादेशों के अनुरूप एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग के लिये अधिकार को बरकरार रखना,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		71-प्रदेश में राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर आन्दोलनों के कारण कायम किये गये मुकदमों को वापिस लिये जाने के सम्बन्ध में, 72-निठारी काण्ड के अभियुक्त तथा उस दौर में तैनात पुलिस अधिकारियों की परिसम्पत्ति की जांच कराने के सम्बन्ध में, 73-उत्तर प्रदेश कैडर के आई0 ए0 एस0 तथा आई0 पी0 एस0 के श्रेष्ठ व अच्छे अधिकारियों के उत्तर प्रदेश से पलायन कर भारत सरकार जाने के सम्बन्ध में, 74-मेरठ में पी0 जी0 आई0 स्तर के चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 75-मेरठ में आबादी के ऊपर से गुजरते तारों को सरकारी व्यय पर हटाने के सम्बन्ध में, 76-मेरठ महानगर में स्वच्छकार विमुक्ति योजना के संसाधन बढ़ाकर योजना को व्यवहारिक बनाकर बाल्मीकि नौजवानों व नवयुवकों के सिर पर मैला ढोने की प्रथा से विमुख कर स्वावलम्बी बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 77-प्रदेश के पूर्व विधायकों के भत्ते, पेंशन, कूपन बढ़ाये जाने की घोषणा को लागू करने के सम्बन्ध में।"
11	श्री श्यामदेव राय चौधरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-वाराणसी जैसे अति महत्वपूर्ण नगर के विकास सम्बन्धी कोई विशेष योजना के सम्बन्ध में, 2-विद्युत की अंधाधुंध कटौती से आम नागरिकों सहित उद्योगधंधों के चौपट होने से बचाने के सम्बन्ध में, 3-विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कार्यों को गति प्रदान करने एवं जर्जर तारों को बदलने, नये ट्रांसफार्मरों को लगाने एवं नये विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-पूर्वान्चल राज्यांश के अन्तर्गत सन् 2002 में लगाये गये नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण कराकर चालू कराने के सम्बन्ध में जबकि कई आश्वासन दिये गये एवं शेष कार्य हेतु अवशेष धनराशि भी उपलब्ध करा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		5-गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने एवं गन्दे नालों को नदी में गिरने से अविलम्ब रोकने एवं ड्रेजिंग द्वारा नदी के गहराई को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
		6-वाराणसी के गोदौलिया से वाया सोनारपुरा से लंका तक तथा कीनाराम बाबा के आश्रम से रवीन्द्रपुरी कालोनी बाई पास होते हुए लंका तक अति व्यस्त एवं अति महत्वपूर्ण सड़कों के भयानक जर्जर अवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं ड्रेनेज निर्माण के सम्बन्ध में,
		7-विधान सभा में आश्वासन देने के बावजूद भी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी में अस्सी मोहल्ले में जमीन अधिग्रहीत कर प्रेरणादायी स्मारक का निर्माण के सम्बन्ध में जबकि उक्त कार्य हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख रुपया दिया जा चुका है के सम्बन्ध में,
		8-वाराणसी में प्रदूषित पेयजलापूर्ति को जनहित में अविलम्ब रोकने हेतु पाइप लाइनों के शिफ्टिंग करने के सम्बन्ध में,
		9-वाराणसी नगर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार हेतु प्रभावी कार्य योजना लागू करने के सम्बन्ध में,
		10-वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा तट के घाटों को स्वच्छ रखने एवं उनके सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,
		11-प्रति वर्ष गंगा नदी में डूब कर प्राण गंवाने वाले सैकड़ों लोगों के प्राण बचाने हेतु जल पुलिस में गोताखोर, मल्लाहों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में, तथा
		12-वाराणसी नगर के विस्तारीकरण एवं वर्तमान जल संस्थान की अपर्याप्त क्षमता को देखते हुए अलग से और एक जल संस्थान की स्थापना करने के सम्बन्ध में।"

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
12	श्री सतीश महाना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-कानपुर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट को सुचारु रूप से चलने से दूषित गंगा को साफ किये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में हो रहे हत्या, डकैती, लूटपाट को रोकने की प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-कुम्भ मेले के दौरान गंगा के प्रदूषित पानी को स्वच्छ किये जाने के सम्बन्ध में, 4-कानपुर महानगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में प्रभावी योजना लागू न करने के सम्बन्ध में, 5-कानपुर महानगर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, 6-कानपुर महानगर में नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करके आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में, 7-कानपुर में श्रमिक कालोनी में रहने वाले श्रमिकों को मालिकाना हक न दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 8-कानपुर के लवकुश गंगा बैराज पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता व कन्या धन वितरण में भेदभाव होने से उपयुक्त व्यक्तियों एवं बालिकाओं को उचित लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 10-कानपुर महानगर में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा सड़क निर्माण के लिये धनराशि अवमुक्त न करने के सम्बन्ध में, तथा 11-कानपुर महानगर के राजकीय चिकित्सालयों में दवा इलाज के समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
13	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के संदर्भ में, 2-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के संदर्भ में, 3-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में अनुसूचित जाति की तरह सवर्ण जाति की गरीब लड़कियों की शादी में सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश की मण्डियों में व्यापारियों को आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में मिड-डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृह कर माफ करने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को पेंशन का कुछ अंश राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 11-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गौकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मास प्लान्टों को लाइसेंस न दिये जायें, के सम्बन्ध में, 13-मेरठ पशु वधशाला (नगर निगम अन्तर्गत) पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन न होने के सम्बन्ध में, 14-मेरठ पशु वधशाला में मेरठ की खपत से ज्यादा पशु काटे जाने पर रोक लगाने हेतु, के सम्बन्ध में, 15-मेरठ विक्टोरिया पार्क में लगी आग से पीड़ित परिवार के बिलों का भुगतान आज तक न होने के सम्बन्ध में, 16-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में, 17-मेरठ में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु भोला सतवाई गंग नहर से पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 18-मेरठ में नई कालोनी गंगा नगर, लोहिया नगर, पल्लवपुरम् नया थाना खोलने के सम्बन्ध में, 19-मेरठ मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में, 20-मेरठ मेडिकल कालेज की टूटी चाहरदीवारी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, तथा 21-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में।"
14	श्री जगन प्रसाद गर्ग (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया :- 1-आगरा शहर में हो रही चोरी, डकैती व गुण्डागर्दी तथा लूटपाट को रोकने के सम्बन्ध में, 2-आगरा पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-आगरा में सस्ता सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेन्च की स्थापना के सम्बन्ध में,
		4-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में,
		5-आगरा स्थित ताजमहल, लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु अर्न्तराष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,
		6-आगरा में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,
		7-आगरा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में,
		8-आगरा में बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक एवं धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,
		9-आगरा में वी0 पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धुलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एतमाद्दौला स्मारक के सामने जमुना बृज स्टेशन रोड सहित सम्पूर्ण आगरा के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में,
		10-आगरा के तोता का ताला, आगरा कालेज फील्ड के पीछे नाले, महाराणा प्रतापनगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल नाले सहित आगरा के सम्पूर्ण नालों की नियमित सफाई के सम्बन्ध में,
		11-आगरा में पूर्वी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े सैकड़ों हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		12-आगरा के मस्ता बगीची क्षेत्र जौन्समील, जीवनीमण्डी क्षेत्र व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजारी सहित सम्पूर्ण आगरा के गिरासू विद्युत पोलों जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने तथा बहुत से स्थानों की विद्युत पोलों तथा खराब ट्रान्सफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-आगरा में नेहरू नगर से बजीरपुरा होते हुये वालीबाल पार्क तक गांधीनगर चौराहे से नगला बेनी प्रसाद होते हुये वजीरपुरा तक गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुये शहीद भगत सिंह की मूर्ति से पुरानी इमर्जेन्सी तक तथा सम्पूर्ण आगरा की गड्ढा युक्त सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में, 14-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में, 15-आगरा के मदिया कटरा, लोहा मण्डी व राजा मण्डी आदि सम्पूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में, 16-आगरा के राजा की मण्डी स्टेशन का नाम बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में, तथा 17-आगरा की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु डबल फाटक, सिकन्दरा, खन्दारी चौराहे पर, सुल्तानगंज पुलिया चौराहे पर व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।"
15	श्री सोमारू राम सरोज (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-वर्ष 2003-04 में पांच परियोजनाओं में से चार सम्पर्क मार्ग-कछवन तीनों पुरवा होते हुए पोखरा इण्टर कालेज से बोड़सर खुर्द गांव तक, पेसारा से रम्पा पासी के पुरवे से होकर मौसिंहपुर गांव की सड़क तक, पेसारा से मुर्दहान पोखरे तक सम्पर्क, तरियारी मोड़ से अहिरान, पाल पूरवार, परमानन्दपुर होकर सरांवा गांव की सड़क तक, सम्पर्क मार्गों को पूर्ण किये जाने हेतु अन्तिम धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 2-रतनूपुर बाजार में श्री तूफानी सरोज सांसद द्वारा भाजपा कार्यकर्ता श्री प्रेम शंकर सिंह की पिटाई के सम्बन्ध में जौनपुर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-केराकत बाजार में जनवरी, 2007 के प्रथम सप्ताह में पुनः दो लोगों की हत्या के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में, 4-दिनांक 17-1-07 की सायंकाल को श्री नान्हू उर्फ नन्हकू यादव पुत्र स्व0 रामधारी यादव निवासी ग्राम प्रतौरा, जनपद जौनपुर को गोली मारी गयी, अभी तक पुलिस द्वारा मुल्जिमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में, 5-विधान सभा क्षेत्र केराकत जौनपुर में बढ़ती हुई घटनाओं यथा-छिनौती, गोलीकाण्ड, अपहरण, डकैती को रोकने हेतु नाकाम पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, 6-जनपद जौनपुर में उर्वरक खाद की कमी से हो रही कालाबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में, 7-सिंचाई हेतु नहरों की नियमित सफाई एवं खराब नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में, 8-भूगर्भ जल संचयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्री द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद जौनपुर में केराकत चौराहे से गोमती नदी पुल पार करते हुए थाना गछ्दी चौराहे से नाऊपुर-झुन-झुन कम्पनी तक का सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा 10-आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के आदेश संख्या-524/14-74 (2003-2006) न्या0सं0 दिसम्बर, 2006 पर जिलाधिकारी द्वारा भू-माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।''
16	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2-उत्तर प्रदेश में सिम्मी पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3-उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार आई0 एस0 आई0 एजेण्ट पकड़े जाने के उपरान्त पूरे प्रदेश में इनकी गतिविधियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4-लखनऊ नगर में पेयजल संकट को दूर करने हेतु नये नलकूपों को लगाने, पुरानि नलकूपों को रिबोर करने हेतु तथा हैण्डपम्पों को रिबोर करने के लिये विशेष धन की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

5-लखनऊ महानगर में मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील, यमुना झील, पाण्डे का तालाब, रामनगर कालोनी में स्थित तालाब, हैदर बेग तालाब, अन्नाश्रोती तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर इनको पुनर्जीवित कराने के विषय में,

6-लखनऊ की जीवनधारा गोमती नदी के गिरते जल स्तर को ठीक करने एवं सफाई व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-लखनऊ महानगर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में,

8-लखनऊ में गोमती नदी में गिरते नालों को गोमती बैराज से बाहर करने के सम्बन्ध में,

9-लखनऊ में तीसरा जलकल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10-लखनऊ में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में,

11-लखनऊ महानगर में बनी अनियमित कालोनियों एवं आवासों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-लखनऊ महानगर में आवासीय भूखण्डों पर बने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का व्यावहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

13-लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील में पुराने बने बूचड़ खाने को भी न हटाये जाने के सम्बन्ध में।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17	श्री जगदम्बिका पाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-पूर्वी उत्तर प्रदेश में मष्तिष्क ज्वर से हुई मौतों पर कोई आर्थिक सहायता न दिए जाने के सम्बन्ध में, 2-उत्तर प्रदेश की बन्द चीनी मिलों खलीलाबाद तथा मुन्डरेवा को चलाऐं जाने के सम्बन्ध में, 3-पूर्वी उत्तर प्रदेश की लुम्बिनी-दुधई के सरयू नदी पर कलवारी टांडा पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में, 4-पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के 500 शैय्या चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाए जाने के सम्बन्ध में, 5-बस्ती जनपद में किसानों के लिए नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, 6-पूर्वी उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद के कालाबाजारी को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय किए जाने के सम्बन्ध में, तथा 7-गन्ने का समर्थन मूल्य लागत मूल्य के अनुपात में न किये जाने के सम्बन्ध में।"
18	श्री धर्मपाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-आंवला विधान सभा जनपद बरेली में रामगंगा नदी पर ग्राम बसन्तपुर तहसील आंवला व ग्राम गोरा तहसील मीरगंज जनपद बरेली के बीच पुल का निर्माण कराया जाय, इसके निर्माण से दोनों तहसीलों का आवागमन सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-आंवला विधान सभा में महाभारत कालीन स्थल है जैसे पांडवों का किला, अज्ञातवास के समय परवी स्नान किला व यक्ष तालाब व गौरी शंकर मंदिर गुलड़िया आदि-आदि के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-ग्राम जगन्नाथपुर क्षेत्र पंचायत रामनगर तहसील आंवला में श्री राज्यपाल के नाम दी गयी जमीन में जू0हा0 स्कूल का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-ग्राम शिवपुरी तहसील आंवला में विद्युत फीडर न बनाये जाने के सम्बन्ध में, 5-आंवला नगर में रोडवेज डिपो न बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6-विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कार्यों को गति प्रदान करने एवं जर्जर तारों को बदलने, बरसेर फीडर को ठीक करने एवं नये ट्रान्सफारमर को लगाने व कस्बा सिरौली में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में, 7-रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने एवं गन्दे नालों व फैक्ट्रियों के प्रदूषण युक्त जल रामगंगा में गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 8-आंवला विधान सभा में नहरे नहीं हैं, इससे सिंचाई नहीं हो पाती है, सिंचाई के लिए नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रतिवर्ष रामगंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर ग्राम हाजीपुर, बसन्तपुर शिवपुरी, अन्जनी, सिरौली आदि में नहाते समय डूब जाने के कारण प्राण बचाने हेतु गोताखोर मल्लाहों व जल पुलिस की नियुक्ति के सम्बन्ध में, 10-आंवला नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की अन्धाधुध कटौती रोकने के सम्बन्ध में, 11-आंवला स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर व दवाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 12-आंवला नगर, सिरौली नगर व ग्रा0 क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार हेतु प्रभावी कार्य योजना लागू करने के सम्बन्ध में, तथा 13-आंवला विधान सभा के प्रा0 विद्यालयों में अध्यापक न होने के कारण शिक्षा प्रभावित होने के सम्बन्ध में।"
19	श्री सुरेश कुमार खन्ना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उपाय के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से बरेली मण्डल व मुरादाबाद मण्डल की न्यायिक प्रक्रिया को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ खण्डपीठ से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में,
		3-प्रदेश स्तर पर मंहगाई को कम करने के लिये कोई सार्थक कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		4-प्रदेश स्तर पर सरकारी, सहकारी, निजी चीनी मिलों में गन्ना सप्लाई हेतु जारी पर्चियों की पारदर्शी व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		5-प्रदेश स्तर पर पुलिस की कार्य प्रणाली को बदलने के सम्बन्ध में,
		6-सरकारी अस्पतालों में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,
		7-चिकित्सा सम्बन्धी सरकारी स्टाफ की भर्ती के सम्बन्ध में,
		8-प्रदेश के शहरों में बढ़ते हुए अतिक्रमण को हटवाने तथा यातायात व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		9-प्रदेश में सम्पत्ति के क्रय-विक्रय हेतु सर्किल रेट निर्धारित करने के सम्बन्ध में,
		10-प्रदेश स्तर पर शस्त्र लाइसेन्स की नीति बदलकर जरूरतमंद लोगों को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में,
		11-शाहजहांपुर में चारखम्भे से मोटेल तक एक नया बस अड्डा बनवाने के सम्बन्ध में,
		12-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के एक दर्जन गांवों में खराब ट्रांसफारमरों को बदलवाने तथा विद्युत के टूटे तारों को ठीक कराने के सम्बन्ध में,
		13-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली हथौड़िया-ददिउरा मार्ग-रोसर मार्ग-हुसेनापुर-वरनई मार्ग, जमलापुर मार्ग, डींगुरपुर-असलानी मार्ग, कटिया कफू मार्ग, सरही मार्ग, चकमिटारा मार्ग, गोरीकलां मार्ग, रझौआ कलां, हेतमपुर, सिमरई मार्ग, वांडीगांव, जिन्दी नगर, महोलिया खावेड मार्ग, शेरपुर सरसवा आदि मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-शाहजहांपुर नगर भावलखेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले खराब पड़े इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में, 15-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक की दमदोर माइनर में किसानों की सुविधा के लिये टेल गुइल बनवाने के सम्बन्ध में, 16-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम हथौड़िया में स्थापित हड्डी का कारखाना को प्रदूषण के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में, 17-भाजपा के भावलखेड़ा ब्लाक में बेहतर उच्च शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 18-शाहजहांपुर में इंजीनियरिंग कालेज तथा मेडिकल कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में, 19-शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में 300 बेडों वाली सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 20-शाहजहांपुर नगर में पीने के पानी ड्रेनेज तथा सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में, तथा 21-शाहजहांपुर के औद्योगिक विकास की दृष्टि से नया उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।"
20	श्री मुंशी लाल गौतम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-ग्राम लोहरा व ग्राम अजनारा विकास खण्ड शिकारपुर ग्राम मागलौर वि0ख0 लखावटी जनपद बुलन्दशहर में आग लगने से हुई पशुओं की मृत्यु का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में, 2-1 जनवरी, 2007 को आर्थिक तंगी से तंग आकर एक परिवार के चार व्यक्तियों ने मो0 खत्रीवाडा, सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में आत्महत्या कर ली थी, उन्हें आज तक कोई सहायता/मुआवजा न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3-08 जनवरी, को शिकारपुर में एक हादसा में 2 बच्चों की मौत तथा 4 बच्चें घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, मृतक बच्चों के परिवार को आर्थिक सहायता और घायल बच्चों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		4-विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में दो दर्जन किसान तथा मजदूर की हत्या हो गयी उन्हें पारिवारिक लाभ नहीं मिला, सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,
		5-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को सुचारु-रूप से प्रतिमाह सामग्री बंटवाने के सम्बन्ध में,
		6-वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,
		7-मध्य गंगा नहर में प्रत्येक सीजन में पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-सेफई की भांति बुलन्दशहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,
		9-पहासू-शिकारपुर मार्ग, शिकारपुर-सरावा मार्ग, अहमदगढ़-रिवाड़ा मार्ग, सलेमपुर-शिवानी मार्ग, सलेमपुर से हुथैला मार्ग, नगला-लुपातअली मार्ग आदि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-बन्द पड़े सहकारी सूत मिल, सहकारी नगर जनपद बुलन्दशहर को चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-घुघरावली बुनवारीपुर में काली नदी पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		12-शिकारपुर से काली नदी तक नाले की सफाई के सम्बन्ध में,
		13-ग्राम समाज की भूमि में लगे कटीले वृक्षों को कटवाने के सम्बन्ध में,
		14-शिकारपुर से शिवाली तथा अनूपशहर को रोडवेज बस चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		15-शिकारपुर में रोडवेज बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षितों की वर्ष 2003 में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो नियुक्तियां 5 जनपदों में की गयी थीं उन्हें बहाल किया जाय। न्यायालय के आदेशानुसार बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।"
21	डा0 विनोद तिवारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-प्रदेश में अराजकता का वातावरण है कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, 3-शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिये तथा पड़ोसी राज्यों के बराबर मानदेय, वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 4-गन्ना किसानों को 150/-रुपये प्रति कुन्टल की दर से गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में किसानों को कम से कम 20 घण्टे बिजली उपलब्ध कराना और पावर कनेक्शन पर जितनी बिजली इस्तेमाल हो उसी के हिसाब से बिल भुगतान लिये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड अन्त्योदय कार्ड दिये जाने के सम्बन्ध में, 8-सभी पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-निठारी काण्ड में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही और पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-डा0 कविता रानी चौधरी काण्ड में सत्ता में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-जूनियर विद्यालयों को जो अनुदान सूची में छूट गये हैं उन विद्यालयों को भी अनुदान सूची में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में माधव टाण्डा एवं गढवा खेड़ा में नये विकास खण्ड कराये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद पीलीभीत के कलीनगर में नयी तहसील की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-माधव टाण्डा जनपद पीलीभीत में नया कृषि इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-गोमती उद्गम स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-आसाम बस्ती मार्ग को पीलीभीत से खुटार तक तत्काल हाटमिक्स निर्मित्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-पूरनपुर में निर्मित्त 132 के0वी0ए0 बिजली घर को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,
		18-जनपद पीलीभीत के थाना हजारा में 7-1-2007 को थाने के अन्दर श्री बलजीत सिंह मान एवं श्री ददराम की हत्या में दोषी सभी लोगों को एवं दोषी पुलिस कर्मचारियों को तत्काल जेल भेज कर पूरे प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-जनपद शाहजहांपुर के जो 94 गांव सन् 2002 में जनपद पीलीभीत में जोड़े गये हैं उन गांवों की पुलिस विभाग की अधिसूचना तत्काल जारी कराये जाने एवं अन्य विभागों का कार्य जिनको पीलीभीत स्थानान्तरित नहीं किया गया उन्हें पीलीभीत स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		20-जनपद पीलीभीत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ऊपर जो फर्जी मुकदमें एक कायम किये गये उन्हें तत्काल वापस किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-जनपद पीलीभीत में भाकपा माले नेता कृष्णा अधिकारी एवं अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये उन्हें वापस कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22-पूरनपुर तहसील जनपद पीलीभीत में कई साल से रह रहे बंगाली भाई, बहनों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		23-बंगाली समुदाय के लोगों को उत्तरांचल की भांति नमोः शूद्र अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,
		24-शारदा कटान में जिन लोगों के आवास कट गये उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटित कराये जाने तथा जिन लोगों के कृषि योग्य जमीनें कट गयी हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-पूरनपुर तहसील के मार्गों जैसे, पूरनपुर से धनाराघाट मार्ग, पूरनपुर से बण्डा मार्ग, शेरपुर कला से बिलहरी होते हुये नजीरगंज मार्ग, जरा से शिवनगर मार्ग, हरदोई ब्रान्च से बाइफरकेशन होते हुए चुका मार्ग का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-ट्रान्स शारदा क्षेत्र में बाढ़ से जो सड़कें एवं पुलिया टूट गयी हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		27-पूरनपुर तहसील जनपद पीलीभीत में बूंदीभूड़ से लेकर पलिया कलाँ तक जहां-जहां कटान हो रहा है प्राथमिकता के आधार पर ठोकने (इस पर) का निर्माण कराये जाने एवं ट्रान्स शारदा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-सहकारी चीनी मिल पूरनपुर की पेराई क्षमता बढ़ायी जाने एवं डिस्टलरी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-हरदोई ब्रान्च में माधव टाण्डा के पास (तहसील पूरनपुर जनपद पीलीभीत) पास रेगुलेटर लगाया जाना एवं पूरनपुर तहसील में सिंचाई के लिये पर्याप्त जल दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		30-कलीनगर टाउन एरिया में अध्यक्ष के पद पर चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31-कलीनगर टाउन एरिया में निर्वाचित सभासदों को तत्काल शपथ ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में, .
		32-कलीनगर टाउन एरिया में तत्काल ई0ओ0 की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		33-पूरनपुर तहसील में जंगल के किनारे बसे हुये गांव में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिये जंगल के किनारे पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक वायरिंग फिनिशिंग कराये जाने के सम्बन्ध में,
		34-पूरनपुर क्षेत्र के मुख्य मार्गों जैसे पूरनपुर मुझा मार्ग से तराई जाने वाले मार्ग, पूरनपुर से शेरपुर होते हुये नजीरगंज जाने वाले मार्ग पूरनपुर से यकोतरनाथ होते हुए बण्डा जाने वाले मार्ग पर जंगल विभाग द्वारा पक्के मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		35-जनपद पीलीभीत में विगत वर्ष में जितनी अपहरण, बलात्कार, हत्या की घटनायें हुयी हैं जैसे पवन हत्या काण्ड, अजय खण्डेवाल के लूटकाण्ड तत्काल पर्दाफाश कराये जाने के सम्बन्ध में।''
22	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :--
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--
		1-प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की चिन्ताजनक स्थिति के सम्बन्ध में,
		2-प्रदेश में विद्युत संकट के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में,
		3-वित्तीय संसाधनों के उपयोग में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ की जा रही गम्भीर उपेक्षा के सम्बन्ध में,
		4-जौनपुर स्थित बीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने के संदर्भ में,
		5-प्रदेश में पेयजल की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में,
		6-प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-प्रदेश में सरकारी तंत्र द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 8-महाविद्यालयों में अध्यापनरत तदर्थ संविदा तथा मानदेय पर रखे गये शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, 9-विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को दूसरे जनपदों से अपने गृह जनपद में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, 10-प्रदेश में भूगर्भ जल के चिन्तनीय स्तर तक गिरने के सम्बन्ध में, 11-कन्या विद्याधन योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 12-नोएडा के निठारी गांव में किये गये भीषण नरसंहार के दोषी पुलिस कर्मियों को कठोर दण्ड देने के सम्बन्ध में, 13-जौनपुर जनपद में हो रही जघन्य हत्याओं की बाढ़ के सम्बन्ध में, 14-जौनपुर विधान सभा क्षेत्र में समग्र विकास योजना में चयनित गांवों के विकास हेतु धन न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, तथा 15-सरकार द्वारा सरकारी तंत्र के राजनैतिककरण/सपाईकरण करने के सम्बन्ध में।"
23	श्री कौशल किशोर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1-उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में अध्यापक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-हाईस्कूल तक एक समान व अनिवार्य तथा रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में, 3-दोहरी शिक्षा नीति खत्म करके एक समान शिक्षा नीति बनाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी तरह के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में,
		5-अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		6-उत्तर प्रदेश के बन्द पड़े सभी चीनी मिलों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		7-उत्तर प्रदेश के सभी बन्द कताई मिल चालू कराकर श्रमिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,
		8-परघहां कताई मिल जनपद मऊ में सभी 5000 श्रमिकों को मिल बन्द करने पर वी0आर0एस0 व श्रम कानून के तहत फण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		9-श्रम कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने व श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य दिलाने व शोषण से बचाने हेतु प्रत्येक जनपद में तहसील स्तर पर श्रमिक थानों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनका वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में,
		11-25 हजार रुपये तक किसानों व गरीबों के सहकारी एवं सरकारी कर्जों को माफ करने के सम्बन्ध में,
		12-बिजली के बकाया बिलों पर से अधिभार खत्म करने के सम्बन्ध में,
		13-उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		14-डंकल प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश में लागू करने से रोकने के सम्बन्ध में,
		15-विदेशी खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं का उपयोग उत्तर प्रदेश में न करने के सम्बन्ध में,
		16-विदेशी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोकाकोला आदि सहित पेय पदार्थों को उत्तर प्रदेश में बिक्री करने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-असंगठित मजदूरों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार देने की गारन्टी के सम्बन्ध में,
		18-गेहूं, धान, गन्ना सहित सभी फसलों की उत्पादन लागत दर को सार्वजनिक करना,
		19-पेयजल की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण अंचल के प्रत्येक गांव में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		20-सिंचाई हेतु नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश में अन्तर्जनपदीय सड़कों को गड्ढा मुक्त करके उनका हाईवे की तरह निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		22-वृद्धों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ अनुबंधित बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		23-लखनऊ जनपद के आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र माल, मलिहाबाद, काकोरी में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		24-माल, मलिहाबाद, काकोरी आम फल पट्टी क्षेत्र के समस्त बिजली के बकाया बिलों को माफ करने के सम्बन्ध में,
		25-माल, मलिहाबाद, काकोरी के आम फल पट्टी क्षेत्र के किसानों को आम की फसल का बीमा लागू करने के सम्बन्ध में,
		26-नहरों में पानी न आने व बिजली की आपूर्ति समूचित रूप से न देने के कारण माल, मलिहाबाद, काकोरी को आम, गेहूं व धान की फसल के सूख जाने से किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		27-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र की नहरों में पानी न आने के कारण वसूली जा रही सिंचाई माफ करने के सम्बन्ध में,
		28-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े सभी सरकारी नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29-मलिहाबाद क्षेत्र के प्रत्येक गांव में खराब पड़े हैण्ड पाईपों को रिबोर कराकर तत्काल चालू कराने के सम्बन्ध में,
		30-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई हेतु दो-दो सरकारी नलकूपों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		31-आम फल पट्टी घोषित मलिहाबाद क्षेत्र के सभी किसानों को कीटनाशक दवाएं सरकारी स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		32-इस वर्ष माल, मलिहाबाद, काकोरी आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र में नकली दवा से आम उत्पादक किसानों को हुए नुकसान को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में,
		33-मलिहाबाद क्षेत्र के समस्त गांवों को डामर की सड़क बनाकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		34-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त उन गांवों का जहां बिजली नहीं है मार्च, 2007 तक विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		35-माल, मलिहाबाद, काकोरी के किसानों का सहकारी व सरकारी त्रण माफ करने के सम्बन्ध में,
		36-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव दौलतपुर गौन्दामौज्जम नगर, विराहिमपुर, कुण्डराकलां, बेलगढ़ा के सामने बेहता नाले पर पुलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		37-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव मवई कलां से गांव टिकरा तक तथा गांव फतेहपुर मवई से गांव सरैंया तक डामर की सड़क का निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		38-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव महदोईया से गांव गादिपन खेड़ा पर डामर की सड़क का निर्माण बहसी गांव गादिपन खेड़ा में एक पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		39-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव बाकी नगर से गांव राम नगर तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		40-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव बांका की पुलिया से गांव खड़ौहा तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		41-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव सन्यासी बाग से गांव गुलाब खेड़ा होते हुए गांव लोधोसी तक सड़क व पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		42- मलिहाबाद क्षेत्र के गांव अहिडर से महिया खेड़ा होते हुए भूण खेड़ा तक तथा गांव परवन खेड़ा होते हुए गांव करौन्दी तक सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		43- मलिहाबाद क्षेत्र के गांव गुलाल खेड़ा से सम्पर्क मार्ग गंगा खेड़ा तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		44- मलिहाबाद क्षेत्र के गांव जेहटा से टांड़ खेड़ा होते हुए गांव सुखलाल खेड़ा, सैंथा तक डामर की सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		45-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव सरसण्डा से गांव बीधापुर होते हुए माल दुबग्गा रोड तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		46-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव मोहम्मद नगर ताल्लुकेदारी को नर्वापनाह अन्धे की चौकी मार्ग से डामरीकरण करके जोड़ने के सम्बन्ध में,
		47-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव रानी खेड़ा से गांव लालता खेड़ा तक डामर की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		48-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरदोई रोड यादव बाजार से गांव डटौहली होते हुए गांव शाहपुर (मुर्दापुर) से मार्ग गांव ममरौली तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		49-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के दुबग्गा, कानपुर रिंग रोड लालाबाग से गांव दौलत खेड़ा व ममरौली तथा गांव कल्लन खेड़ा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		50-मलिहाबाद क्षेत्र के रहीमाबाद में विद्युत पावर हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		51-मलिहाबाद, माल, काकोरी के बिजली के पुराने तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में,
		52-मलिहाबाद क्षेत्र के काकोरी, मलिहाबाद, रहीमाबाद, गहन्दो, गोपरामऊ में लड़कियों के इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		53-मलिहाबाद क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		54-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के एक फल एवं सब्जी मण्डी का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		55-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गहन्दो से उपरावल होते हुए 7 गांव पटकापुर तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,
		56-मलिहाबाद क्षेत्र के गांव बेगरिया का खेड़ा से होते हुए दुबग्गा तक सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		57-मलिहाबाद क्षेत्र के रिंग रोड से गांव फरीदीपुर तक डामर की सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में,
		58-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के काकोरी बहरू मार्ग से गांव कुसुमी होते हुए बड़ी नहर की सड़क डामरीकरण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		59-मलिहाबाद में आम निर्यातक केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,
		60-मलिहाबाद क्षेत्र में माल भरावन रोड से गांव नौबस्ता तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में,
		61-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा
		62-मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव बनिया खेड़ा, सुखलाल खेड़ा, हौडखेड़ा, गुलमी खेड़ा, तुलसी खेड़ा में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
24	कुंवर भारतेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-- 1-पूर्वी गंगा नहर परियोजना को टिहरी बांध से रबी और खरीफ फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में भयंकर सूखे के उपरान्त सूखा घोषित कर राहत दिये जाने के सम्बन्ध में, 3-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के सुधार के सम्बन्ध में, 4-गन्ना किसानों की मांग के अनुरूप गन्ने का मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश के गन्ना किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण रोकने के सम्बन्ध में, 6-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हो रही काला बाजारी के सम्बन्ध में, 7-गरीबों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-ग्राम राजारामपुर और देवलगढ़ विकास खण्ड मोहम्मदपुर देवमल तहसील बिजनौर में गंगा के बहाव के परिवर्तन होने से ग्रामवासियों के जान-माल, घर और पशुओं पर आये संकट के विषय में तथा 9-20 दिसम्बर, 2006 को भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डा0 महेन्द्र राजपूत की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 12 विधान सभा (15)-11-4-2007-813 (कम्प्यूटर)।